C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 17, Tuesday, August 09, 2016/Shravana 18, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	12
Homage to martyrs of Quit India Movement	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 321 to 325 and 328	14-59
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 326 to 327 and 329 to 340	60-103
Unstarred Question Nos. 3681 to 3910	104-707

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 709-714

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 715-719

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
8th Report 720

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
281st Report 720

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Department of Food 9 and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri Ramvilas Paswan 721

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Shri S.S. Ahluwalia 722

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 189th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 176th Report of the Committee on 'Functioning of Delhi Police‟', pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Hansraj Gangaram Ahir 722

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 3616 DATED 11.08.2015 REGARDING CONTRACTUAL PREFERENCE TO SC ALONGWITH REASONS FOR DELAY 724-724B

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1429 DATED 8.12.2015 REGARDING AMENDMENT IN GFR 142 AND 144 ALONGWITH REASONS FOR DELAY 724C-724E

ELECTION TO COMMITTEE

General Council of Rehabilitation Council of India 725

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2016 726-733

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Some derogatory remarks made in an advertisement published in certain newspapers in Madhya Pradesh 736-739

(ii) Re: Reported issue of putting bar on students to sing National Anthem on Independence day in a school at Saidabad in Allahabad, Uttar Pradesh 745-746

(iii) Re: Reported depiction of pictures of U.S. soldiers as the protectors of our nation in certain advertisements of State Bank of India 756-759

MATTERS UNDER RULE 377 770-800

(i) Need to establish a separate High Court in Haryana

Shri Rattan Lal Kataria 771

(ii) Regarding implementation of Namami Gange Project

Shri Ashwini Kumar Choubey 772

(iii) Need to establish a constituent college of Dr. Harisingh Gour University at Sagar, Madhya Pradesh

Shri Laxmi Narayan Yadav 773

(iv) Need to provide rail connectivity in Sirohi district headquarters in Rajasthan

Shri Devji M. Patel 774

(v) Need to bring historical places in Banda parliamentary constituency in the tourism map of the country

Shri Bhairon Prasad Mishra 775

(vi) Need to expedite construction of railway line between Gangapur city and Dausa, Rajasthan

Shri Sukhbir Singh Jaunpuria 776

(vii) Need to levy toll tax at minimum rate on local vehicles using National Highways in Bhilwara parliamentary constituency, Rajasthan

Shri Subhash Chandra Baheria 777

(viii) Need to appoint qualified teachers on permanent basis in Eklavya Model Residential Schools in the country

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 778

(ix) Need to accord approval to the proposal of setting up of branches of various public sector banks in Palamu parliamentary constituency, Jharkhand

Shri Vishnu Dayal Ram 779

(x) Regarding disclosure of information on air pollution

Shri Feroze Varun Gandhi 780

(xi) Need to construct dams on tributaries of Wainganga in Gadchiroli - Chimur parliamentary constituency, Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete 781

(xii) Need to declare Ahmednagar in Maharashtra as a tourist place of national importance and also provide funds for its all round development

Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi 782

(xiii) Regarding providing LPG dealership agency to youth

Shri Paresh Rawal 783

(xiv) Regarding an universal advertisement policy for both print and electronic media

Shri S.P. Muddahanume Gowda 784

(xv) Need to provide houses to all eligible citizens under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) in a time-bound manner

Prof. K.V. Thomas 785

(xvi) Need to permit work site supervisor under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme to work beyond the fixed limit of 100 days work

Shri P.R. Senthilnathan 786-787

(xvii) Regarding doubling of railway line between Thanjavur and Mayiladuthurai in Tamil Nadu

Shri R.K. Bharathi Mohan 788

(xviii) Need to bring back youth presently stranded in Malaysia

Dr. Tapas Mandal 789

(xix) Need to declare Joynagar Moa, a traditional Bengali sweet as one of the heritage foods of the country

Shrimati Pratima Mondal 790-791

(xx) Need to restore Central assistance for centrally sponsored Area Development Programmes in Odisha

Dr. Prabhas Kumar Singh 792

(xxi) Need to confer Bharat Ratna Award on Vinayak Damodar Sawarkar, the great freedom fighter

Shri Rahul Shewale 793-794

(xxii) Regarding special status category to Andhra Pradesh

Shri M. Murli Mohan 795

(xxiii) Regarding implementation of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014

Shri B. Vinod Kumar 796

(xxiv) Need to tackle floods caused by rivers originating from Nepal

Shri Santosh Kumar 797

(xxv) Regarding condition of National Highways in Barak valley in Assam

Shri Radheshyam Biswas 798

(xxvi) Need to start DEMU train service from Hisar to Chandigarh

Shri Dushyant Chautala 799

(xxvii) Need to bail out Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) at Ambalamugal in Kerala

Shri N.K. Premachandran 800

Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016	801-912
Motion to Consider	801
Shri Bandaru Dattatreya	801-802
Shri Kodikunnil Suresh	803-809
Shri Dushyant Singh	810-813
Shri P. Nagarajan	814-817
Shrimati Pratima Mondal	818-820
Shri Rabindra Kumar Jena	821-825
Shri Gajanan Kirtikar	826-828
Shri Jayadev Galla	829-832
Shri B. Vinod Kumar	833-835
Dr. A. Sampath	836-841
Shri Gaurav Gogoi	842-846
Shri Sunil Kumar Singh	847-851
Shri Varaprasad Rao Velagapalli	852-855
Shri Kaushalendra Kumar	856-857
Shri Dushyant Chautala	858-860
Shri Rajesh Kumar Diwakar	861-863
Dr. Arun Kumar	864-866
Shri Ajay Misra Teni	867-869
Shri Rajesh Ranjan	870-872
Shri Badruddin Ajmal	873-874
Shri E.T. Mohammad Basheer	877-880
Dr. Sunil Baliram Gaikwad	881-883
Shri N.K. Premachandran	884-889
Shri Arvind Sawant	890-893

Shri Harinarayan Rajbhar	894
Dr. Mamtaz Sanghamita	895-897
Shri Rameshwar Teli	898
Clauses 2 to 5 and 1	910-912
Motion to Pass	912
Central Agricultural University (Amendment) Bill, 2016	913-948
Motion to Consider	913-914
Shri S.S. Ahluwalia	913-914
Shri Thokchom Meinya	916-919
Shrimati Aparupa Poddar	920-922
Shri Nagendra Kumar Pradhan	923-925
Shri Vinayak Bhaurao Raut	926-927
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	928-930
Shri Konda Vishweshwar Reddy	931-933
Dr. A. Sampath	934-935
Shri Varaprasada Rao Velagapalli	936-937
Dr. Arun Kumar	938
Shri Kaushalendra Kumar	939
Shri Anto Antony	940-941
Shri Prem Singh Chandumajra	942-943
Shri Radha Mohan Singh	944-947
Clauses 2 to 3 and 1	948
Motion to Pass	948

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 950

Member-wise Index to Unstarred Questions 951-956

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 957

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 958

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA

Tuesday, August 09, 2016/Shravana 18, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER
Homage to martyrs of Quit India Movement

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको याद होगा ही कि आज से 74 वर्ष पूर्व इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' का आह्वान कर ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त करने के लिए पूरे राष्ट्र को एक साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया था।

'भारत छोड़ो' आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष के निर्णायक क्षणों में से एक था जिसने हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा स्वराज्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था।

इस अवसर पर, हम राष्ट्रपिता और उन सभी शहीदों, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपने जीवन की आहूति दी, कइयों ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, समर्पित हो गए, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनःसमर्पित करते हैं।

अब सभा, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों की स्मृति में थोड़ी देर के लिए मौन रहेगी।

(The Members then stood in silence for a short while)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाओं के कारण मैंने एडजर्नमेंट नोटिस दिया है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, इसे बाद में देख लेंगे। आप विचार कीजिए, तय कीजिए।

All of you have to decide, not me.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं सदन का समय वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी मिलकर डिसाइड कीजिए। I have no objection.

…(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्षा जी, माननीय खड़गे साहब ने जो विषय उठाया है, वह गंभीर मुद्दा है। सभी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। आज बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग है। इसकी तिथि और समय हम उसमें तय करेंगे।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, I have given a notice for Adjournment Motion.

HON. SPEAKER: Not now, you may speak in ‘Zero Hour’.

11.03 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. No. 321, Shri Kalyan Banerjee. क्या बात है! आज तो पहला ही प्रश्न आपका है।

(Q. 321 and 328)

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, Hon. Minister has given a written reply. I have never seen such a cryptic reply of any Ministry in respect of such an important issue. I cannot imagine it. This is not a reply at all!

Madam, for than half a century, the North-East has seen an unending cycle of violent conflicts dominated by insurgency with demands ranging from outright sovereignty to greater political autonomy. Insurgency has taken its toll on thousands of lives, both of security forces and citizens. The roots of insurgency in the North-Eastern region are embedded in its geography, history and a host of socio-economic factors. Ninety-eight per cent of the borders of the region are international borders, pointing out to the region's tenuous geographical connectivity with the rest of India. While the population share is 3.90 crore, a mere three per cent, but from 1951 to 2001, it has increased by 200 per cent.

Madam, there are recommendations of a High Level Commission, contained in its report, for transforming the North-East. These are the recommendations of the Central Government constituted Commission. There are eight recommendations. The North-Eastern Council should be implemented to fill the gaps in infrastructure in the region. A comprehensive framework should be evolved and put in place to promote the region as a preferred investment destination. A Transport Development Fund to finance construction of important road corridors should be set up. Comprehension and implementation of Look East Policy though relevant for the country as a whole, especially important for the long-term good of the North-East, the agenda for its implementation must be

prepared in active association with the State Governments. Rail connectivity has to be developed. Much greater efforts are needed to establish bank branches and other credit disbursement institutions. There should be set up Centres of Excellence for professional and higher education in the North-East. There is a need to make an in-depth study.

In the border areas, there is no fencing in 50 per cent areas till now. My question to the hon. Minister, although I have got a very cryptic answer, is whether the Central Government has gone through all these recommendations made by the High Level Commission in respect of transforming the North-East and taken necessary steps. If the steps have been taken, I would like to know what steps have been taken.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, सम्मानित सदस्य ने उत्तर-पूर्व राज्यों के मामले में, देश की सीमा के बारे में चिंता प्रकट की है। यह बात सही है कि वहां पर वर्षों से आतंक की घटनाएं हो रही हैं, अलगाववाद और विद्रोह किया जाता है। उनका प्रश्न था कि वहां पर पड़ोसी राष्ट्रों से उन्हें कुछ मदद मिलती है क्या? हमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त है, हमारी सरकारी एजेंसियों ने जो जानकारी दी है, उसमें पड़ोसी देशों से इन संगठनों को कुछ आर्थिक मदद या उन्हें उकसाने के कुछ प्रयास होते है, यह हमारे सामने नहीं आया है। इसके बावजूद हम मान्य करते हैं कि वहां पर अभी भी घटनाएं होती हैं। लेकिन ये बढ़ रही हैं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। पुराना हमने देखा तो दस सालों से हर घटनाक्रम हर वर्ष कम-कम होता जा रहा है। इन सारी घटनाओं को कम करने के लिए काफी प्रयास चलते रहते हैं। पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश हैं। इन दोनों देशों के साथ हम द्विपक्षीय सम्बन्ध बढ़ाते हैं और चर्चाएं होती हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्री महोदय, गृह सचिव और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से बार-बार मीटिंग करते हुए दोनों देशों से मदद मांगी जाती है और उन्हें भी मदद दी जाती है। ये दोनों देश भी अलगाववाद की घटनाओं से प्रभावित हैं। इन दोनों देशों से बात करके, जितना भी हो सके हम डिप्लोमैटिक और अपनी एजेंसी के माध्यम से चर्चा बनाए रखते हैं। यह भी कोशिश है कि जितने भी इंडिया के इनसर्जेंट ग्रुप इंडिया के खिलाफ बने हैं, उन सभी की एक्टिविटीज को कम करने का पूरा प्रयास होता रहा है और इसमें हमें काफी सफलता मिल रही है। यह बात सही है कि हम यह नहीं कहेंगे कि हम पूर्ण सफल हुए हैं, लेकिन हमारे प्रयास तीनों देशों की आपसी बातचीत करके किए जाते हैं।

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, since you have given me enough time for asking the first supplementary, I will not take much time in asking my second supplementary. I can promise you. Therefore, I am straightaway coming to the question, without giving any background.

Is it a fact that the Central Government has stopped the Operation All Clear and Operation Golden Bird, joint military operations on the soil of the foreign neighbour countries along the North-Eastern borders to flush out the insurgent and militant camps? If so, what are the reasons? And if not, what are the causes behind the failure of the Government to stop the repeated insurgency in the North-Eastern region of the country?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : महोदया, मैं अभी बता चुका हूं कि ये सारी घटनाएं देश के लिए घातक हैं। हम उन्हें रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। विशेषकर यह जो क्षेत्र है, यहां जंगलों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यह पहाड़ी क्षेत्र है। हमने अगर सोचा भी है कि हर जगह पर अपनी पुलिस फोर्स लगाई जाए, सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं।

मैंने अभी आपसे कहा था कि पड़ोसी राष्ट्र भी इन चीजों से परेशान हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें कैसे सफलता मिलेगी। हम सीमावर्ती राज्यों में पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए आर्थिक सहायता करते हैं। आपने पहले प्रश्न में जो कहा था, वहां एजुकेशन, डैवलपमैंट के काम, रोड्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में हम अवश्य अन्य मंत्रालयों से विचार करेंगे। वहां डैवलपमैंट स्पीड बढ़ाने के आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। 'सबका साथ सबका विकास' के चलते प्रधान मंत्री जी काम कर रहे हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां डैवलपमैंट नहीं हो रहा होगा।

मैं बताना चाहूंगा कि असम में अभी जो चुनाव हुए थे, उनमें आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। ...(व्यवधान) इसका यह अर्थ समझना चाहिए कि हम उस पर काफी कंट्रोल कर चुके हैं।...(व्यवधान) चुनाव बहुत शान्ति से हुए हैं, यह सबसे बड़ा प्रमाण है।...(व्यवधान) इससे पहले इतना शान्तिपूर्ण चुनाव कभी नहीं हुआ था। सरकार ने पूरा नियंत्रण रखा हुआ है और आगे ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है।

HON. SPEAKER: Shri C.K. Sangma: Q. 328 is your question.

SHRI C.K. SANGMA: Madam Speaker, thank you for giving me the time to put the supplementary.

As you are aware, the North East shares a very large border with Bangladesh – almost close to 4,000 kilometres; out of those 4,000 kilometres, Meghalaya alone shares 443 kilometres. It is a very porous border and we have a huge threat from that aspect.

Recently, as you are aware, Madam, there have been incidents of violence and attack in Bangladesh itself where the ISIS has been responsible for the attack.

My specific first question to the hon. Home Minister is this. In Myanmar, there were joint operations done by the two countries together. Normally, when the operation is done only by one side, the militants keep shifting their camps, so it does not give us success. When we have a joint operation, then we are able to actually neutralize them. So, my specific first question to the Government is together with Bangladesh whether it has decided to for a joint operation so that we can check on militancy from both sides, that is, Bangladesh militants as well as Indian militants who are having camps there. Are we having or are there any joint operations? If not, are we planning to have it?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, हमारे सीमावर्ती राज्य विशेषकर बंगलादेश की सीमाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। आपने सही कहा कि बंगलादेश की सीमा तकरीबन 4096 किलोमीटर है। म्यांमार की सीमा भी 1600 से अधिक किलोमीटर है। हमने अच्छा अनुभव लिया है कि बंगलादेश के साथ हमारी जो वार्ता चलती है, बंगलादेश में उग्रवादी संगठनों के जो कैम्प लगे थे, हमारे देश से बाहर की सीमा में बंगलादेश में हो या म्यांमार में हो, उन्होंने बंगलादेश के अधिक कैम्प हटा दिए हैं। हमें इसमें उनसे काफी मदद मिली है। हम दोनों देश मिलकर उग्रवाद समाप्त करने का हमेशा प्रयास करते आए हैं और आगे भी प्रयास रहेगा।...(व्यवधान) हमारी वहां 15 बटालियन असम राइफल्स की लगी हुई हैं और बीएसएफ की बटालियन भी लग चुकी है। वहां सुरक्षाकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं।

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN : Madam, I would like to know from the hon. Home Minister: does the Government plan to sign an extradition treaty withy the Myanmar Government to ensure that it does not face reversals, like the recent climb down when it had to withdraw its request to Myanmar to handover the top leadership of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN)? What

action has the Myanmar Government promised in response to Government of India's request for action against insurgents in the listed camps as well as against four top leaders of the NSCN and also terrorists operating against India from Myanmar's soil?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदय, दोनों देशों के बीच मीटिंग होती है, बातचीत चलती रहती है। हम उनसे मदद मांगते हैं और मदद देते भी हैं और इस तरह आपसी सहयोग से वहां जितने भी कैंप हैं उसे हटाने का हमने प्रयास किया है। जिस तरह से बांग्लादेश ने कैंप हटाया है उसी तरह से म्यान्मार सरकार भी कैंप हटाने में हमारी मदद कर रही है। ...(व्यवधान)

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN : Madam, my question was about the Extradition Treaty. I would like to know whether the Government is going to sign an Extradition Treaty with the Myanmar Government. The hon. Minister has not answered my question. … (*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात से इंकार किया है कि कोई विदेशी ताकतें वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। लेकिन पूर्वोत्तर की जितनी भी अलगाववादी ताकतें हैं उनके पास जितने भी विदेशी हथियार मिलते हैं वे सभी चीन निर्मित होते हैं। समय-समय पर बांग्लादेश और म्यान्मार के अंदर कुछ शिविर होने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। क्या मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बांग्लादेश और म्यान्मार के अंदर शिविर हैं और चीन निर्मित हथियार पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों के पास पाए जाते हैं।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने ठीक कहा है कि वहां शिविर में प्रशिक्षण दिया जाता है और वहां पर कैम्प है, हम इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात बार-बार कही जा रही है कि क्या पड़ोसी देशों से उनको आर्थिक सहायता मिलती है। सरकारी एजेंसी के माध्यम से जो जानकारी मिली है किसी देश के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर अवैध हथियारों का मार्केटिंग होता है ऐसी बातें हमारी जानकारी में है। आपने कहा कि चीन के हथियार वहां मिलते हैं, हमने चीन के काफी हथियार जब्त किए हैं। वहां जितने भी संगठन एक्टिव हैं, एनएससी(एन) के चार संगठन वहां काम करते हैं। असम में उल्फा के साथ हमने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन किया है, कई संगठन इसमें लिप्त थे, हमने उनके साथ समझौता करके उनकी एक्टिविटी को रोक लगाने का पूरा प्रयास किया है। जो वहां पर घटनाएं हो रही थीं इसमें काफी कमी आई है। वहां की घटनाओं को कम करने के लिए जो प्रयास चल रहे थे, उसमें वर्ष 2012 में 1025 घटनाएं हुई थी और 2145 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन

आज 2016 में इस माह तक 293 घटनाएं हुई हैं और करीब 770 उग्रवादियों को एरेस्ट किया है। वर्ष 2012 में 222 उग्रवादियों को मारा गया था अभी 56 को मारा गया है। इस तरह की घटनाओं में कमी आती जा रही है और इसमें काफी सफलताएं मिल रही हैं। अगर हमें इस तरह की जानकारी मिलेगी कि किसी अन्य देश से वहां मदद मिल रही है तो सरकार उस पर अवश्य कार्रवाई करगी और इस पर जांच बैठाएगी।

(Q. 322)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब मिला है वह मेरी समझ से बाहर का है। मैं झारखंड प्रदेश से आता हूं, पूरे देश में 34 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं उनमें से 17 जिले झारखंड प्रदेश के हैं। सरकार का आंकड़ा 24 जिलों में से 17 जिलों का है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि नक्सलवाद के शिकार हुए व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया? झारखंड राज्य का निर्माण दिनांक 15 नवंबर, 2000 को हुआ। उससे पहले झारखंड में जो उग्रवादी घटनाएं घटीं, जब ज्वाइंट बिहार था, तब के बारे में मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को यह बात जानकर ताज्जुब होगा कि हम लोगों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से और डीजीपी के माध्यम से पत्र दिए, किन्तु उनका जवाब आता है कि बिहार से झारखंड अब अलग हो गया है, इसलिए अब उन्हें नौकरी या मुआवजा बिहार सरकार देगी। हमारा यह कहना है कि मरने वाले के मुआवजे और नौकरी की बात जब आती है, तब राज्य का निर्माण हो गया, तो इसमें मरने वाले का क्या दोा है और जहां तक सवाल है कि जो …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न तो पूछिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मेरा वही प्रश्न है …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : झारखंड वालों का क्या है, इस बारे में प्रश्न पूछिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : जी हां, अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि झारखंड में राज्य निर्माण के पहले उग्रवादी घटनाओं में जिनकी हत्या कर दी गई या जिनकी मृत्यु हो गई …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, अब गाड़ी ट्रेक पर आ गई।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उग्रवादी घटनाओं में जिनकी हत्या हुई या मर्डर हो गया, उनकी नौकरी और मुआवजे के 15 नवंबर, 2000 से पहले के कितने केस पेंडिंग हैं और सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, वे ज्यादातर राज्यों से संबंधित हैं। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर इस प्रकार के वामपंथी उग्रवाद की वजह से सुरक्षा कर्मियों की मौत होती है या हताहत होते हैं, या राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों की मौत होती है या वे हताहत होते हैं अथवा नागरिक मरते हैं या हताहत होते हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को फिलहाल हम 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त

उनके लिए 10 लाख रुपए की बीमा पालिसी भी होती है। किसी-किसी स्टेट में अपने-अपने तरीके से कम या ज्यादा अनुदान उन्हें दिया जाता है।

महोदया, इस प्रकार की घटनाओं में यदि किसी सिविलियन की हत्या होती है, तो उसके लिए भी हम केन्द्र सरकार से एसआरई में 1 लाख रुपए का अनुदान देते हैं और 3 लाख रुपए का अनुदान उन्हें केन्द्रीय योजना में से दिया जाता है। ये अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। इनमें हम कहीं कोई कटौती नहीं करते हैं और इस प्रकार का कोई केस सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग नहीं है।

महोदया, माननीय सदस्य ने राज्य सरकारों का जिक्र किया है और पूछा है कि झारखंड और बिहार के अलग होने के बाद इस प्रकार के कितने केस पेंडिंग हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की हमारे पास कोई सूची नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सेट्रल गवर्नमेंट के सुरक्षाकर्मी की ऐसी घटना में मृत्यु हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी योजनाएं चलती हैं।

महोदया, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कई राज्य सरकारों की तरफ से ऐसे लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। हमें विभिन्न राज्य सरकारों से जो थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड सरकार भी ऐसे प्रकरण में लगभग 10 लाख रुपए देती है और सिविलियन की मृत्यु पर भी 3 लाख रुपए देती है। ये सभी बातें हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्य हमें लिखित में कोई स्पेसीफिक केस बताएंगे, तो हम उसके आधार पर राज्य सरकार को लिखकर उन्हें अवश्य न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार द्वारा जो 34 जिले आइडेंटीफाई किए गए हैं, उनमें से 17 जिले झारखंड के हैं, जिनके बारे में मैंने कहा। इनमें माननीय मंत्री जी ने मुआवजे की राशि के बारे में अभी जो उत्तर दिया है कि हम प्रदेश से इस बारे में जानकारी मंगवा लेंगे और देख लेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं में जिस सिविलियन व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो क्या कोई पैरामीटर तय किए गए हैं कि सिविलियन के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा और सुरक्षाकर्मी के लिए 15 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे? इनके लिए अलग-अलग व्यवस्था क्यों बनाई गई है और इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के अगस्त महीने में, 15 अगस्त से पहले झारखंड के बोकारो जिले में उग्रवादियों द्वारा 32 गाड़ियों को आग लगा दी गई, लेकिन आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक मुआवजा दिया जाएगा?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी बताया था कि राज्य सरकार ही सिविलियन्स की मदद करती है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने तीन लाख रुपए, एक लाख रुपए मुआवजा देने का काम जारी रखा है। हम केंद्र सरकार के कर्मियों की मदद करते हैं। हमारे पास राज्य सरकारों के बारे में जानकारी है, महाराष्ट्र सरकार करीब राज्य सरकार के सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हो जाने पर 25 लाख रुपया देती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 15 लाख रुपया देते हैं। ओडिशा में भी दस लाख रुपया दिया जाता है। तेलंगाना में 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए अलग-अलग कैटेगरी में देते हैं।

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी की बात आती है, अगर देना भी है तो राज्य सरकार को ही देना है। हम निश्चित ही माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हैं। केंद्र सरकार इस मुआवजे को बढ़ाने की जरूरत महसूस करेगी तो अवश्य ही इस पर विचार करेगी।

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL: Hon. Speaker Madam, thank you for giving me this opportunity. I strongly condemn the BTAD violence where the NDFB faction has killed innocent people. These people were peace-loving citizens; there is gun culture in BTAD. The violence is not new to BTAD. Fifty thousand people are refugees there who are not given the basic facilities of food and shelter. Neither the State Government nor the Central Government is taking care of them. I would like to ask the hon. Minister whether the Government will assess the agonies faced by these people and their problems of food and shelter and whether they will be given help. If so, when will they be given help? If not, please give the reason thereof.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार के माध्यम से जो योजनाएं दी जाती हैं, हम उसमें कहीं भी कमी नहीं होने देंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें राज्य सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारों को इसमें डायरेक्ट मदद करनी चाहिए। राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से मदद मांगना चाहती है, अगर मुख्यमंत्री अपील करते हैं या मदद मांगते हैं तो केंद्र सरकार उस पर विचार कर सकती है। हम हर वक्त ऐसे पीड़ितों की मदद करना अपना कर्तव्य मानते हैं जिन पर आपत्ति आती है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि जो सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं या उस क्षेत्र के जो नागरिक मारे जाते हैं, उनके लिए कम्पेसेशन की व्यवस्था है। मैं यहां यह जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कम्पेनसेशन और अधिक बढ़ाया जाना

चाहिए। इस समय सिक्योरिटी रिलेटिड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत एक प्रपोजल विचाराधीन है। इसका कैबिनेट द्वारा ही फाइनल डिसीजन हो सकता है। हम सिक्योरिटी फोर्सिस और नागरिकों के लिए कम्पेनसेशन बढ़ाने पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

(Q. 323)

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्हें पर्यावरण और वन संरक्षण की जिम्मेदारी है जो कि इनका पसंदीदा विषय है। यह एक वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं और नदियों के संरक्षण के लिए लंबे समय से काम भी कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पर्यावरण की समस्या हमेशा से रही है। वर्ष 1990-91 में तत्कालीन सरकारों ने दिल्ली में पर्यावरण ठीक करने के लिए बायो-डाइवर्सिटी पार्क आदि स्थापित करने की बात शुरु की थी। मास्टर प्लान 2021 के नाम से एक प्लान तैयार हुआ था, अब पांच साल ही बचे हैं लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ है।

दिल्ली में सीवरेज वाटर और वेस्टेज का पानी है। हमने जिस बायो-डाइवर्सिटी पार्क की कल्पना की है, लेकिन यह अभी तक नहीं बने हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सीवरेज आदि का पानी का ट्रीटमेंट करके इस लायक बनाया जाएगा कि पार्क्स आदि में इसका उपयोग किया जा सके? इससे जल संरक्षण भी होगा और वह पानी उन पार्कों के निर्माण और उनकी बेहतरी में भी काम आ पायेगा।

श्री अनिल माधव दवे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बॉटोनिक गार्डन का प्रश्न पूछा गया है। देश में कुल 14 बड़े गार्डन्स हैं, जिसमें से छः गार्डन्स डी.डी.ए. ने दिल्ली में बनाये हैं। इसके लिए दिल्ली प्रशासन बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन देश में 354 छोटे बॉटोनिक गार्डन्स भी हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि अलग-अलग प्रकार की इनडैन्जर्ड स्पीशिज़ को वहां विकसित करना और उन्हें वापस अपने नेटिव क्षेत्र में ले जाकर बसाने की कोशिश करना है। इस बॉटोनिक गार्डन के कारण पर्यावरण अच्छा होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पर्यावरण और अच्छा हो, तो हमें अर्बन एरिया में बायोडायवर्सिटी पार्क की ओर जाना चाहिए। यह राज्य सरकारों का विषय है।

जहां तक पानी देने की बात है, तो यदि ट्रीटमैंट प्लांट ठीक से लगेंगे और उसके बाद जो पानी आयेगा, वह पानी बगीचे में, बॉटोनिक गार्डन के विशेाज्ञ हैं, जो बॉटनी को जानते हैं, उनको लगता है कि इन विविध प्रकार के पौधों को पानी दिया जा सकता है, तो उसे देने में कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि ये विशेा प्रकार के पौधे हैं और हम इनका विकास करते हैं। ये इनडैन्जर्ड होते हैं, यानी इनके खो जाने का भय होता है इसलिए उसका पालन-पोषण बहुत संभल कर करना होता है। इसमें जो वैज्ञानिक सुझाव देंगे, उसके आधार पर ही काम किया जाता है। …(व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने दिल्ली सरकार और डी.डी.ए. को बधाई दी। मैं एक महत्वपूर्ण विाय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1990 में सरकार ने बायोडायवर्सिटी पार्क्स की बात सोची। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने उस समय अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क की कल्पना की, तो उसके लिए लगभग 700 एकड़ भूमि लेने की बात की गयी। आज तक उस भूमि का न अधिग्रहण हुआ, न कम्पेनसैशन दिया गया और जो भूमि मिलनी है, वह दूसरों को हस्तांतरित की जाये, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मै कहना चाहता हूं कि पांच साल बचे हैं और सरकार ने उस समय जो बायोडायवर्सिटी पार्क की कल्पना की थी, वह पूरी नहीं हो रही।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सरकार के सामने लाना चाहता हूं कि उसमें सीनियर सिटीजन्स, एक्स इम्प्लायज ने एक सोसायटी बनाई। वहां कुछ निर्माण कार्य भी चालू हुआ था और कुछ भवन भी बन गये थे। उस बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर लॉटरी ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसायटी की जमीन उसमें ले ली गयी, लेकिन उन्हें आज तक कम्पेनसैशन नहीं मिला। उनमें से कुछ बुजुर्ग ऊपर भी चले गये। सरकार ने आज तक उनकी कोई चिंता नहीं की। अगर हम पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो सरकार को कहीं न कहीं इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि उसमें जिन लोगों की भूमि गयी है, जिनकी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देने के मामले में भी सरकार को संजीदा होना पड़ेगा।

श्री अनिल माधव दवे: अध्यक्ष महोदया, कुछ सदस्यों ने बीच में कहा, तो मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डी.डी.ए. दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है। किसी भी अच्छे प्रोडेक्ट को देखकर समझा जा सकता है कि यह उत्पादन कहां का हो सकता है। इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर ये अच्छे पार्क्स बने हैं, तो उसके लिए दिल्ली के लोग और डी.डी.ए. बधाई के पात्र हैं।

जहां तक अरावली वाला प्रश्न पूछा गया है तो अरावली का बॉटोनिक गार्डन है, वह करीब-करीब बनकर तैयार है। किसी भी समय उसका उद्घाटन हो सकता है। उसकी तैयारियां अभी थोड़ी बाकी हैं। जैसे ही वे तैयारियां पूरी हो जायेंगी, वैसे ही उसका उद्घाटन हो जायेगा।

जहां तक एक्वीजिशन में लैंड का हर्जाना देने का सवाल है, तो राज्य इसमें हर्जाना देने का काम करता है। चूंकि लैंड विाय केन्द्र का न होकर राज्य का है। केन्द्र उसमें केवल फंडिंग का एक हिस्सा देता है। वह धन दे दिया गया है, वह विकसित हो रहा है और अब यह दिल्ली सरकार का विषय है कि क्षतिपूर्ति के काम को पूरा करें।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मैं इस विषय में आपका संरक्षण चाहूंगा क्योंकि यह मुद्दा आपके राज्य, मेरे राज्य और हमारे मंत्री जी के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : इसीलिए अनुमति दे रही हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, वर्ष 1995 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सलाह दी थी कि गिर से कुछ शेरों का विस्थापन कुनोपालपुर में किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इस विाय पर आ चुका है, लेकिन पिछले तीन सालों से इस सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है। शेरों का सेंसस वर्ष 2015 में किया गया था, गिर में 523 शेर पाए गए हैं, जो वहां की क्षमता से भी ज्यादा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शेर पेड़-पौधे नहीं खाते हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, वहां प्रोटेक्शन एरिया सीमित हो चुका है और अब शेर मानव बस्तियों में जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भावनगर और अमरेली में जो बाढ़ आई थी, उसमें दस शेरों की मौत हुई और अगर कोई बीमारी होगी तो पूरे देश के शेर केवल गिर मे हैं, वे पूरे समाप्त हो जाएंगे। यह मुद्दा गुजरात की अस्मिता का मुद्दा नहीं है, यह देश की अस्मिता का मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे, तो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में आज उनको देश की अस्मिता की सोच रखनी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कुनोपालपुर पर 60 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है, 24 गांवों का विस्थापन भी किया है और वहां जो प्रे-बेस है, 50 एनिमल्स प्रति स्क्वायर फीट है, इसका मतलब है कि यह शेरों के लिए काफी है। माननीय मंत्री जी भी इस विाय पर संवेदनशील हैं, लेकिन उन्होंने इसी विषय पर 2 अगस्त, 2016 को अनस्टार्ड क्वेश्चन का जवाब दिया था कि आज तक स्थान परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष : यह एकदम अलग प्रश्न है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, शायद उनके मंत्रालय ने उन्हें यह सूचना नहीं दी कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ श्री रवि श्रीवास्तव ने स्वयं पर्यावरण मंत्रालय के रॉय टॉमस, ज्वाइंट डायरेक्टर को मई, 2016 में चिट्ठी लिखी थी कि स्थान परिवर्तन जल्द से जल्द किया जाए।

मैं पूछना चाहता हूं कि उस अनस्टार्ड क्वेश्चन का जवाब देने से पहले क्या आपको यह सूचना प्राप्त नहीं हुई थी? उन शेरों का, 523 नहीं, लेकिन 40 शेरों की सक्षमता कुनोपालपुर में है, उन 40 शेरों का विस्थापन आप वहां कब तक करेंगे? मध्य प्रदेश सरकार और देश की जनता यह चाहती है।

माननीय अध्यक्ष : ये तो बायो डायवर्सिटी दिल्ली से शेरों के मुंह में कूद गए हैं, इनको बचाना हो तो बचाइए।

अनिल माधव दवे: माननीय अध्यक्ष जी, जिस गिर के शेरों की बात हो रही है, वे न बॉटनिकल गार्डन में घूमते हैं, न बायोडायवर्सिटी पार्क्स में घूमते हैं। इसलिए जो मूल प्रश्न है, मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं अपने मूल प्रश्न पर रहूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएं, ज्यादा से ज्यादा सांसदों के प्रश्न कवर हो सकें और उनके जवाब दिए जा सकें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ज्योतिरादित्य जी, बैठिए। एक तो प्रश्न अलग पूछा है, अब ऊपर से कुछ नहीं बोलेंगे।

मंत्री जी, आप उत्तर देना चाहें तो दीजिए।

...(व्यवधान)

अनिल माधव दवे: माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको मैं अलग से कभी जवाब दे दूंगा, लेकिन यहां इतना कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा पूछा गया पूरक प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि से बाहर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टोटली अलग है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, ज्योतिरादित्य जी, ऐसा नहीं करते। बैठ जाइए। Nothing will go on record. This is not the way. I am sorry.

... (*Interruptions*) ... *

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, क्या हो रहा है? क्या हो गया, आज कहां झगड़ा करके आए हो।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Thank you, Speaker Madam.

Tamil Nadu ranks first amongst all the States in the country in protection and conservation of bio-diversity. ... (*Interruptions*) In Tamil Nadu, bio-diversity

---

* Not recorded.

conservation and greening project at a cost of Rs. 686.28 crore was initiated by hon. Chief Minister of Tamil Nadu *puratchi thalaivi amma*. … (*Interruptions*)

Bio-diversity in Tamil Nadu is a treasure house with great combination of fauna and flora including medicine plants. … (*Interruptions*) Bio-diversity parks are vital to meet the social, economic, ecological, cultural, recreational and spiritual needs of the present and future generations. … (*Interruptions*) I would like to know whether the Union Government has come forward to provide funds to promote bio-diversity parks in Tamil Nadu from the Central scheme as well as from the external funding agencies.

श्री अनिल माधव दवे : माननीय अध्यक्ष जी, जिस बॉयोडाइवर्सिटी पार्क की बात हो रही है, यह शुद्ध रूप से राज्य का विषय है। राज्यों को विकसित करना है। यहां मैं बॉयोडाइवर्सिटी पार्क और बॉटेनिकल गार्डन के बीच का अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं। बॉयोडाइवर्सिटी पार्क सामान्यत: शहरों के बीच में विकसित किये जाते हैं और वे शहर की ऑक्सीजन का लंग्स होते हैं। कोशिश करके एक ऐसे जंगल के रूप में होते हैं जिसके अंदर कोई नहीं जाएगा और वहां से कोई कांट-छांट नहीं होती है, जिसको हम वर्जिन फॉरेस्ट कहते हैं। करीब-करीब वैसा ही बॉयोडाइवर्सिटी पार्क होता है। इस प्रकार के पार्क हम लोग जब विदेशों में जाते हैं तो हम वहां देख सकते हैं।

हमारे देश में भी अर्बन डवलपमेंट के अंदर कई शहरों में यह हो रहे हैं। यह राज्य का विषय है, लेकिन यह हमें आपके माध्यम से सभी सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र के अंदर कोई अच्छा विज्ञान का महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो जहां बॉटनी विषय की बहुत अच्छी फैकल्टी हो। आप इस मंत्रालय को लिखिए, यह मंत्रालय एक-दो एकड़ भूमि, अगर कॉलेज के पास है तो बौटेनीकल गार्डन बनाने के लिए राशि देता है और बॉटेनीकल गार्डन और उस बॉटनी के विद्यार्थी के लिए उतना ही जरूरी है जितना चिकित्सा महाविद्यालय के साथ चिकित्सालय होना जरूरी है। जो पढ़ाया जा रहा है, वह प्रैक्टिकली अस्पताल में आकर चिकित्सक करता है। उसी तरह से जो बॉटनी का विषय पढ़ाया जा रहा है, वह विषय वह बाहर कॉलेज कैम्पस के अंदर बॉटेनीकल गार्डन में आकर देखेगा तो उसको सीखने और समझने में मदद मिलती है और स्कूल के बच्चे घूमने के लिए बड़े आनंद से बॉटेनीकल गार्डन में आते हैं।

SHRI ANIL SHIROLE : Has the Government considered having a common set up for forestry, social forestry, wild life, biodiversity, etc. at the ground level so as to improve the efficiency of the organization and if so, the results thereof and if not,

the reasons therefor in view of the complementarity of their objectives and overlapping territories involved in many cases?

श्री अनिल माधव दवे : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सांसद बहुत सारे विषयों को एक में मिला रहे हैं, चूंकि यह विषय शुद्ध रूप से बॉटेनीकल गार्डन के ऊपर था और यह विषय शुद्ध रूप से बॉयोडाइवर्सिटी पर था, अगर उनके मन में इस विषय पर कुछ है तो वे अलग से प्रश्न पूछेंगे या लिखित में मुझसे कुछ प्रश्न करेंगे तो मैं उसका लिखित में जवाब दूंगा और लिखित में शेर भी आ जाएगा और बाकी सारी बातें भी आ जाएंगी।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शेर का नहीं पूछिए। शेर को छोड़कर पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यहां तो बब्बर शेर की बात की जाती थी। हम तो केवल शेर की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) अरे, शेर आ जाएंगे। चिंता मत करिए।...(व्यवधान) ये गुजरात के नहीं हैं। मध्य प्रदेश के शेर गुजरात के लिए काफी हैं।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश के शेर यहां भी बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान) ये भी मध्य प्रदेश के हैं।...(व्यवधान) हम आपसे डरते नहीं हैं। वहां 280 हैं, यहां 44 भी हैं। चिंता मत करिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, आज क्या हो गया? बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न शेरों पर नहीं है। कहां जा रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले प्रधान मंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब वह मुख्य मंत्री थे, तो अखिलेश ने और हमने आपसे शेरों की मांग की थी। जितने हमने शेर मांगे तो उतने उन्होंने हमें शेर दे दिये और सारी सुविधाएं- डॉक्टर भी लगा दिया। जमुना के किनारे तमाम जमीन है, चारों तरफ खुला हुआ एरिया है और अच्छी घास है। जो इसमें एक्सपर्ट हैं, उन सब लोगों से राय लेकर हमने शेर ले लिये, लेकिन अब हमारे दो शेर मर गये।...(व्यवधान) यह हंसने की बात नहीं है। यह गंभीर बात है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स को दिखवा दीजिए कि उन शेरों के मरने का क्या कारण है? ...(व्यवधान) शेर राष्ट्रीय जानवर है। ...(व्यवधान) यह गंभीर मामला है। हमारे दो शेर मरे हैं। इसलिए मंत्री जी, आप कृपया इस मामले की जांच करा दीजिए कि उनके मरने का

क्या कारण है? अगर हमारी तरफ से गलती हुई है तो हम सुधारेंगे, लेकिन आप जांच करवा दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जांच का आश्वासन दे दें।

…(व्यवधान)

श्री अनिल माधव दवे : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पन्द्रह मिनट से शेर इस समय किसी ग्लेमरस चीज जैसा हो गया है। …(व्यवधान) लेकिन चूंकि मुलायम सिंह जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, वह समाजवादी नेता हैं और लोहिया का अगर इस समय कोई वाहक है तो आज वही हैं। वे गंभीरता से यह बात कह रहे हैं कि दो शेरों की मृत्यु हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा और इसकी जांच कराएंगे कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है? अगर यह संभव हुआ और अगर समय बहुत ज्यादा हो गया और 'बिसरा' नहीं मिला तो उसके लिए कठिन है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंदर ही कुछ निश्चित चीजें होती हैं और पनपती हैं, इसीलिए यह कहा गया कि जो एनडेंजर्ड स्पेसी होती है, वो वही रहती है। आपने इस विषय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया है, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा और I will revert back to you.

(Q.324)

डॉ. संजय जायसवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विषय से बाहर नहीं जाऊंगा। प्रधान मंत्री जी का बिल्कुल साफ सिद्धान्त है कि विकास वही है जो गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके और वनों का ज्यादा से ज्यादा बनना गरीबों और आदिवासी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कमिट किया है कि वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण सृजित करके ढ़ाई से तीन बिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन का सृजन करना भी भारत के आई. एन.डी.सी. का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अतिरिक्त वन एवं वृक्ष, जबकि स्थिति यह है कि रिमोट सेंसिग से देखा गया है कि पिछले दस सालों में हमारा वेस्ट लैंड बहुत बढ़ गया है। पिछली सरकार ने उसके बारे में भी एक कोशिश की थी। उन्होंने एक ग्रीन इंडिया मिशन बनाया था। इसमें 13000 करोड़ रुपये का कोर फंड दिया था और केवल 150 करोड़ रुपये ही दिये थे। पेरिस एग्रीमेंट में अभी हम लोग बिल्कुल हीरो बनकर निकले हैं, जो कौप- 21 हुआ था, लेकिन जब पेरिस एग्रीमेंट का वर्ष 2018 में रिव्यू होगा और इस पर अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आई.एन.डी.सी. में वर्णित 14वें फाइनेंस कमीशन ग्रान्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से यू.एस.डॉलर 6.9 बिलियन से शुरु होकर वर्ष 2019-20 तक यू.एस डॉलर 12 बिलियन वनों के संवर्धन के लिए, राज्यों को अतिरिक्त ट्रांसफर के प्रावधान के विरुद्ध जो किया गया था, उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है? यह प्रगति संतोषजनक है कि नहीं है और इसके लिए मंत्रालय क्या कटोर उपाय कर रहा है और इसके लिए कौन सा मोनीटरिंग मैकेनिज्म है?

श्री अनिल माधव दवे : माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरा प्रश्न इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कांट्रिब्यूशंस हैं, आई. एन. डी. सी. जिसे कहा जाता है, पेरिस में हमने जो कुछ कमिट किया है, बात यह हो रही है कि वर्ष 2005 के मानक को मानते हुए, वर्ष 2020 तक औऱ वर्ष 2020 से लगाकर वर्ष 2035 तक हम कार्बन एमिट करने की मात्रा को कम करेंगे और इस ड्यूरेशन में जो बढ़ेगी, उसको हम कैसे कम करेंगे, उसके लिए हमने जिस ग्रीन इंडिया मिशन का नाम लिया, उसके अतिरिक्त सभी विभाग जो अलग-अलग हैं, एग्रो-फॉरेस्ट्री, रेलवे फॉरेस्ट्री, रोड-फॉरेस्ट्री, सी-शोर फॉरेस्ट्री, ये सारे वे एरियाज हैं कि हम हमारा ग्रीन कवर बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए इसके पहले के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि अर्बन डवलपमेंट में भी हमें कहीं न कहीं बॉयोडाइवर्सिटी पार्क की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वैसे हम लक्ष्य से आगे चल रहे हैं। वर्ष 2012 के अंदर वर्ष 2005 के स्लैब के अनुसार हमने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

वर्ष 2020 तक हम पूरा लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं। वर्ष 2018, वर्ष 2019 या वर्ष 2020, जब भी दुनिया के किसी भी शहर में इसका जवाब देने के लिए खड़े होंगे तो हम डंके की चोट पर कहेंगे कि भारत ने लक्ष्य पाया है, लक्ष्य पाने वाले लोग दूसरे होंगे, हम नहीं हैं। लेकिन यह यात्रा कठिन है। जैसे कैम्पा का पैसा अब जाना शुरू हुआ है, यह आठ साल के बाद में जाना शुरू हुआ है तो विदेशों का जो कमिटमेंट ग्रीन फंड के अंदर है, कैम्पा का पैसा और अलग-अलग प्रकार से जो राशि इसके अंदर जाने वाली है, इसका रास्ता थोड़ा कठिन है, उसको सुलझाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम उसमें कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यों को वह फंड पहुंचे और राज्य उन फंडों को ठीक से वनों के विकास के लिए लगाए और दूसरे जो अन्य मानक हैं क्योंकि हम ने उसके लिए वर्ष 2020 से वर्ष 2030-2035 के लिए छः कमेटियां बनाई है, उनके लिए अलग-अलग मंत्रालय काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से फंड और उसका मार्ग और उसके लक्ष्यों के अंदर भारत इस समय जो कमीट कर चुका है, उससे दो प्रतिशत आगे ही चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप सेकेण्ड सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछिए।

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, उन्होंने पैसे के बारे में नहीं बताया कि यह 6.9 बिलियन डॉलर कहां से आयेंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश में 216 मिलियन टन वूड फ्यूल प्रति वर्ष जलाया जाता है, जिसमें कार्बन एमीशन के साथ डीफोरस्टेशन भी होता है। वूड फ्यूल बायोएनर्जी में एफिशिएंसी लाने के लिए, खास कर बिजली उत्पादन के लिए, प्राइमरी एनर्जी की खपत कम करने के लिए कनाडा, यू.एस. और स्विटजरलैंड में बहुत सारे डेवेलप कंट्रीज में आर. एंड डी. करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है।

अध्यक्ष महोदया, मैंने अपने सांसद आदर्श ग्राम योजना में केवल एक सिरेमिक चूल्हा देने से लोगों द्वारा उपयोग की जा रही लकड़ी में 40 प्रतिशत की कमी हो गई है। क्या हमारी सरकार भी इस तरह से कुछ कर रही है? फॉरेन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके या रिसोर्स मोबलाइजैशन करने के लिए, इन सब कामों के लिए वूड फ्यूल कम से कम जले, इसक लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, मैं इसके बारे में मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री अनिल माधव दवे : अध्यक्ष महोदया, जहां तक माननीय सदस्य ग्रीन इंडिया मिशन और जिस राशि की बात कर रहे थे, अभी तक हम 70.14 करोड़ रुपये दे चुके हैं। कैम्पा का फंड जाने वाला है। जैसे ही नियम और उपनियम बन जायेंगे, वह चला जायेगा। यह जरूर है कि वर्ल्ड के अलग-अलग इंस्टिट्यूट्स से जो पैसा आना है, अभी वह उस गति से नहीं आ रहा है, जिस गति से उसे आना चाहिए। लेकिन उस दिशा में

भी हम प्रयत्नरत हैं। आपने चूल्हे की ओर ध्यान दिलाया है। इस देश में लकड़ी जलाने की मात्रा धीरे-धीरे कम हो रही है। लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, उसके कारण गैस के चूल्हे गांव में पहुंच रहे हैं। उन्नत चूल्हों का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पेरिस के अंदर एक अनूठी पहल की है, उन्होंने कहा कि कर्क रेखा से ऊपर जो गर्म देश हैं, जहां 10 महीने से ज्यादा तीखी धूप रहती है, ऐसे 122 देशों का उन्होंने एक ग्रूप बनाया। उन्होंने कहा कि हम सभी के प्राकृतिक रिसोर्सेज वही हैं, जो मेरे पास है, वह आपके भी पास है तो हम सभी मिल कर सोलर के मामले में अगर कोई बड़ी पहल करेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें ही रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योकि जो कोल्ड कंट्रीज में सूर्य दीखते ही नहीं हैं, तो वे क्यों यह करेंगे? वे भी अलग-अलग माध्यमों से आत्मनिर्भर हैं। सूर्य के मामले में तेज गति से अनुसंधान करके, हम उसके अंदर वही क्रांति का स्वप्न देख रहे हैं, जो मोबाइल के कारण पूरे देश के अंदर, दूरसंचार के माध्यम से आई है। आज से 25 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जेब में ऐसा संयंत्र रहेगा, जिससे देश भर के सारे लोग बात कर लेंगे। लोग ट्रंक कॉल पर ऊंची-ऊंची आवाज में बात करते थे। लेकिन 25 सालों में तकनीक ने यह परिवर्तन कर दिया। सोलर एनर्जी में स्टोरेज, कलेक्शन और उसकी उपयोगिता, इसके ऊपर वैज्ञानिकों का अनुसंधान उतना नहीं हो पाया है, जितना प्रायोगिक रूप से होना चाहिए। जैसे ही वह हो जायेगा, तो देश के अंदर और विकासशील देशों में सोलर एनर्जी के माध्यम से लकड़ी जलने वाली विाय को करीब-करीब समाप्त कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष : के.सी. वेणुगोपाल जी, आप प्रश्न से संदर्भित पूरक प्रश्न पूछिए। अपने पड़ोसी पर नहीं जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उनका असर इनके ऊपर पड़ता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई शेर घुस गया है।

...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam Speaker, climatic change is a major area of concern, especially due to climatic changes there are a lot of unnatural phenomenon which have been reported in the sea coast of the country, particularly in the State of Kerala.

In the name of climate change and other things, the laws made by the Government have become a hurdle for the poor people. For example, I may talk about the CRZ law. I raised this issue many times in this House. The Government

of India and the Government of Kerala are giving money to construct houses for fishermen but due to CRZ norms, they are not in a position to construct small dwelling houses. Just like tribals have their right over forest area, I think, fishermen have their right over the sea area. Therefore, will the Minister think of amending the CRZ law in favour of the poor fishermen?

श्री अनिल माधव दवे : अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो बदलाव समुद्र के व्यवहार में हो रहा है। समुद्र का तापमान 0.9 प्रतिशत के आधार पर यानी एक डिग्री बढ़ा है। पैरिस में हमने दो डिग्री पर कम्प्रोमाइज किया है। अगर विश्व का दो डिग्री तापमान क्लाइमैटिक चेंज में बढ़ता है, तो विश्व का सबसे छोटा टापू देश टुवालू, जो न्यूजीलैंड से ईस्ट और नार्थ के बीच में है, वह सबसे पहले वह डूब जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दो डिग्री का भी हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुद्र किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा हानि होने वाली है।

माननीय सदस्य का जो दूसरा विषय है, वह सी.आर.जेड. से संबंधित है। समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों को अपने घर बनाने, मछली को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट आदि के लिए सी.आर.जेड. के अंदर कई प्रकार की तकलीफें हैं। ये तकलीफें मछुआरों को भी हैं और समुद्र किनारे रहने वाले शहरीय समाज को भी हैं। विशेषकर जैसे मुम्बई को रोड चाहिए, केरल को चाहिए, गोवा की अपनी समस्याएं हैं, तमिलनाडु की अपनी समस्याएं हैं। मैं सी.आर.जेड. पर पूरी तरह विचार करके जो भी व्यावहारिक निदान होगा, उसे बहुत निकट भविष्य में देश के सामने रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि ओडिसा का वह महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां कछुए हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं और वहां ब्रीडिंग करते हैं। जो इंटरनेशनल हैरिटेज साइट्स हैं, वे भी प्रिजर्व हों और मछुआरों के हितों की भी सुरक्षा की जाए। ऐसा संतुलित सी.आर.जेड. के अंदर क्या हो सकता है, इस बारे में विचार चल रहा है।

(Q.325)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्षा जी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। यहां गरीबी तथा बेरोजगारी का प्रतिशत भी काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष, 2013 में लागू किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ढाई र्वा बाद जनवरी, 2016 में लागू किया गया। इसके बावजूद सात महीने का समय निकल गया है, लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में और विशेाकर मेरे बुंदेलखंड के सभी जिलों में आनलाइन करने के बाद भी किसी को राशनकार्ड नहीं मिल पाया है। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ एवं तंत्र नहीं है, इसलिए इस कार्य को करने में बहुत समय लगेगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार यह योजना उत्तर प्रदेश में ढाई साल बाद क्यों लागू की गई है? कुल तीन वर्ष के करीब हो गए हैं, लेकिन अभी भी राशन कार्ड लोगों को नहीं मिले हैं। लोगों को कब तक राशन कार्ड मिलेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को समय पर लागू क्यों नहीं किया है? क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर.चौधरी) : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा समसामयिक और आवश्यकता के अनुरूप प्रश्न पूछा है। भारत सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ओवरआल होल कंट्री 75 परसेंट रूरल और 50 परसेंट अर्बन पापुलेशन को कवर किया है। इन्हें खाद्यान्न बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जा रहा है। आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सैंट्रल गवर्नमेंट का काम इस योजना के तहत अनाज को राज्यों तक पहुंचाना है। अनाज का डिस्ट्रिब्यूशन करना या राशन कार्ड आदि बनाना, यह सारा राज्यों का मैटर है। यह काम स्टेट को करना पड़ता है। यह आर्डिनेंस पहले 5 जुलाई, 2013 को कांग्रेस सरकार के समय में आया था। 10 सितम्बर, 2013 को एक्ट के रूप में आया। इसके पश्चात् सारे राज्यों को आग्रह किया गया कि आप इसे अपने यहां इम्प्लीमेंट करें। 5 जून, 2014 तक केवल 11 राज्यों ने इसे अडाप्ट किया और अपने यहां लागू किया। इसके पश्चात् एडवाइजरी, सलाह, रिक्वेस्ट केंद्र द्वारा राज्यों को भेजी जाती रही है और आज की तारीख में 34 राज्यों ने इसे लागू कर दिया। मात्र तमिलनाडु, केरल प्रोसेस के अंदर हैं।

जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2016 को इसे लागू किया है। केवल उत्तर प्रदेश ही अकेला ऐसा राज्य नहीं है, जिसने इस योजना को देर से लागू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि 69.6 परसेंट रूरल और 64.5 परसेंट अर्बन पापुलेशन को कवर करना है। दुर्भाग्यवश सभी को कवर नहीं किया गया है। आज की तारीख में इनके पास 84 लाख

इनके पास सब्सिडाइज्ड लोगों का चयन करना इनके जिम्मे है, जो अभी तक इन्होंने नहीं किया है। मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को कहा जाएगा कि कृपया इस काम को करें। राज्य सरकार को हर समय अनाज देते रहे हैं, अनाज की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना मांगा है, उतना दिया जा रहा है। 84 लाख लोग कवर होने चाहिए, वे नहीं हो पाए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध किया जाएगा कि इस काम को करें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री राजेश रंजन, जय प्रकाश नारायण यादव, कौशलेन्द्र कुमार, पी. करूणाकरन, दुयंत चौटाला, शैलेश कुमार, कोडिकुन्नील सुरेश, प्रो. सौगत राय, एन.के. प्रेमचन्द्रन, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, के.एच. मुनियप्पा, राजीव सातव, के.सी. वेणुगोपाल, संतोख सिंह चौधरी और रवनीत सिंह से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज के कार्य में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों पर उठाये जा सकते हैं।

अतः मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.02 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House will now take up Papers to be Laid on the Table.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा(6) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 471(अ) जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुइ थी तथा जिनके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि चीनी का कोई भी व्यवहारी उसके द्वारा चीनी का स्टॉक प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन से ज्यादा अवधि के लिए ऐसे स्टॉक का धारण नहीं करेगा तथा उसमें उल्लिखित स्थानों पर उनके सामने दर्शाने गई मात्राओं से अधिक मात्रा में किसी भी समय चीनी स्टॉक में नहीं रखेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 5095/16/16]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनिल माधव दवे): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) प्लास्टिक उपशिट प्रबंधन नियम, 2016, जो 18 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जैव-चिकित्सा अपशिट प्रबंधन नियम, 2016 जो 28 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विनिर्माण और ध्वंस अपशिट प्रबंधन नियम, 2016, जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ठोस अपशिट प्रबंधन नियम, 2016 जो 8 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5096/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) नेशनल सीड्स कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच र्वा 2016-17 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5097/16/16]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2012- 2013 का वार्िक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5098/16/16]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री किरेन रिजीजू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, समूह 'क' राजपत्रित, योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, समूह 'क' राजपत्रित, गैर-योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, समूह 'ख', समूह 'ग', अराजपत्रित, योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5099/16/16]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, मोटर वाहन परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 692 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल, मोटर (इंजीनियिरंग/इलैक्ट्रिकल) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 688 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा सुरक्षा बल, मोटर इंजीनियिरंग व्यवस्था (सिविल) योद्धक (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा सुरक्षा बल, मोटर जल स्कंध समूह 'ख' (योद्धक तकनीकी स्टाफ) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) सीमा सुरक्षा बल, मोटर (इंजीनियिरंग/इलैक्ट्रिकल) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 693 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 5100/16/16]

(4) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2016 जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5101/16/16]

(5) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2016 जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 703(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5102/16/16]

(6) संघ सरकार के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा इसके प्रगामी प्रयोग में तेजी लाए जाने के लिए कार्यक्रम तथा वर्ष 2014-15 के लिए इसके कार्यान्वयन के बारे में 46वां वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5103/16/16]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृणपाल गुर्जर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) सोसाइटी ऑफ क्रिट ज्योति (नव वाणी स्कूल), वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्िाक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी ऑफ क्रिट ज्योति (नव वाणी स्कूल), वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5104/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014- 2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014- 2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5105/16/16]

(3) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड (पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक तथा पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 12-5/2015-वीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5106/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli, for the years 2012-2013 and 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No.LT 5107/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.694(E) in Gazette of India dated 14h July, 2016 under Section 52 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 5108/16/16]

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Central Railside Warehouse Company Limited and the Central Warehousing Corporation for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5109/16/16]

<u>12.03 hours</u>

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

I. 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 1st August, 2016 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-

> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate four Members from Rajya Sabha *vice* Shri V. Hanumantha Rao, Shri Ashk Ali Tak, Shri Vishambhar Prasad Nishad and Shri Rajpal Singh Saini, retired from the Rajya Sabha, to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the unexpired portion of the term of the Committee and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, four Members from amongst the Members of this House to serve on the said Committee. "

* Laid on the Table.

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

(i). Shri Vishambhar Prasad Nishad
(ii). Shri Husain Dalwai
(iii). Shri N arendra Budania
(iv). Shri Rajaram'

II. 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 1st August, 2016 adopted the following Motion in regard to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate two Members from Rajya Sabha *vice* Shri Ramdas Athawale, appointed as Minster and Dr. Vijaylaxmi Sadho, retired from the Rajya Sabha, to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, two Members from amongst the Members of this House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

(i) Shri Ramkumar Verma
(ii) Shri Pradeep Tamta'

III. 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 1st August, 2016 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Accounts:-

> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha *vice* Shri Vijay Goel, appointed as Minister, to associate with the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of the term of the Committee and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of this House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, Shri Bhupender Yadav, Member, Rajya Sabha has been duly elected to the said Committee.'.

IV. 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 1st August, 2016 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Undertakings:-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate two Members from Rajya Sabha *vice* Shri Praful Patel and Shri Ram Chandra Prasad Singh, retired from the Rajya Sabha, to associate with the Committee on Public Undertakings for the unexpired portion of the term of the Committee and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, two Members from among the Members of this House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

(i) Shri Praful Patel

(ii) Shri Ram Chandra Prasad Singh'

v. 'I am directed to inform you that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 8th August, 2016 adopted the following Motion regarding filling up of the causal vacancies in the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015:-

MOTION

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint three Members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015 in the vacancies caused by the retirements of Shri Jairam Ramesh, Shri Sharad Yadav and Shri Rajpal Singh Saini from the Rajya Sabha and communicate to the Lok Sabha the names of the Members so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Shri Jairam Ramesh, Shri Sharad Yadav and Shri Veer Singh be re-appointed/appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies. '

I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Mental Healthcare Bill, 2016 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August, 2016."

2. I lay on the Table the Mental Healthcare Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha on the 8th August, 2016.

12.04 hours

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
8th Report

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2015-2016).

12.05 hours

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
281st Report

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदया, मैं 'राष्ट्रीय खेल विकास निधि का निष्पादन और खिलाड़ियों की भर्ती तथा पदोन्नति - (भाग-तीन)' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 281वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.06 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : महोदया, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on Table and also placed in Library, See No.5110/16/16.

12.06 ½ hours

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

12.07 hours

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 189th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 176th Report of the Committee on 'Functioning of Delhi Police'', pertaining to the Ministry of Home Affairs*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली पुलिस के कार्यकरण' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई के संबंध में समिति के 189वें अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on Table and also placed in Library, See No. LT 5111/16/16 and 5112/16/16, respectively.

12.07 ½ hours

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 3616 DATED 11.08.2015 REGARDING CONTRACTUAL PREFERENCE TO SC ALONGWITH REASONS FOR DELAY*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

'अनुसूचित जातियों को ठेके में प्राथमिकता' के बारे में डॉ. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के संबंध में 11 अगस्त, 2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (2) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* Laid on Table and also placed in Library, See No LT .5113/16/16.

मंत्रालय को दिनांक 08.12.2015 को उत्तरार्थ प्रश्न संख्या 1429 के उत्तर में हुए एक गलती के बारे में डा. उदित राज, संसद सदस्य (लोक सभा) से दिनांक 17.02.2016 को अ.शा. पत्र प्राप्त हुआ। मामले की विस्तृत जांच की गई थी और यह पाया गया था कि दिनांक 11.08.2015 को उत्तरार्थ प्रश्न सं. 3616 के उत्तर में त्रुटि हुई है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की अधिसूचित सार्वजनिक प्रापण नीति से संदर्भ आंकड़ें लेते समय हुई थी।

जैसे ही इस गलती का पता चला, मंत्रालय द्वारा सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

इस संबंध में हुई असुविधा के लिए खेद है।

<u>संशोधित उत्तर</u>

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3616
उत्तर देने की तारीखः 11.08.2015

अनुसूचित जातियों को ठेके में प्राथमिकता

3616. डॉ. उदित राज

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय का सभी प्रकार के सरकारी आपूर्ति/ठेके/निविदाओं इत्यादि में अनुसूचित जातियों के ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देने हेतु 142 और 144 जीएफआर में संशोधन करने हेतु वित्त मंत्रालय से आग्रह करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय सांपला)

(क) और (ख) : मंत्रालय का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से जीएफआर 142 और 144 को संशोधित करने के लिए अनुरोध करने का नहीं है तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की नई सार्वजनिक प्रापण नीति, जिसे 23.03.2012 को अधिसूचित किया गया था, में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि **''सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वार्षिक प्रापण के 20S लक्ष्य में से, 20S का उप-लक्ष्य (अर्थात् 20S का 4S) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों से प्रापण के लिए उद्दिष्ट किया जाएगा।''**

12.07 ¾ hours

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1429 DATED 8.12.2015 REGARDING AMENDMENT IN GFR 142 AND 144 ALONGWITH REASONS FOR DELAY *

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

'जीएफआर 142 और 144 में संशोधन' के बारे में डॉ. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1429 के संबंध में 8 दिसंबर, 2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (2) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

* Laid on Table and also placed in Library, See No. LT 5114/16/16.

मंत्रालय को दिनांक 08.12.2015 को उत्तरार्थ प्रश्न संख्या 1429 के उत्तर में हुए एक गलती के बारे में डा. उदित राज, संसद सदस्य (लोक सभा) से दिनांक 17.02.2016 को अ.शा. पत्र प्राप्त हुआ। मामले की जांच की गई थी और यह पाया गया था क प्रश्न के उत्तर में एक गलती हुई थी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की अधिसूचित सार्वजनिक प्रापण नीति से संदर्भ आंकड़ें लेते समय हुई थी। जैसे ही इस गलती का पता चला, मंत्रालय द्वारा सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

इस संबंध में हुई असुविधा के लिए खेद है।

संशोधित उत्तर

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1429
उत्तर देने की तारीखः 08.12.2015

जीएफआर 142 और 144 में संशोधन

1429. डॉ. उदित राज

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्रस्ताव न मिलने के कारण सरकारी अनुबंधकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं/निविदाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के लिए वित्त मंत्रालय जीएफआर 142 और 144 को संशोधित नहीं कर सका;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव को नहीं भेजे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा जीएफआर 142 और 144 को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव में मंत्रालय द्वारा सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारी अनुबंधों/आपूर्तिकर्ताओं/निविदाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस मुद्दे से संबंधित जनवरी 2015 तक प्राप्त वीआईपी सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय सांपला)

(क) से (ग) : मंत्रालय का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से जीएफआर 142 और 144 को संशोधित करने के लिए अनुरोध करने का नहीं है तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की नई सार्वजनिक प्रापण नीति, जिसे 23.03.2012 को अधिसूचित किया गया था, में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि **''सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वार्षिक प्रापण के 20ऽ लक्ष्य में से, 20ऽ का उप-लक्ष्य (अर्थात् 20ऽ का 4ऽ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों से प्रापण के लिए उद्दिष्ट किया जाएगा।''**

(घ) : मध्य प्रदेश सरकार, वर्ष 2002 से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उद्यमियों से सरकारी खरीद के कम से कम 30ऽ भाग की खरीद करने की नीति को क्रियान्वित कर रही है।

(ड.) : जनवरी, 2015 में विशिष्ट व्यक्ति का एक संदर्भ प्राप्त हुआ था और संबंधित सदस्य को अप्रैल, 2015 में सूचना भेज दी गई थी।

12.08 hours

ELECTION TO COMMITTEE

General Council of Rehabilitation Council of India

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 34) (2000 में यथासंशोधित) की धारा की धारा 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद् की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक या उनके उत्तरवर्ती की विधिवत नियुक्ति होने तक, जो भी अधिक हो, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (h) of Sub-section (3) of Section-3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (No. 34 of 1992) (as amended in 2000), read with Section 4 of the said Act, the Members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct two members from amongst themselves to serve as members of the General Council of Rehabilitation Council of India for a term of two years from the date of their appointment or until their successor shall have been duly appointed whichever is longer, subject to the other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.09 hours

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2016

HON. SPEAKER: Shri Nitin Gadkari.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Let him introduce the Bill. उसके बाद आप अपनी बात कहिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The Minister is introducing the Bill. पहले उनको बोलने दीजिए।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only the speech of Shri Nitin Gadkari will go on record.

…(Interruptions)… *

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI NITIN GADKARI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988."

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am on a point of order.

What I am saying is this. There is a rule in this House that before a Bill is to be introduced in the House, it ought to be circulated among the Members at least two days before the introduction. This is a very important Bill to amend the Motor Vehicles Amendment Act in which many new fines, etc. would be imposed. I have to oppose the introduction of the Bill but before seeing the Bill, how will I oppose the introduction. We would like to bring amendments to the Bill. As it is today, no papers have come from Parliament. Till yesterday, this Bill has not been

* Not recorded.

circulated. Today also, it has not been laid on the Table. In these circumstances, don't let the Minister to introduce the Bill today. Let the Bill be circulated today. With your permission, tomorrow, he can introduce the Bill and take up motion for consideration. This scrappy work of the Ministry should not be condoned by Parliament.

Otherwise we will be setting a bad precedent, taking away the normal rights of Members to raise objections. I do not know whose fault it is, whether it is the Minister's fault or whether it happened from the side of the Secretariat. But this is a matter which should be looked into before you allow him to introduce the Bill. Let the Members not be deprived of their normal rights. … (*Interruptions*)

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam Speaker, we also oppose the introduction of this Bill. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, a detailed discussion has to be done. Nearly 79 clauses are there. We are very enthusiastic to support all the proposals of the Minister because he is taking some interest to improve road safety. So we do not want to block his move. But we should go according to the rules. The rules are very important and discussion is also important. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपकी तरफ से एक माननीय सदस्य ने बोला है, हां, आपको क्या कहना है?

… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam Speaker, it is not so in my case, to be honest. This morning, while I was leaving my house I got this packet. It is a voluminous Bill and we require to apply our mind as we are all stakeholders. … (*Interruptions*) आप ऐसे कुछ मोडिफिकेशंस मत करो, ताकि शुरू में ही एक्सीडेंट्स हो। आप एक्सीडेंट्स रोकना चाह रहे हो। इसलिए जो हमारे रूल्स में है, जैसा प्रो.सौगत राय जी ने बताया है, मैडम, आप इसे कन्डोन मत करो। यह सिर्फ आप ही कर सकते हो तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि रूल्स के प्रावधान के मुताबिक ही गाड़ी चले, तभी कानून भी ऐसे ही चलेगा।

HON. SPEAKER: Copies of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 have already been circulated today morning.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): We have not got it. … (*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: We have not got it. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He has received it.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: See your papers.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It has already been circulated.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is only introducing the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have also acceded to the Minister's request for waiver of Directions 19 (a) and 19 (b). I have given the waiver. He is only introducing. After that, you have to decide whether to discuss or not.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is only introducing it now. That is all.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Our right to raise objections is stripped off. … (*Interruptions*)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : मैडम, मैं आपकी मार्फत सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आपको इसे लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : आप इस बिल को इंट्रोड्यूस मत कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Kalyanji, please listen to him.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way.

श्री नितिन गडकरी : मैडम, इस बिल को सबको सर्कुलेट किया गया है। इसमें एक ही अड़चन है, जिसके लिए मैं आपकी मार्फत सभागृह को प्रार्थना करूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो मुझे आग्रह नहीं करना है। मैं आपको एक बात कहूंगा कि यह बिल एक साल से पैंडिंग है। इस बिल का संबंध इस बात से है कि देश में डेढ़ लाख एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं और पूरी तरह से क्योस हुआ है। इसके लिए सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, जिसमें वैस्ट बंगाल से लेकर केरल तक 18 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के साथ कमेटी बनाकर उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया है। हमने पुराना बिल विदड्रा किया है और उन्होंने यह अपघात और एक्सीडेंट्स रोकने के लिए जो सुझाव दिये है, उन्हें हम लाये हैं। एक साल से हम कुछ नहीं कर पाये, न ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार कर पाये और न नियमों में सुधार कर पाये, क्योंकि इस पर सहमति नहीं बनी। आज अगर मैं यह बिल पेश नहीं करूंगा तो अगले सैशन तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप टी.वी. खोलने के बाद देखेंगे कि रोज एक्सीडेंट्स में दो सौ, तीन सौ लोग मर रहे हैं। …(व्यवधान) मेरा इसमें कोई आग्रह नहीं है, कोई पोलिटीकल सब्जैक्ट नहीं है। मुझे इतनी ही चिंता है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार हो। आज अगर आपने यह नहीं होने दिया तो फिर राज्य सभा में जाकर यह इस सैशन में पास नहीं हो पायेगा। आलरेडी सभी पोलिटिकल पार्टीज के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के द्वारा दिये गये सुझाव मैं आपको इस बिल की मार्फत दे रहा हूं।

बिल के ऊपर आप जो भी सुझाव देंगे, उसके लिए मैं ओपन माइंड से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और इसके बाद भी आपकी सबकी सहमति इस अधिवेशन में नहीं होगी तो यह मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी है। आप जो कहेंगे, वैसा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसमें लोगों की जान बचाने की जो बात है, उस बात को देख कर आप विचार कीजिए। बाकी आपको जो सोचना है, वह कीजिए। …(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: The hon. Minister has said that unless it is passed here, it cannot be taken up in the Rajya Sabha within this week. Now, today, the discussion is not going to take place. Even if it is taken up early, it would be taken up only tomorrow.

The Bill has not been introduced yet. So, Mr. Minister, you may introduce the Bill tomorrow; let us have the discussion tomorrow itself; and then send it to the Rajya Sabha.

Today, if you introduce the Bill, you cannot send it to the Rajya Sabha… (*Interruptions*)

There may be 18 State Ministers, who might have attended the meeting with you. But we have also a right to speak. Kindly do not take away our right… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बोलिए। इंट्रोड्युज़ भी नहीं करना हो तो बताइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह एक महत्वपूर्ण बिल होने की वजह से सभी सदस्य यह चाहते हैं कि इसको स्थायी समिति में भेज देना चाहिए, ताकि इस पर डीटेल्ड डिस्कशन हो जाए और इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन न रहे। स्थायी समिति की जो रिपोर्ट आएगी सर्वसम्मति से एज़ इट इज़ उसको पास कर देंगे। मंत्री जी, आपके पीछे पूरा सदन खड़ा हुआ है, आप क्यों घबरा रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। …(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : खड़गे साहब, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : एक महीने में कुछ होने वाला नहीं है। …(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : खड़गे साहब, आप एक नहीं तीन महीने लगाएं, मैं आपके साथ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, आप एक टाइम लिमिट तय दीजिए कि इतने दिन में कमेटी रिर्पोट दे तो फिर एक महीने में करना है तो एक महीने में खत्म कीजिए। …(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : महोदया, यह सभा सार्वभौम है। मंत्री होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं आप सबके साथ बिल्कुल कटिबद्ध हूँ। एक साल से यह जो पुराना बिल था, वह ड्रॉप हुआ, फिर केवल इसमें सुरक्षा की दृष्अि से, रोड़ सेफ्टी की दृष्टि से जितने सुझाव आए, केवल वही हैं। जिसमें 18 राज्यों के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर ने, जिसमें सभी पार्टियों के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर शामिल थे, उन्होंने सर्वसम्मति से पुराने बिल में रास्ते की सुरक्षा के लिए जो सुझाव दिए हैं, वही आए हैं, नया बिल तो बाजू में रखा है। दूसरी बात मैं आपको

नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि बिल ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के लिए पास भेजना है तो कोई अड़चन नहीं है क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु इसके कारण, इम्प्लिमेंट न करने के कारण रोज़ एक्सिडेंट की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, कि हम लोग उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लीजिए न ...(व्यवधान) इसके ऊपर आपको अगर नहीं करना है, ...(व्यवधान) अगर आपको ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजना है ...(व्यवधान) मंजूर नहीं करना है तो आपका अधिकार है। ...(व्यवधान) लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मैं भावनात्मक दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। आप अगर नहीं करना चाहेंगे तो ज्वाइंट सलेक्शन कमेटी को भेजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ...(व्यवधान) खड़गे साहब मुझे कोई जल्दी नहीं है। ...(व्यवधान) मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि केवल सुधार जो हैं, वे 18 राज्यों के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर्स ने बताएं हैं, सिर्फ उतना ही है। उसके बाद भी अगर आप जो भी सुझाव देंगे, मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसमें समय ज्यादा जाने से और जानें जा सकती हैं, आप इसके ऊपर सोचिए, आप जो कहेंगे, वह मैं करने के लिए तैयार हँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इंट्रोड्यूज़ तो करने दो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, यह तो केवल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद ही आप सोचेंगे, अमेंडमेंट्स देंगे। डिस्कशन करना है कि नहीं करना है, यह बीएसी में तय कीजिए। अभी कोई डिस्कशन भी तो नहीं ले रहे हैं। He is only introducing. इंट्रोडक्शन पर आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? बाद में निर्णय करो न कि कमेटी में भेजना है या नहीं। I am not asking you. It is only introduction.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988."

The motion was adopted.

SHRI NITIN GADKARI: Madam, I introduce the Bill.

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको एक साथ तो बोलने का मौका नहीं दे सकती हूँ। एक के बाद सबको बोलने का अवसर दूंगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow it.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मुझे पता है कि आज आदिवासी दिवस है। दो-तीन लोगों ने इसके लिए नोटिस दिया है। मैं पहले उनको ही बोलने का अवसर दे रही हूँ।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not saying 'no'.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आज उन सभी लोगों को पहले मौका दे रही हूँ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज आदिवासी दिवस है, आप सब बोलना चाहेंगे। मैं सभी के नाम बुलाऊँगी। आपको भी बोलने का मौका दूँगी।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत।

…(व्यवधान)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Madam, first of all, I would like to extend my warm wishes to all the tribals across the country and across the world.

Tribals have not just been an integral part of this country but have added to the rich culture and heritage of India. Tribals in the country have been at the forefront strengthening democracy, promoting gender empowerment and practising the best human traditions. However, after 69 years of Independence of the country, there have been many issues which have yet been neglected with regard to tribals.

The Government has formulated many schemes for the welfare of tribals but the overall socio-economic indicators with regard to the tribals give us a very depressing picture.

Madam, the Human Development Index in all the tribal areas across the country is very low as compared to the national average. The literacy rate of the country today is 74 per cent but if we see of the tribals it is 59 per cent. It is very low in the States which have more tribal population like Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Odisha, where we see a gap of literacy between the general population and the tribal from 18 per cent to 26 per cent.

If we see, 48 per cent of the mothers, who belong to the tribal community, are undernourished. Every second tribal child is having stunted growth. About 29 per cent of the tribal children, who have stunted growth, are put in severely stunted category.

In 2012, according to a Report of the Planning Commission, 45.3 per cent of the tribals, who are living in rural areas, belong to below the poverty line. If we see the general population, it is 21.7 per cent that belongs to below the poverty line. So, it is almost double of what we see in the economic terms. In urban areas, 24 per cent tribal people belong to below the poverty line whereas 13.7 per cent general population belong to below the poverty line.

Now, I am coming to my Parliamentary Constituency Nandurbar. We are having the lowest Human Development Index in the State. The literacy rate of Nandurbar is also the lowest. We rank fifth in infant mortality in the State.

Therefore, Madam, through you, I would like to request the Government to evaluate all the schemes meant for tribals and make a time-bound programme so that all the indicators can be improved.

Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Rabindera Kumar Jena, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Ramsinh Rathwa and Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava are permitted to associate with the issue raised by Dr. Heena Vijaykumar Gavit.

12.22 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Some derogatory remarks made in an advertisement published in certain newspapers in Madhya Pradesh

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का समय दिया। आज पूरे विश्व का आदिवासी दिवस है। अब सरकार तो बेखबर है।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, बेखबर नहीं है।

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, अगर आपकी आसन्दी से आदिवासियों के लिए बधाई हो जाती तो बहुत अच्छा होता। आज देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं। आज पूरे विश्व का आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर अगर सभी आदिवासियों को शुभकामनाएँ दे देते तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता। हमारे 50 से अधिक सांसद हैं। यह आदिवासियों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हम आदिवासियों को भूलकर बैठे हैं। आज प्रधान मंत्री जी मेरे क्षेत्र झाबुआ-अलीराजपुर में गए हैं। कल देर तक पार्लियामेंट चली थी। मैंने उनके यहाँ लिखकर दिया था कि मैं आपके साथ आ सकूँ, क्योंकि आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला और प्रधान मंत्री जी चले गए, चलिए कोई बात नहीं। वहाँ पर एक विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन पर लिखा था कि प्रधान मंत्री जी आज जाकर आदिवासियों का उन्मूलन करेंगे।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदया, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान) इससे आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुँची है।...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, आप देखिए यह विज्ञापन छपा है।...(व्यवधान) यह उस विज्ञापन पर प्रधान मंत्री जी का फोटो है और यह उस पर लिखा हुआ है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह मत दिखाइए।

...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, यह बहुत दुःख की बात है।...(व्यवधान) आज पूरा देश दुखी है।...(व्यवधान) आदिवासियों का उन्मूलन करने का मतलब है कि आदिवासियों को जड़ से खत्म करना।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का यह विज्ञापन है।...(व्यवधान) आप इसे देख लीजिए।...(व्यवधान) मैडम, आप मेरी बात सुनें।

माननीय अध्यक्ष : वह आपको बोलने दें तभी तो हम आपकी बात सुनें। आदिवासी का मुँह दबा रहे हो, क्या बात है? आप बोलिए।

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, आपने कृपा की है। आज आदिवासियों को आपकी आसन्दी से शुभकामना संदेश मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। पूरे विश्व के आदिवासियों को और मध्य प्रदेश में 12 करोड़ आदिवासी हैं तो उनको आपकी तरफ आशीर्वाद के रूप में यह मिल जाए।

दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश से यह विज्ञापन आया है कि प्रधान मंत्री आज चन्द्रशेखर आजाद की जन्मभूमि जाकर आदिवासियों का उन्मूलन करेंगे। मतलब जड़ से खत्म कर देंगे? आदिवासियों को भूल जाएँगे? यह विज्ञापन है, इसमें प्रधान मंत्री जी का फोटो है। ...(व्यवधान) आज आदिवासियों का इतना अपमान? आज बधाई देने के बजाय ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत हुआ है।

श्री कांति लाल भूरिया : आज आदिवासियों का विश्व दिवस है। वह उनका उन्मूलन करके खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो यह गलत बात है। यहाँ होम मिनिस्टर बैठे हैं। वे इस बात की जाँच कराएँ और जिसने यह छापा है, जिन जिन के फोटो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह आदिवासियों का अपमान है। आज यह विश्व के आदिवासियों का अपमान है। मध्य प्रदेश के 12 करोड़ तो हैं ही, पर उनके साथ इतनी बड़ी गलती! ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री आज मेरे क्षेत्र में गए। क्या प्रधान मंत्री मुझे आज साथ ले जा नहीं सकते थे? मैंने यह लैटर कल लिखकर दिया है कि प्रधान मंत्री जी, आप कल आ रहे हैं, मैं आपके साथ आऊँगा क्योंकि आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हैं, पर मुझे जवाब नहीं मिला। पार्लियामैंट लेट होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। आज उस क्षेत्र के सांसद के साथ इतना बड़ा उन्होंने ... * किया, आदिवासियों का अपमान किया? मैं वहाँ से आदिवासी सांसद हूँ, इसलिए मुझे उन्होंने वहाँ पर नैगलैक्ट किया? यह बड़े दुख की बात है। गृह मंत्री जी इसका जवाब दें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जाँच करें जो भी हुआ है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जहाँ तक आदिवासी समाज का प्रश्न है, भारत कभी भी आदिवासी समाज के योगदान को भूल नहीं सकता है। मैं यह मानता हूँ कि भारत की पहचान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है, तो वह आदिवासी समाज का है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति को एनरिच करने में, समृद्धशाली बनाने में बहुत बड़ा योगदान है तो हमारे आदिवासी समाज का है। यदि आज आदिवासी दिवस है तो उस अवसर पर मैं समस्त देश के आदिवासियों को दुनिया

* Not recorded.

के दूसरे देशों में यदि हमारे आदिवासी बंधु रह रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हालांकि पोस्टर मैंने देखा नहीं है, उसको मैं देखूँगा और उस संबंध में मैं पता लगाकर जो कुछ भी होगा, स्पीकर महोदया को उसकी जानकारी दे दूँगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गुप्ता जी प्लीज़ बैठिये। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आदिवासियों का सम्मान सब करते हैं, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, जब कभी भी ऐसे फंक्शंस होते हैं और किसी भी माननीय सदस्य की कांस्टीट्युएंसी में प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी या कोई भी मंत्री जाते हैं, तो कम से कम उनको इनफॉर्म करके, उनको भी विश्वास में लेकर उस फंक्शन को अटैंड करने की सुविधा देनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद एम.पीज़ को लेकर जाते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, हम आपकी बात समझ गए हैं, आप बैठिये।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज 9 अगस्त का दिन विश्व आदिवासी दिवस है। यह दिन आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए, आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर अधिकार को स्थायी रूप से दिए जाने और आदिवासियों की विशेष पहचान, संस्कृति, अस्तित्व, अस्मिता और आत्मसम्मान हमेशा दिये जाने की व्यापक जनजागृति के लिए 23 दिसम्बर, 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रस्ताव पारित किया। उसके अनुसार 9 अगस्त, 1995 को पहला विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तब से पूरे विश्व में आज के दिन यह आदिवासी दिवस मनाया जाता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में आज कम से कम 1 करोड़ 40 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन है। 1995 तक वहाँ बोगस आदिवासियों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियों में अतिक्रमण हो रहा है। 1995 तक 1 लाख से ज्यादा बोगस आदिवासी लोग आदिवासियों के नाम पर वहाँ रिक्रुटमैंट में आ गए हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि बहुत अतिक्रमण वहाँ महाराष्ट्र के आदिवासियों का हो रहा है। अभी धनी समाज भी आदिवासियों में आ रहा है। आदिवासियों और धनी समाज की संस्कृति में ज़मीन आसमान का अंतर है।

यदि उन्हें इसमें प्रवेश दिया गया तो यह भारतीय संविधान के खिलाफ होगा। आपके माध्यम से मेरी सरकार से विनती है कि धनगड़ समाज को आप किसी भी सूची में आरक्षण दे दें। वहां के आदिवासी लोग

धनगड़ समाज को आदिवासी की सूची में आरक्षण देने के विरोध में हैं, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं।

HON. SPEAKER: Dr. Heena Vijaykumar Gavit is permitted to associate with the issue raised by Shri Harishchandra Chavan.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Thank you Madam for giving me this opportunity. मैडम, यहां पर आदिवासी की समस्या आने से पहले आज जो यहां से देखा है, what is the importance of 9th August? Why are we celebrating this festival? There are guidelines from a group of United Nations people. They have worked on these issues particularly on the tribal issues. They have directed all the nations on 23rd December, 1994 to observe 9th August as an Adivasi Diwas. It is the International Adivasi day and I congratulate all the 12 crore Adivasi population of this nation and also the people who are outside the nation.

मैडम, मैं बस एक मिनट में इसे बता देना चाहता हूं। अभी हमारे गृह मंत्री जी आदिवासी के बारे में बता रहे थे कि their role is very important for this country.

Madam, since immemorial times, the adivasis are preserving and conserving the folk, culture and heritage of this nation without any script. They are continuing.

Madam, now in this country, there are guidelines from the United Nations. Why is this Government not implementing the guidelines of the United Nations to celebrate Adivasi festival as a State festival or the Nations festival? Why are they not instructing the universities and also Tribal Welfare Department? The Tribal Welfare Department should implement this Adivasi Diwas? What is the importance of this Adivasi Diwas? It is to protect and conserve the rights of the Adivasis. What kind of rights are they protecting?

Madam, there are many false certificates in this country? They are not taking any initiation. They are not observing it. They are not having any fast track system to identify the caste certificate. Some political leaders are also involved in this. They are coming to this House with false certificates.

माननीय अध्यक्ष : श्री रामसिंह राठवा - उपस्थित नहीं।

श्री लक्ष्मण गिलुवा - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस हो गया। लम्बा भाषण नहीं दीजिए। बात केवल हो गयी।

दशरथ तिर्की जी।

बस बधाई दे दीजिए और कल्पना कीजिए कि उनकी उन्नति हो जाए। लम्बा भाषण नहीं।

श्री दशरथ तिर्की (अलीपुर द्वारस) : मैडम, हमें बोलने का जो आज सुअवसर मिला है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

आज 'आदिवासी दिवस' है। हमारे पार्लियामेंट हाउस के सभी सदस्यों को मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश के आदिवासियों को देश का प्रथम निवासी माना है। लेकिन, आज आदिवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, यह आप सभी को मालूम है। जगह-जगह हम लोग देख रहे हैं, पत्रिका में पढ़ने को मिलता है कि आज भी आदिवासियों को निगृहीत किया जा रहा है। हालांकि, आज पश्चिम बंगाल में हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो हम लोगों की दीदी हैं, वे आज भी हमारे आदिवासियों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए बहुत मदद कर रही हैं। मैं सदन को और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे आदिवासियों की उन्नति के लिए आप क्या-क्या कदम उठाएंगे?

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : मैडम, आज 'आदिवासी दिवस' पर एक आदिवासी की तरफ से आपको और पूरे सदन को मैं झारखंडी जौहार देना चाहूंगा। मैं एक मुद्दा आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि आदिवासियों का धर्म अलग हो सकता है, पर आदिवासियों की जाति आदिवासी ही होती है। लेकिन, जब पॉपुलेशन की गणना होती है, तो उसमें उनकी गणना ठीक ढंग से नहीं की गयी है। इसलिए इनका पॉपुलेशन कैलकुलेशन उनकी जाति के आधार पर हो और उसे ठीक ढंग से पेश किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : सबको बधाई और जितने भी लोग चाहें, सभी इसमें सहयोगी बनें।

Shri Balbhadra Majhi is permitted to associate with the issue raised by Shri Vijay Kumar Hansdak.

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Madam Speaker, Vanakkam.

With the blessings and guidance of our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, Dindigul has developed in a big way as a city corporation and also it has been selected under the Smart City Scheme. The

Government of Tamil Nadu under the leadership of our Amma has installed automatic traffic signal system on prime road junctions. Sufficient police personnel are also deployed at points, and police personnel are posted at each signal point for the safety of pedestrians.

In spite of that, traffic congestion is becoming significantly worse and more widespread. Scores of residential colonies, commercial development along the roadside and a slew of educational institutions have come up along the highway, which has generated huge/ heavy vehicle traffic.

The heavy volume of traffic has triggered a demand for an outer ring road to avoid the inter-city vehicle traffic congestion within the city.

An Outer Ring Road (ORR) or popularly known as the ring road, a four-lane highway like road, which encircles the Dindigul city, is the only solution. The objective is of relieving the congestion within the city and also for catalyzing even dispersal of urban growth.

This proposed project will reduce congestion in the heart of the city by diverting vehicles from the following highways that are not intended to reach Dindigul but are just passing through:-

1. Karur-Dindigul road
2. Kuzhiliamparai-Nandavanapatti road
3. Trichy-Seelapadi road
4. Natham, Siluvathur-MM Kovilur road
5. Madurai road
6. Vathalakundu road, and
7. Palani bypass road

When an outer ring road is constructed, all these highways intersect the Outer Ring Road at some point, about five kilometres from the city, and they will connect to the four-lane road to prevent all the heavy vehicles from entering into the town. This proposed Outer Ring Road will serve as a bypass as well as a city road for the city.

I urge upon the Central Government to approve and sanction fund from the Central Road Fund for the proposed Outer Ring Road.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री एम. उदयकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आज आदिवासी दिन पर देश और विदेश के सभी आदिवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस माध्यम से आज ओबीसी का भी एक विषय यहां रखता हूं। डा. बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340, 341 और 342 में पिछड़ी जातियों के लिए, जो शोषित, पीड़ित हैं, उनके लिए न्याय व्यवस्था बनाई है। उसी माध्यम से मैं ओबीसी का एक विषय यहां पर रखता हूं।

देश के विभिन्न राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, असम, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बड़े पैमाने पर लोधी, लोधा व लोध जाति की उपस्थिति केंद्रीय पिछड़ा वर्ग में है। जहां इस जाति को अन्य पिछड़ी जाति के रूप में दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन देश के महाराष्ट्र राज्य की इस जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में सन् 2004 में राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया गया था। इस जाति के वास्ते सांसदों एवं लोधी जाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी केन्द्रीय स्तर पर इसका अनेक बार प्रयास किया है। महाराष्ट्र राज्य के भंडारा-गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, गड़चिरोली, अकोला, यवतमाल, वाशिम, अमरावती, जलगांव, नांदेड, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, मुंबई, ठाणे सहित अनेक जिलों में यह जाति बड़ी तादाद में उपस्थित है एवं महाराष्ट्र राज्य में लोधी, लोधा, लोध जाति के अधिसंख्य लोग सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि लोधी जाति को केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में सूचीबद्ध करे ताकि देश में पिछड़ी जाति में अधिसूचित इस जाति के महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले लोगों को समान अधिकार के तहत अपना अधिकार मिल सके। निश्चित रूप से ओबीसी जाति के लिए ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पढ़ने के बाद और बोलने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री नाना पटोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.39 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd....

(ii) Re: Reported issue of putting bar on students to sing National Anthem on Independence day in a school at Saidabad in Allahabad, Uttar Pradesh

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, परसों इलाहाबाद, शाहिदाबाद में जो घटना घटी, उसके प्रति मैं आपके द्वारा सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : शहीदाबाद स्कूल में राष्ट्रगीत, 15 अगस्त को जन-गण-मन कहने के ऊपर उस स्कूल प्रशासन ने, उनके जो मालिक जियाउल हक हैं, उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। इसके पहले वंदेमातरम पर प्रतिबंध कहा था, सरस्वती वन्दना के ऊपर प्रतिबंध लगाया था।

8 शिक्षकों और प्रिंसिपल को त्यागपत्र देना पड़ा। आज अगस्त क्रान्ति को 75 वर्ष हो गए हैं। प्रधान मंत्री जी चन्द्रशेखर आजाद के गांव गए हैं। श्री वैंकैय्या नायडू मुम्बई के क्रान्ति मैदान गए हैं। मैं आपके द्वारा अहलुवालिया जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटना भविष्य में कभी न हो, इस संबंध में सरकार को निर्णय लेना चाहिए।...(व्यवधान) इस प्रकार की जो घटना घटी है, उस बारे में मैनेजमैंट पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, यह मेरी मांग है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस संबंध में निवेदन करे।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Kumari Shobha Karandlaje, Rodmal Nagar, Chandrakant Khaire, Alok Sanjar, Rabindra Kumar Jena, Daddan Mishra, Jayshreeben Patel, Darshana Vikram Jardosh, Jagdambika Pal, Arvind Sawant, Bhavana Pundalikrao Gawali, Adhalrao Patil Shivajirao, Shrirang Appa Barne, Rahul Shewale and Dr. Shrikant Eknath Shinde are permitted to associate with the issue raised by Dr. Kirit Somaiya.

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है। इस पर माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आ जाएगा। वैसे कार्यवाही हो गई है।

...(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदया, किरीट सोमैया जी ने स्कूलों के स्तर पर राष्ट्रीय गान के अपमान का जो विषाय उठाया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं संबंधित मंत्री जी को इसकी सूचना दूंगा कि वे इस पर जो भी कार्यवाही करें, उस बारे में सदन को जानकारी दें।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है, विशेष रूप से इसलिए भी आभारी हूं कि आज भगवान बिरसा, सिद्धू कानू, चांद भैरव जो अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिए गए, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए काम करते थे, उनके क्षेत्र की समस्या उठाने का अवसर दिया है।

महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र धनबाद देश के कोयले की राजधानी गिना जाता है। वहां कई बड़े-बड़े प्रतिठान हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बोकारो स्टील प्लांट है, डीवीसी के दो प्रोजैक्ट - मैथन और पंचेत हैं। लाखों लोग वहां सरकारी कर्मचारी के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन वहां खेल-कूद की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां न उच्च स्तरीय स्टेडियम है, न कोचिंग सैंटर है। वहां प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल वहां सम्पन्न हों, प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवसर मिले, इसलिए मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी व्यवस्था करने का कट करें।

HON. SPEAKER: S/Shri Sharad Tripathi, Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Pashupati Nath Singh.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you, hon. Madam Speaker, for giving me this opportunity. Today is the International Adivasi Day. With your permission, I would like to congratulate all my fellow adivasis, internationally, nationally and in my constituency. I urge upon the Government to take welfare measures in achieving the Sustainable Development Goals for the tribals.

Coming to 'Zero Hour', I thank you for giving me this opportunity to raise this important issue of deaths of staff in the residuary State of Andhra Pradesh. I would like to draw the attention of this august House regarding the need to relax

the rules of the Central Government while filling up the posts in the residuary State of Andhra Pradesh.

Today, we have a lot of vacant positions in Andhra Pradesh and a lot of Secretaries are holding additional charges, almost three to four posts. In this issue I would like to draw the attention of the House that there are 11 educational institutions which are being opened in Andhra Pradesh. But nothing has been done till date and none of the institution has become operational even today.

It is also pertinent to mention that the said institutions are in dire need of adequate staff and faculty in the future. In order to counter delay in direct recruitment policy, I request the Government to immediately recruit and post experienced staff from various Central Government Departments on immediate absorption basis.

In this connection, I would like to bring it to your kind notice that the number of Central Government employees who are presently working outside the State of Andhra Pradesh are eagerly waiting for a chance for permanently setting and getting absorption in the new State of Andhra Pradesh.

I would request the hon. Home Minister and the hon. Prime Minister, through you, Madam, to relax the rules so that people working in different States may come back to the State and render their services for which we shall be thankful to you. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kothapalli Geetha.

DR. K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Madam, on behalf of the AIADMK and our hon. Chief Minister Amma, on Tribal's Day, I congratulate all the tribals in the country and those living in my constituency.

In Tamil Nadu, our hon. Chief Minister, Amma, has been implementing two flagship schemes for free distribution of milch cows, and goats and sheep to the poor women, especially the landless women, since the year 2011 on the birth anniversary of Peraraignar Anna. Twenty-nine per cent of the beneficiaries are the Scheduled Caste and one per cent are the Scheduled Tribe.

In the past five years, our Government has distributed about 60,000 milch cows and 28 lakh goats and sheep to 60,000 and seven lakh beneficiaries respectively. This has ushered in a second revolution in Tamil Nadu and nearly 955 milk cooperative societies have been formed and milk production has increased by two lakh litres per day. Free distribution of goats and sheep to 28 lakh beneficiaries has increased the farm income of women.

The Union Government started implementing the scheme National Livestock Mission from the year 2014-15. They have allotted about Rs. 12.43 crore for the year 2014-15 to Tamil Nadu. For the year 2015-16, they have allotted Rs. 4.87 crore. For the current year, 2016-17, they have given Rs. 7.04 crore despite the request of the State Government of Tamil Nadu, which has sent a proposal, for Rs. 25.5 crore. This National Livestock Scheme is a complementary scheme to the State Government's flagship scheme of free distribution of goats and milch cows which has resulted in improvement of the quantity and quality of the livestock production systems in the State and capacity building of the stakeholders.

Hence, I urge upon the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries and the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare to enhance the allocation and release the balance amount of Rs. 18.5 crore. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. के. कामराज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन पर हरियाणा के किसानों में व्यापक रोष, नाराजगी और विभिन्न शंकाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद हरियाणा में किसान पूछ रहा है कि इससे किसान का भविष्य सुरक्षित हुआ है या निजी बीमा कंपनियों का भविष्य सुरक्षित करने का काम सरकार ने किया है। किसानों की सहमति के बिना और बिना उसके संज्ञान में लाए जबर्दस्ती किसानों के खातों से बीमे का प्रीमियम काटा जा रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ...(व्यवधान) झझर में एक किसान के खाते से बीमा के रूप में चालीस हजार रुपये काट लिए गए, इसी प्रकार से झझर में एक किसान ने पत्र लिखकर कहा है कि उसने अपनी जमीन में कोई फसल नहीं बोई, लेकिन उसके खाते से ढ़ाई हजार रुपये फसल बीमा प्रीमियम के नाम पर काट लिए गए। प्रीमियम की दर बहुत ऊंची है, 505 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धान के लिए काटे जा रहे हैं। अगर किसान के पास छह एकड़ है और वह लोनी किसान है और उसने केवल दो एकड़ में ही बुआई की है तो छह एकड़ का प्रीमियम काटने का काम सरकार कर रही है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से मुआवजा मिलता था, उससे पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है, अब मुआवजा भी निजी कंपनियों के माध्यम से दिलाया जाएगा। इसमें गांव को इकाई माना गया है किसान को इकाई नहीं माना गया है। अगर आपने लाइफ इश्योरेंस कराया है और आपका पूरा परिवार का नुकसान होगा तभी मुआवजा दी जाएगी। इसमें जब तक पूरे गांव का नुकसान नहीं होगा तब तक किसानों को उसका मुआवाज नहीं दिया जाएगा।...(व्यवधान)। मेरी मांग है कि इसको वापस लिया जाए और इस योजना की कमियों को दूर करके दुबारा लाया जाए और इसका नाम भी बदला जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बदल कर रिलायंस फसल बीमा योजना किया जाए, इसमें प्रधानमंत्री का नाम बदनाम हो जाएगा। किसान* योजना के नाम से इसको लागू किया जाए।

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Madam Speaker, first of all, on behalf of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, I thank the Minister of Road Transport and Highways for having released funds for widening the four-lane NH-209 Project Road from Coimbatore to Pollachi towards first phase under the first package.

As requested by our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, the Project Road passing through Oddanchatram, Chatirapatti, Ayakudi, Madathukulam, Udumalpet and Pollachi may be completed at the earliest by

* Not recorded.

providing sufficient funds. My Pollachi Parliamentary Constituency covers a major area of these places. With speedy implementation of this NH-29 Road Project, heavy traffic on this route will be reduced to a great extent.

Hence, I would request the hon. Minister of Road Transport and Highways to pay special attention to releasing the funds and for speedy completion of work on Pollachi – Udumalpet – Palani – Oddanchatram – Dindigul Section. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri C. Mahendran.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद।

मैं शिक्षा के प्रति समर्पित कुछ कार्यकर्ता, जिन्हें 'शिक्षा प्रेरक' के रूप में जाना जाता है, उनके संदर्भ में और उनकी कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, आज 'अगस्त क्रांति दिवस' है और क्रांतिकारियों की प्रेरणा के स्रोत श्री राम प्रसाद बिस्मिल एक बात कहा करते थे कि "शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता।" आज यदि आदिवासी पिछड़े हैं, तो उसका मूल कारण उनमें शिक्षा का अभाव होना है। राजस्थान में बांसवाड़ा के गोविन्द गुरू ने आदिवासियों को शिक्षित करने का बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा-प्रेरक लगे हुए हैं, अभी उनकी एक बैठक में मुझे जाने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें महीने में केवल रु.2,000/- दिए जाते हैं। मेरा भारत सरकार और राजस्थान सरकार से भी आग्रह है कि आजकल रु.2000/- में कुछ नहीं होता। राजस्थान में 'नरेगा' के एक कर्मचारी को 170 रुपए प्रति दिन दिए जाते हैं, जो प्रति माह रु.5,200/- होते हैं। इन शिक्षा प्रेरकों को केवल 2 हजार रुपए महीने दिए जाते हैं। यह उनके साथ बड़ा अन्याय है। अतः मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें अच्छा मानदेय दिया जाए, ताकि वे लोगों को सम्मान पूर्वक शिक्षित करके देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री चन्द्र प्रकाश जोशी, सुधीर गुप्ता, रोड़मल नागर, गजेन्द्र सिंह शेखावत, रामचरण बोहरा, शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरोंप्रसाद मिश्र, को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले साल चीना का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होने के कारण केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों को तकरीबन 40 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए कहा था और उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रति क्विंटल रु.400/- अनुदान देने का भी ऐसान किया था।

महोदया, केन्द्र सरकार की ओर से अभी तक यह राशि चीनी मिलों को प्राप्त नहीं हुई है। पिछले साल गन्ना उत्पादक किसानों को एफआरपी नहीं मिलने के कारण बहुत सारे राज्यों में आंदोलन हुए थे और विशेारूप से महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आंदोलन हुए थे। जब सरकार ने घाटे में चीनी मिलों को चीनी निर्यात करने के लिए कहा था, उस वक्त चीनी मिलों की तरफ से केन्द्र सरकार की ओर इशारा कर के कहा गया कि वह पैसा केन्द्र सरकार से मिलेगा और जो एफआरपी का बकाया पैसा था, उसमें से प्रति टन रु.40/- काट कर किसानों को दिया और किसानों से कहा गया कि केन्द्र सरकार की ओर से जो अनुदान आने वाला है, वह सीधे किसानों के एकाउंट में जाएगा, लेकिन वह अनुदान आज तक नहीं मिला है। इसके अन्तर्गत तकरीबन 360 करोड़ रुपए किसानों के बाकी हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि वह तुरन्त इस राशि को किसानों के एकाउंट में जमा करे।

महोदया, मुझे एक दूसरी और मांग आपके माध्यम से सदन में उठानी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं। सिर्फ एक ही मांग कर सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री भैरोंप्रसाद मिश्र, श्रीरंग आप्पा बारणे एवं कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, आज 'अगस्त क्रांति दिवस' है। देश के क्रांति वीरों ने अंग्रेजों को किस प्रकार से देश से बाहर निकाला, इससे हम सब लोग भलीभांति परिचित म। डिफेंस एस्टाब्लिशमेंट के काम से किस तरह से पूरे देश के लोग हैरान और परेशान हैं और आप भी भुक्तभोगी हैं। मुम्बई जैसे शहर में, डिफेंस एस्टाब्लिशमेंट के बाजू में जो भवन निर्माण का काम चल रहा है, उसे छः साल पूरे होने को आए हैं। चार साल कांग्रेस के राज्य में और दो साल हमारी स्वयं की सरकार आने के बाद, यानी छः साल हो गए हैं, लेकिन इस मसले का कोई अन्त नहीं हुआ है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तीन सर्कुलर निकाले। मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दो सर्कुलर निकाले। इतना सब होने के बाद डिफेंस अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं और एक इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा है।

मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने अंतिम निर्णय लिया है कि वह स्वयं सर्कुलर निकालकर काम को आगे बढ़ाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे दो दिन पहले कहा था कि वह अंतिम सर्कुलर निकाल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभा को जानकारी देना चाहता हूं कि अगर 15 दिन के अंदर इस बात का निपटारा नहीं होता है मैं सांसद होने के नाते अगले सत्र को न अटैंड करने का निर्णय लेता हूं। आप मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी भावना आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : शेट्टी जी, नहीं आने से कुछ नहीं होता है, रोज आओ और रोज बात उठाओ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) :माननीय अध्यक्ष जी, मैं असम में बाढ़ के विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 15 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा जिले बाढ़ से अफेक्टिड हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने वहां दौर किया है और आदरणीय चीफ मिनिस्टर ने भी दौरा किया है।

हर साल बाढ़ से असम ध्वस्त होता है जिसके कारण इकोनामिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि असम को स्पेशल पैकेज दिया जाए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राजनाथ जी से भी बात की है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से असम के लिए इस साल स्पेशल पैकेज देने की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री जॉर्ज बेकर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री शरद त्रिपाठी को श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष जी, आज 9 अगस्त है, क्रांति का दिन है। मुम्बई के अगस्त क्रांति मैदान में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो की घोषणा की थी। मैं क्रांतिकारियों के प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूं। आज इंटरनेशनल आदिवासी दिवस है,मैं आदिवासी भाइयों को भी शुभकामनाए देता हूं।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय को शून्य प्रहर में उठाना चाहता हूं। हाल ही में बाढ़ में महाड़ में हादसा हुआ, पुल गिरने के बाद गाड़ियां बह गई। हमारे देश में सड़कों पर अपघात हो रहे हैं, इसकी संख्या हर वर्ष पांच लाख के करीब हो जाती है। वर्ष 2014 में 1,39,671 लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2015 में 1,50,000 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, इस तरह से 4.5 प्रतिशत मृत्यु में वृद्धि हुई है। पिछले दस वर्षों में सड़कों पर

अपघात में 1,33,000 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपघात में मरने वालों की उम्र 25 से 60 के बीच है। ये लोग हमारे देश की सम्पत्ति हैं, इसकी हानि हो रही है। सौभाग्य से आज मैंने यह विाय जीरो आवर में उठाया है और आज ही यह बिल भी इंट्रोड्यूज हो रहा है, मैं उस वक्त इस पर ज्यादा बोलूंगा।

अभी मैं एक ही वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा की रोड पर जो अपघात हो रहे हैं, इस तरफ विशेा तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार इसे 50 प्रतिशत घटाने की कोशिश कर रही है। मैं यह सब बातें बिल की चर्चा में कहूंगा लेकिन अब एक ही बात कहूंगा कि खराब रोड, हमारी व्यवस्था और लोकल बॉडीज की अलग से रोड की व्यवस्था के कारण ही दुर्भाग्यवश ये घटनाएं हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्िात करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री सी.पी. जोशी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री शरद त्रिपाठी और श्री सुधीर गुप्ता को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.58 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd...

(iii) Re: Reported depiction of pictures of U.S. soldiers as the protectors of our nation in certain advertisements of State Bank of India

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, on the World Tribals Day, on behalf of my Party the CPI(M) and myself, we would like to express, through you, our greetings.

We are going to celebrate the 70th Anniversary of our Independence and also the Platinum Jubilee Year of the Quit India Movement.

I would like to invite the attention of the Government of India, through you, and say that we are all proud of the services of our great Bank, the State Bank of India. Even though we have certain reservations regarding the merger of the State Bank of Travancore etc., in the State Bank of India, I would like to show a photograph. I myself own the responsibility for this photograph. I have taken this

photograph of the State Bank of India. This is a photograph of a bill hoarding in front of the Cantonment area of Aurangabad in the State of Maharashtra. With your permission, I would like to quote from this advertisement.

13.00 hours

Madam Speaker, it says: “A humble tribute to those” and “entire nation banks upon”. In the back, you can see the national flag of India and in the forefront, it is the US Marines. … (*Interruptions*) So, I would like to know whether the State Bank of India is paying tributes to the services of the US Marines.

It has become a habit of the Government of India – whichever party rules this nation – to outsource most of the services. I would like to know whether Defence is also being outsourced or if the State Bank of India has engaged in giving thousands of advertisements like this. I demand through you with the humblest humility that the State Bank of India owes an apology to the Armed Forces of this great nation and the Government of India should conduct an immediate inquiry upon what has happened in the advertisements and the billboards which have been placed in front of many of the cantonment areas of our nation. We are spending precious money from our public exchequer paying honour and paying tribute to the US Marines.

If my information is true, this photo has been taken in a foreign nation where the US Marines were sent for invasion of that country. The US Marines were in action invading another country and our State Bank of India is showing this advertisement in front of a cantonment area.

I request you to give a direction to the Government of India to conduct an inquiry and a public apology from the State Bank of India regarding this matter as a proud Indian. I can only request you. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to take cognisance?

… (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH: This is a very important matter. We have the fourth largest Army in the world. … (*Interruptions*) At the same time, the biggest and largest bank of India is humiliating and insulting the members of the Armed Forces, the members of the Services, and the family members of the Armed Forces … (*Interruptions*) The Minister is here.

HON. SPEAKER: Shri Mohammad Salim, Shri M.B. Rajesh, Shrimati P.K. Sreemathi Teacher, Shri P. Karunakaran, Adv. Joice George, Shri N.K. Premachandran, Shri Rabindra Kumar Jena and Shri Mullappally Ramachandran are permitted to associate with the issue raised by Dr. A. Sampath.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to take cognisance of this?

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सम्पत जी, इतने जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? इस बारे में सब लोग जानते हैं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am saying they should take cognisance.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे?

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): The hon. Member who is a dear friend of mine has raised a very important issue. I will bring it to the notice of the hon. Finance Minister to take corrective measures. … (*Interruptions*)

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Madam Speaker, Tamil Nadu under the dynamic leadership of hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has turned into a power surplus State in the country. … (*Interruptions*)

The Cheyyur Ultra Mega Power Project in Kanchipuram district is one of the major power producing initiatives in Tamil Nadu which intends to add 4,000 megawatt to the total power production in the country. The Tamil Nadu State

Government has completed its part of land acquisition long back. The environment clearance has also been obtained.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has demanded the early commissioning of the Cheyyur Ultra Mega Power Project. The Power Ministry has also assured that the project will be completed by March, 2016. Hence, I urge upon the Union Government to expedite the completion of the very important Cheyyur Ultra Mega Power Project at the earliest.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri S.R. Vijaya Kumar.

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Madam Speaker, Vanakkam. Under the able guidance of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchithalaivi Amma I wish to raise an importance in this House. I urge upon the Union Government to set up an Indian Institute of Water in my Thanjavur parliamentary constituency. In India we have only one such Water Management Institute in Bhubaneswar, Odisha. But as we have a population of more than 130 Crores in our country one such Institute will not suffice to cater to the needs of water management. The people living in Thanjavur and adjoining districts have been wholly dependent on Agriculture for the last 1000 years. Kallanai-The Grand Anaicut, a dam built by the Cholas, is a classical example for water management technology followed in our country. Cauvery water passes through Kollidam and reaches the Veeranam lake. The Kallanai is being preserved and protected by the Government of Tamil Nadu. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma has been successful in implementing the Veeranam Scheme which provides drinking water to the people of Chennai. The people of Chennai have been praising Dr. Puratchithalaivi Amma for this spectacular achievement.

* English translation of Speech originally delivered in Tamil.

We face scarcity of water, particularly drinking water in several parts of our country. We have efficiently utilize our water management systems which are in practice for the more than 1000 years in our country. We should also create awareness among the people, particularly youth, women and students about the importance of preservation of these water management systems. I therefore urge upon the Union Government to immediately set up an Indian Institute of Water Management in my Thanjavur parliamentary constituency. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri K. Parasuraman.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is 'Zero Hour.' Everybody goes on speaking for more than five minutes. This is not allowed.

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा की समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए, आग्रह करना चाहता हूं कि देश भर में छोटी रेल लाइन को समाप्त कर ब्रॉडगेज में बदलने की योजना रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। पुलगांव, आरवी, मुर्तिजापुर, यवतमाल, मुर्तिजापुर, अचलपुर की छोटी लाइन को समाप्त कर ब्रॉडगेज में बदलने का निर्णय हो चुका है। इस संबंध में मध्य रेल द्वारा निविदा सूचना भारत के महामहिम राष्ट्राति की ओर से निकाली गयी है। पुलगाव-आरवी नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के संबंध में छोटे पुलों के निर्माण के लिए मुंहबंद निविदा 18 जनवरी, 2001 को आमंत्रित की गयी थी, 15 वर्ष बीत चुके हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल डिमाण्ड रखते जाइए, इतना लम्बा भाषण नहीं देना है।

श्री बलभद्र माझी।

श्री रामदास सी. तडस: इसकी वजह से आम आदमियों एवं विद्यार्थियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामदास सी. तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): मैडम, आज मैं अंतर्राट्रीय आदिवासी दिवस पर सारे आदिवासी भाई-बहनों तथा आदिवासियों को प्रेम करने वाले भाई-बहनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं।

मैडम, मैं यह जो मुद्दा उठा रहा हूं, यह आदिवासी एरिया के लिए ही है। मलकानगिरी जिला, जो मेरे क्षेत्र में आता है, वहां एलडब्ल्यूई स्कीम के तहत एक गुरुप्रिया सेतु बन रहा है। काफी कोशिश के बाद उसके लिए एक कंट्राक्ट अवार्ड हो पाया है, क्योंकि बार-बार टेंडर करने के बाद भी कोई टेंडर कोट नहीं कर रहा था। अब उसे स्टेट गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा जो 187 करोड़ रुपये दिए जाने हैं, वह अभी तक नहीं दिए गए हैं। यह प्रकल्प 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वहन करना है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि केन्द्र सरकार उस पैसे को जल्दी दे, ताकि वह पुल जल्दी पूरा हो सके।

साथ ही, एक अन्य ब्रिज मोटू के पास सिलेरू नदी पर बनना है, जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार को तैयार करना है। उसका टेंडर बहुत कोशिश करने के बाद खुला है, मेरा आपके माध्यम से आन्ध्र प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उस टेंडर को जल्दी फाइनलाइज करके जल्दी वह पुल बनाया जाए, ताकि आवागमन अच्छे से हो सके। यह भी एल डब्ल्यू स्कीम के तहत होना है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री बलभद्र माझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity to raise an important issue. I would like to bring to the notice of the hon. Railway Minister through you that there has been an inordinate delay in getting the widely discussed AC local train on the track. The Mumbaikars are looking forward for this AC local train since long time as they have to face hazardous difficulty to earn bread and butter for their families because of the over-crowded trains.

The AC local rake has been manufactured by the Integral Coach Factory with the assistance of the Bharat Heavy Electricals Limited. Since it is an initiative of the Make In India project, the rake had arrived in Mumbai on 5th April, 2016. It was to start on 16th April, 2016, on the anniversary of the first run of the railways. However, for the reason best known to the Railways alone, the occasion was missed and the next date of 30th April, 2016 was declared for the trial. This was also missed and the reason given was the safety clearance. Since then the trials keep getting postponed on the pretext of one or the other reason.

Now, it is being told that the technicians are not able to resolve the software issue and hence the trial cannot be conducted.

While Indians are globally known for their software expertise all over the world, one cannot understand why the software issue bogged down Railways to announce new dates every time. The follow up of this delay is the manufacturing of the second AC rake.… (*Interruptions*) Madam, I will complete in one minute.

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात आ गयी है, बाकी जो टेक्नीकल सलाह है, वह आप रेलवे को भेज दीजिए।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): So, I would like the Railway Minister to interfere in this and start this AC local as soon as possible.

HON. SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, Arvind Swanat, Rahul Shewale, Shrirang Appa Barne, Sharad Tripathi, Shrimati Bhavana Pundalikrao Gawali and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Shrikant Eknath Shinde.

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN (NANDED): Madam, Speaker, I am raising the issue about the power loom sector, which is facing a never-before downturn for last two years and is facing competition from rival countries like China, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan in terms of cheap export.

The cloth manufactured by the Indian weavers has no demand in the international market. Two major important factors for this continuous recession in the power loom sector are, as far as synthetic cloth is concerned, India has imposed anti-dumping duty on the synthetic yarn being imported from China.

China is exporting the same synthetic cloth to Sri Lanka and Sri Lanka is exporting this cheap cloth to India. The cost of this cloth is nearly 30 per cent cheaper than the cloth which is produced by the Indian weavers. It is destroying the small weavers in the country as the cost of production of cloth is higher and it is not being exported. So, they are not getting remunerative price in domestic market.

Secondly, as per the data available, India's export of cotton cloth is down by almost 23 per cent. The major export of cotton cloth was made to African countries which is now falling everyday due to cheaper cloth being exported by Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka to African countries.

I feel that the anti-dumping duty which is imposed on yarn should be imposed on cloth being imported in India and further the Government used to give duty draw back to the exporters which was substantially reduced thereafter. This has also resulted in falling exports of textiles. Hence duty draw back should be introduced again at previous rates.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय भी वही है जो अभी चव्हाण साहब ने यहां पर उठाया है। मैं भिवंडी लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। वहां पर टैक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार है। महाराष्ट्र में मालेगांव में भी है, इचलकरंजी में भी है और धूलिया में भी हैं। मेरे दो-तीन मुद्दे हैं, भिवंडी में जो पॉवरलूम का बिजनैस है, वह अभी बंद होने के कगार पर है। उसके दो मुद्दे हैं- हमारे देश में जो सिंथेटिक यान आता है, उसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। सिंथेटिक यान के ऊपर जो ड्यूटी लगाई गई है, वह ड्यूटी

अगर फैबरिक के ऊपर लगाई जाए तो हमारे यहां यान आने के बाद जो कपड़ा बनेगा, उसकी उत्पादन लागत कम हो जाएगी। कपड़े के ऊपर अगर ड्यूटी लगाई जाए तो श्रीलंका से, पाकिस्तान से और चीन से जो कपड़ा हमारे यहां आता है, वह कपड़ा हमारे यहां बेचने में उनको महंगा पड़ेगा तथा हमारा कपड़ा सस्ते में बिकेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Madam Speaker, I represent Kakinada Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh. It is one of the prominent ports on the East Coast, which handles imports and exports of major goods. During the year 2015-16, Kakinada Port contributed Rs.1200 crore towards customs duty. Among this, Rs.400 crore collected exclusively through edible oils.

The maximum rate of Customs Duty on import of crude oils is 85 per cent, whereas for edible grade oils, it is 7.5 per cent. The local customs authorities have been extending 7.5 per cent duty to the crude oils, which are of edible grade, after following the due process. During that process, Customs authorities draw samples of the crude oil and send to the chemical labs located at Visakhapatnam, which is 150 kilometres away from Kakinada Port and getting of report is consuming much time. Some times, it is taking six months. Till that time bonds, sureties and bank guarantees are held up with Customs causing great hardships to the importers.

I would request the hon. Minister for Finance to instruct the Central Board of Excise and Customs to open a Chemical Examination Lab at Kakinada to avoid delay and to improve further imports through Kakinada Sea.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, a high-tech robbery has been reported in Thiruvananthapuram SBT ATM yesterday. Lakhs of rupees have been withdrawn by some unknown persons from the accounts of a number of customers. Over Rs. 2.4 lakh was stolen by fraudsters from dozens of individuals. People are shocked to find that their various amounts were withdrawn from their accounts without their knowledge. The incident was reported from the ATM of a

public sector bank at Vellayambalam which is a largely crowded part of the town. It is suspected that the robbery was made after installing a particular electronic device at the ATM counter. This enabled the fraudsters to collect the secret pin code and card details through it. It was also reported that the money was withdrawn from Mumbai. Many of the customers who were duped came to know about the fraud after they received a text message yesterday, saying that money was withdrawn from their accounts. Currently police has received around 16 complaints from the public.

It is highly alarming that such a well planned high tech robbery was happened in a crowded part of the city that too in daylight. The incident is a reminder to the lack of security and safety in ATMs. Such types of incidents are being reported from different parts of the country. It is also not clear how the information of their ATM and security pin was collected by the robbers.

I would request the Government to take all precautionary measures to ensure safety of customers in ATMs. These are all public sector banks. The Government must also adopt strict security measures to prevent such incidents in the future.

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran, Dr. A. Sampath and Shrimati P.K. Shreemthi Teacher are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity to raise a very urgent matter of public importance.

Madam, last week I led a 48 hours strike in my district of Kollam. Thousands of people from different walks of life participated in the strike, including the cashew workers. They are facing the problem of unemployment. In the State of Kerala the cashew workers have no work for the last six months since the cashew industries in the State are facing permanent closure. More than two and a half lakh cashew workers, mostly women below poverty line, have been thrown

out of employment. The Kerala Cashew Development Corporation has 35 … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I would be very brief. My submission is with regard to the State of Jammu and Kashmir. Another protestor succumbed to injuries in Kashmir yesterday pushing the death toll in the Valley to 58 in the month even as curfew and security restrictions continue to remain in place in the Valley. So far there have been 933 pellet cases. On Monday seven civilians including 4 women were hit by pellets in Anantnag district. There are no signs of clashes and protests getting abetting in the Valley. Three BSF persons were also killed in an attack by militants in North Kashmir… (*Interruptions*) The Chief Minister of Jammu and Kashmir reportedly told the Home Minister while initiating the dialogue process the Centre must ensure that the cycle of violence goes down. The entire State machinery has … (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज 9 अगस्त का दिन है। हम सबको इंसानियम और मानवता को बचाने के लिए प्रतिज्ञा लेनी होगी। आज स्थिति यह है कि कभी भगवान के नाम पर टेरर, कभी कास्ट के नाम पर टेरर, कभी धर्म के नाम पर टेरर, कभी गाय के नाम पर टेरर होता है। बिहार के मुज़फ्फरपुर में तीन-चार दिनों से इंटरनेट वगैरह बंद है। बिहार में जिस तरह से बिहार सरकार का टेरर है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का टेरर है। आज बिहार में एक सौ ज्यादा दारोगा कह रहे हैं कि वे थाना ही नहीं जाएंगे। छपरा में बजरंग दल के द्वारा लगातार मुसलमानों के मस्जिदों को जलाने और मारने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण पूरे क्षेत्र के रास्ते जाम हैं, बिजली और संचार की व्यवस्था ठप हो गयी है। मैं भारत सरकार और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एनडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर भेजकर वहाँ के लोगों को बचाने का काम किया। वहाँ कई डैम ऐसे हैं, जो भरकर ओवर-फ्लो हो रहे हैं। आज आदिवासी दिवस भी है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ सेना का हेलीकॉप्टर नहीं होता और भारत सरकार निर्देश नहीं देती, तो शायद आज 12 आदिवासियों की जान चली गयी होती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज वे 12 आदिसासी सेना के जवानों की वजह से जिन्दा हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, वहाँ का प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन वहाँ एनडीआरएफ की टीम भेजकर और सर्वे कराकर जो भी नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करने का कट करें। यही मेरी सरकार से मांग है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2.20 P.M.

13.19 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twenty Minutes past Fourteen of the clock.

14.23 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twenty Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. DEPUTY SPEAKER: The matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

---

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to establish a separate High Court in Haryana.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर है। हरियाणा का निर्माण 1 नवंबर, 1966 को हुआ। यद्यपि उस समय हरियाणा की उन्नति एक चुनौती थी परंतु यहां की जनता ने दिन रात मेहनत करके हरियाणा की उन्नति में चार चॉंद लगाये। हरियाणा 1 नवंबर को अपने निर्माण के 50वें वर्ष को गोल्डन जुबली के रूप में मनाने जा रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के बनने के 50 वर्ष पूरा होने के बाद भी देश का एक ऐसा राज्य है जिसका अपना हाईकोर्ट नहीं है। हरियाणा राज्य बनने के पहले पंजाब का हिस्सा था। चंडीगढ़ हमारी संयुक्त राजधानी है। अब वक्त आ गया है कि हरियाणा का अपना अलग हाईकोर्ट हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारी इस मांग को तुरंत पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक कदम उठाये।

(ii) Regarding implementation of Namami Gange Project.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''नमामि गंगे'' का शुभारम्भ हाल ही में देशभर में सैकड़ों स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर किया गया है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए फिलहाल 20,000 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है, जिसमें से अभी शुरूआती दौर में 20,000 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि बहुत-सी राज्य सरकारें इसमें बहुत कम रूचि ले रही है, जिससे कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) देने में बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सरकारें कुछ अपनी शर्तों पर रोड़े अटका रही हैं, जिससे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इसके साथ ही साथ अनेक नगर निकायों के हस्तक्षेप से भी कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे केन्द्र सरकार की इस विषय पर गंभीरता पर प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। केंद्र सरकार की उदारता के बावजूद जगह-जगह विशेषकर बिहार सरकार एवं वहां के जिला प्रशासन की उदासीनता एवं असहयोगात्मक रवैया ''नमामि गंगे'' के शुभारम्भ में स्पष्ट तौर से परिलक्षित हुआ, जिससे भविष्य में काफी कठिनाई पैदा हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ''नमामि गंगे'' के तहत प्रथम चरण में बक्सर के सिद्धनाथ घाट, लक्ष्मीनारायण समाधि घाट, चौसाघाट आदि का प्राक्कलन तैयार कर जोड़ते हुए निर्माण कराया जाए। साथ ही बक्सर, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, मोकामा, मुंगेर, सुलतानगंज, भागलपुर, कहलगांव, झारखंड के राजमहल और साहिबगंज आदि गंगा के किनारे विद्युत शवदाह गृह भी स्थापित किए जाएं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ''नमामि गंगे'' परियोजना की सफलता हेतु अलग से केन्द्रीय नीति निर्धारण कर इसे चालू सत्र में ही एक नया अधिनियम बनाकर लाने का प्रयास करे, तभी समय पर कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हो पाएगा तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्र सरकार का सपना साकार हो पाएगा।

इसके अतिरिक्त जल-विषयक सूची को राज्यों से हटाकर केन्द्रीय सूची में डालने हेतु लोक सभा की प्राक्कलन समिति एवं अन्य संबंधित समितियों के प्रतिवेदनों पर शीघ्र गंभीरता-पूर्वक चर्चा कर, उसे अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता है। इस पर केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति घोषित होनी चाहिए, तभी गंगा एवं अन्य नदियों की अविरलता एवं निर्मलता बरकरार रह पाएगी।

इसके अतिरिक्त जल-प्रदूषण रोक एवं प्रतिबंध अधिनियम, 1974 में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए कड़ाई से राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर भी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कारगर कदम उठाएं जाएं।

(iii) Need to establish a constituent college of Dr. Harisingh Gour University at Sagar, Madhya Pradesh.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर) : मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखण्ड में स्थित डॉ. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सन् 2009 से केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। इसके केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो जाने से इसमें प्रवेश हेतु होने वाली परीक्षा अखिल भारतीय स्तर से होती है, जिस कारण सागर के स्थानीय विद्यार्थियों को कम संख्या में प्रवेश मिल पाता है। इससे सागर नगर के विद्यार्थियों के अवसर कम हो गये हैं। अतः मेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग है कि वह विश्वविद्यालय को विज्ञान, आर्टस और कॉमर्स का एक कान्स्टीट्यूएन्ट कॉलेज खोलने का निर्देश दें, जिससे नगर के विद्यार्थियों को प्रवेश के अवसर मिल सकें।

(iv) Need to provide rail connectivity in Sirohi district headquarters in Rajasthan.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : मेरे संसदीय क्षेत्र सिरोही जिला केंद्र आज़ादी के 65 वर्षों के बाद भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। इसके लिए पूर्व में सर्वे कार्य भी हो चुका है जिसके तहत सिरोही को जालौर से रेलवे से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। लेकिन आज तक यह योजना मूर्तरूप नहीं ले पायी है। सिरोही वासियों को आज तक रेलवे नेटवर्क से जुड़ने का इंतजार है। अतः मेरा आग्रह है कि सिरोही जिला केंद्र को मारवाड़ बागरा और पिण्डवारा के मार्ग से रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए, जिससे इस रेलवे मार्ग से सभी प्रमुख 72 जैन तीर्थ, जीनालय, सुंधामाता मंदिर, जिरावल, पावापुरी, जसवंतपुरा अभ्यारण्य, भैरोगढ़ आदि जुड़ जाएगा। जालोर-सिरोही के प्रमुख रिको औद्योगिक क्षेत्र मंदार रेवदर स्वरूपगंज के साथ-साथ सिरोही जिला केंद्र आदि प्रमुख क्षेत्रों को यह रेल मार्ग कवर करेगा। इससे यहां की जनता को काफी सुविधा होगी तथा साथ ही साथ रेलवे के आय में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है। सिरोही में रेलवे स्टेशन होने से जिले में पर्यटन एवं औद्योगिकीकरण के साथ-साथ रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

(v) Need to bring historical places in Banda parliamentary constituency in the tourism map of the country.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकूट धाम एवं राजापुर जो गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है, वाल्मीकि आश्रम, भरतकूप, मड़का जैसे पर्यटन एवं तीर्थस्थल चित्रकूट जिले में तथा बांदा जिले में कालिंजर का विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला व महर्षि वामदेव की तपस्थली, बांदा जैसे स्थल आते हैं। लेकिन केंद्र सरकार व राज्य सरकार के पर्यटन मानचित्र में अभी उन्हें वह प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। जो धन इन स्थलों के विकास के लिए भी आता है उसे, बिना हम सब जनप्रतिनिधियों की राय के, योजनाएं बनाकर खर्च कर दिया जाता है। अस्तु सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में लाकर समुचित विकास करायें एव योजनाएं सांसदों से विचार-विमर्श कर बनाने का निर्देश देने की कृपा करें।

(vi) Need to expedite construction of railway line between Gangapur city and Dausa, Rajasthan.

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूँ। गंगापुर सिटी-दौसा रेलवे लाईन का कार्य काफी धीमा चल रहा है। मैंने इस विषय से कोटा मण्डल की मीटिंग में अधिकारियों को अवगत कराया। पंरतु फिर भी इस कार्य में कोई तेजी नहीं हुई है।

गंगापुर सिटी में केवल एक ही फुट ओवर ब्रिज है जो कि बिना शैड का है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि गंगापुर सिटी में एक और नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए और पुराने फुट ओवर ब्रिज पर शैड लगाई जाए।

गंगापुर सिटी-दौसा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12937 गरीब रथ एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12443 बान्द्रा-कानपुर होलीडे, गाड़ी संख्या 19021 हरिद्वार-बलसाड, गाड़ी संख्या 12471 जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेस इत्यादि गाड़ियों का ठहराव गंगापुर सिटी में किया जाए।

मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि उपरोक्त सभी गाड़ियों का ठहराव जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें।

(vii) Need to levy toll tax at minimum rate on local vehicles using National Highways in Bhilwara parliamentary constituency, Rajasthan.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : मेरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा (राजस्थान) से होकर चार राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, इन चारों राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क वसूल करने के लिए टोल नाके बने हुए हैं जो सभी प्रकार के वाहनों से तय दर के हिसाब से टोल शुल्क वसूल करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लंबी दूरी पर चलने वाले वाहन जो एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, से टोल शुल्क वसूल करना उचित है परंतु स्थानीय जिले के निजी वाहनों से भी लंबी दूरी पर चलने वाले वाहनों की दर से शुल्क लिया जाता है, जो कि अनुचित है।

मेरा मा. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह है कि जिस जिले में टोल नाका स्थित है, उस जिले के निवासियों के निजी वाहनों के लिए न्यूनतम दर पर मासिक पास बनाने की व्यवस्था की जाये जिससे कि वहां के निवासियों को राहत मिल सके।

(viii) Need to appoint qualified teachers on permanent basis in Eklavya Model Residential Schools in the country.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : पूरे देश में जनजातीय वर्ग के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की शुरूआत की है, जिसकी काफी प्रशंसा की गई है। देखा यह गया है कि इन स्कूलों में जो टीचर हैं, वे अस्थाई हैं, जिसके कारण टीचर समुचित ढंग से अपने मन से पढ़ाने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि एकलव्य मॉडल स्कूलों में यह टीचर जनजाति वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा देने में असमर्थ हैं। मेरी मांग है कि जनजाति वर्ग को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले एकलव्य मॉडल स्कूल में टीचरों को स्थाई रूप से नियुक्त किया जाये।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनजाति वर्ग को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में क्वालीफाइड टीचरों को स्थाई रूप से एवं फुल पगार पर नियुक्त किया जाये।

(ix) Need to accord approval to the proposal of setting up of branches of various public sector banks in Palamu parliamentary constituency, Jharkhand.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पलामू (उत्तराखण्ड) में बैंकिंग सुविधा की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के गढ़वा जिला में विभिन्न बैंकों की सात नई शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो निम्न प्रकार हैः-

1. **भवनाथपुर प्रखंड के अरसली ग्राम में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा**
2. **भवनाथपुर प्रखंड के मांझीगावा ग्राम में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा**
3. **डंडई प्रखंड के रारो ग्राम में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा**
4. **डंडई प्रखंड के बरदरी (जरही) ग्राम में इलाहाबाद बैंक की शाखा**
5. **डंडई प्रखंड के करके ग्राम में यूनाइटेड बैंक की शाखा**
6. **डंडई प्रखंड के खाला ग्राम में बैंक ऑफ बड़ौदा की शा**खा

इसके साथ-साथ **पलामू जिला के पाटन प्रखंड** अंतर्गत **ग्राम-किशुनपुर, चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत रामगढ़ एव चांदो ग्राम पंचायत तथा नवडीहा बाजार** में भी बैंकों की शाखा खोला जाना प्रस्तावित है। बैंकों द्वारा पांच हज़ार की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में बैंकों की शाखा खोले जाने का प्रावधान है और **पलामू** संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त प्रस्तावित स्थान बैंकों की शाखाएं खोले जाने के लिए सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं।

मेरा माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता को अच्छी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन प्रस्तावित बैंकों की शाखाओं को जल्द से जल्द मंजूरी प्रदान करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा।

(x) Regarding disclosure of information on air-pollution

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR): As per an ADB-Casa Asia 2006 report, the industrial and power generation sectors contribute in the range of 20% - 40% to urban air pollution. Under the National Environment Policy, firm level environmental information data should be filed with respective State Pollution Control Boards (SPCBs) under Form V format of environmental rules. Though this firm level data is available to state regulators, but citizens have difficulties in accessing this data.

Information disclosure leverages the behavioural changes by making existing private markets work better. This policy has been effectively used in the US & EU through the disclosure of the toxic waste generated by the firms in the US and mandatory eco-labelling of the products in the EU. The environmental disclosures have been used by developing countries to complement the CAC regulations, for example, the Programme for Pollution Control, Evaluation, and Rating in Indonesia, EcoWatch in Phillippines and Green-Watch in China.

(xi) Need to construct dams on tributaries of Wainganga in Gadchiroli-Chimur parliamentaryconstituency,Maharashtra.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर) : स्वतंत्रता प्राप्ति के 69 साल पश्चात भी देश के कई क्षेत्र अति पिछड़े, विकास से कोसों दूर हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, अवास, रोजगार आदि के लिए लोग आज भी जूझ रहे हैं।

इसकी वजह है बुनियादी सुविधाओं का अभाव, महाराष्ट्र के खासकर गढ़चिरोली, चंद्रपुर तथा गोंदिया जिले में वन कानून, 1980 की वजह से जल परियोजनाऍं (कारवाफा, चेन्ना, तुलतुली, डुरकानगुड्रा व अन्य) प्रलंबित हैं। सिंचाई की कोई अन्य सुविधा नहीं है। चावल की एकमात्र फसल जो कि अतिवृष्टि या सूखे की भेंट चढ़ जाती है, परिवार का साल भर पेट भी पाल नहीं सकती। यहॉं की वैन गंगा एवं उसकी नदियों का पानी बांधों के अभाव में बह जाता है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमुर में वैन गंगा नदी की उपनदियों पर बांध बनाकर बारह मास सिंचन की सुविधा सुनिश्चित कराए।

(xii) Need to declare Ahmednagar in Maharashtra as a tourist place of national importance and also provide funds for its all round development.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : मेरा संसदीय क्षेत्र अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण एवं क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा जिला है। महाराष्ट्र तथा देश में अहमदनगर एक ऐतिहासिक दृष्टि से ख्याति प्राप्त जिला है। पर्यटन, भौगोलिक इकाई, रक्षा मंत्रालय के बड़े दफ्तर व आर्मी प्रशिक्षण तथा स्थायी कैम्प, देश की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री, प्राकृतिक सौन्दय की धरोहर आदि विभिन्न क्षेत्र में अहमदनगर जिला महाराष्ट्र के अन्य जिलों से भिन्न पहचान रखता है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से इस जिले को मुख्य मानचित्र पर लाने में आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा स्थानीय शासन द्वारा भी इस विषय को जिले का राजस्व बढ़ाने की दिशा में उदासीन होने का समय-समय पर अनुभव किया गया है। जिले के अंतर्गत नगर के ऐतिहासिक किले में पंडित नेहरू, लौह पुरूष सरदार पटेल साहेब को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। धार्मिक दृष्टि से अवतार मेहर बाबा, शिर्डी के साई बाबा, शनिशिंगणापुर, मोहाटा देवी, महान जैन संत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी का तीर्थस्थान आदि यहॉं के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। मुगल शासन काल में अहमदशाह निज़ाम ने यह शहर बसाया और उसकी यह राजधानी रही। यहां कई प्रवेश द्वारों के अवशेष दरवाजें आज भी शहर की शान हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अहमदनगर जिले में अपार पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में स्थापित करते हुए प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया जाये तथा इसके सर्वांगीण विकास हेतु कार्य योजना तैयार करके बजट में इसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए यह हमारा सरकार से अनुरोध है।

(xiii) Regarding providing LPG dealership agency to youth.

श्री परेश रावल (अहमदाबाद-पूर्व) : देश में शिक्षित लोगों को रोज़गार देना एक बड़ी समस्या, चुनौती एवं आवश्यकता है। देश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एल.पी.जी. वितरण नागरिकों को किया जाता है जिनकी संख्या करोड़ों में है। वर्तमान समय में एक एल.पी.जी. वितरक के पास हज़ारों की संख्या में एल.पी.जी. ग्राहक रहते हैं जिन्हें समय पर एल.पी.जी. वितरण करने में ज्यादा ग्राहक होने के कारण समस्या रहती है।

मेरी मंत्रालय से मांग है कि समग्र भारत में हर बेरोज़गार शिक्षित युवा को माहवार 25,000/- रूपये की आय हो सके, इतने एल.पी.जी. ग्राहकों को एल.पी.जी. एजेंसी देकर बनाया जाए, जिससे एल.पी.जी. कमीशन एक ही वितरक के पास न जाकर बेरोज़गार युवाओं में बंट सके। युवाओं को रोज़गार तो मिलेगा लेकिन सबसे बड़ा लाभ देश के नागरिकों को ''**ओन डिमांड एल.पी.जी. गैस डिलीवरी**'' मिलेगी।

(xiv) Regarding an Universal Advertisement Policy for both print and electronic media

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA(TUMKUR): Advertisement both in the print and electronic media plays very vital and important role in the functioning of both central and state Governments. Hon'ble Supreme Court has given specific direction to enact a legislation with regard to advertisement policy. But no action has been taken by the Union Government in pursuance to the decision of the Hon'ble Supreme Court. But few states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana etc. have evolved advertisement policy of their own. Government of Karnataka had also taken a decision during 2014-2015 with regard to the advertisement policy. The need of the hour is the initiative to be taken by the Union Government. Therefore, I urge the Union Government to enact a legislation with regard to the Universal Advertisement Policy in the country.

(xv) Need to provide houses to all eligible citizens under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) in a time-bound manner

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): The Indira Awas Yojana (I.A.Y.) has been renamed Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) which aims at providing every Indian an affordable house by 2022. So far only 3.6 crore houses have been completed under I.A.Y. The amount allocated under IAY is meager. Similarly adequate land has to be found out for this scheme. Government of India has to evolve a mechanism to fulfill the dreams of every Indian to own a house by 2022. Services of States, private and public organizations should also be brought under one single umbrella to achieve the objective.

(xvi) Need to permit work site supervisor under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme to work beyond the fixed limit of 100 days work

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): In Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Work site Management is one of the most important aspects of proper execution of work.

As per the Operational Guidelines of MGNREGA Act, 2012, Para 4.1.2 specifies selection criteria, remuneration, roles and responsibilities of work site supervisor. The job of a work site supervisor involves recording attendance, taking initial measurements, motivating the unskilled workers and also ensuring drinking water etc. Hence work site supervisor is a semi-skilled worker and cannot be compared with unskilled worker.

Now, as per the new guidelines, for each work, atleast one worksite supervisor shall work upto the period of completion of work or completion of 100 days, whichever is earlier.

MNREGA workers are involved in Swachh Bharat Mission. The workers are specially trained in Solid waste management designated as Cleaning Guards. If the new set of workers are employed for 100 days, it will dilute the spirit of the programme.

Work site supervisor plays a vital role in the successful execution of the programme and could not be replaced every 100 days. It is also not possible for a new person to be trained for every 100 days. There are 2.5 lakh gram Panchayats in our county. It is not easy to find a replacement of work site supervisor for every 100 days in each and every Panchayat.

Therefore, I urge the Union Government to desist from implementing the new guidelines and allow the Worksite supervisor to work for more than 100 days without any restriction.

(xvii) Regarding doubling of railway line between Thanjavur and Mayiladuthrai in Tamil Nadu

SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): I urge upon the railway minister that in my Mayiladuthurai Parliamentary constituency, the railway track between Thanjavur and Mayiladuthurai is a single line section. Introduction of new trains is held up in this highly saturated section due to path constraint.

Three important A category stations namely Thanjavur, Kumbakonam, Mayiladuthurai are in this section, These A grade stations are fetching an annual passenger ticket revenue over amounting to Rs. 60.00 crores to the railways. The entire section between Thanjavur and Mayiladuthurai together register a daily foot fall of over 26000 passengers. Further Kumbakonam has been adjudged as the 5th best clean station by the railways recently. So pilgrims, public, trade bodies, consumer organizations etc., are expecting doubling of Thanjavur Mayiladuthurai section which pass through various important pilgrim centres.

(xviii) Need to bring back youth presently stranded in Malaysia

DR. TAPAS MANDAL (RANAGHAT): I want to draw your kind attention to the hardships of some youth of my Constituency 13- Ranaghat (West Bengal) who went to Malyasia for working through an agreement with MIS Jatayu Plantation at Malaysia. They have not been absorbed in the said Company. They are not getting sufficient food and are at present passing days of hardship. For the last one year, they tried to come back to India, but could not succeed. Their families are in great anxiety. Under the above circumstances, please bail out these youth by bringing them back. I urge the Government to take immediate action in this regard.

(xix) Need to declare Joynagar Moa, a traditional Bengali Sweet as one of the heritage foods of the country

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): My parliamentary constituency is Joynagar and the place is popular for its famous Sweet, the Joynagar Moa. The word 'Moa' comes from 'mo' means madhu or honey.

Late Ashutosh Das, resident of Sreepure village at Joynagar I Block under South 24 Parganas district first started the Moa industry. His son Jawahar Lal Das now aged 90 years has been associated with this industry since his childhood. The Moa is basically a unique combination of puffed paddy named 'Kanak chur' (special aromatic rice plant with molasses named nalen gur, ghee, cheese, Cardamom, Kismis). Joynagar Moa has the distinctive & naturally occurring organoleptic characteristics of taste and aroma that have won the patronage and recognition of discerning consumers all over the world.

Like Darjeeling tea, Joynagar Moa has established a traditional base in the Bengali life. It is now a part of Bengal's heritage. We may treat Joynagar Moa as food Heritage of West Bengal. Nearly 20,000/- people of entire Joynagar Block are directly associated with this food product.

Joynagar Moa Nirmankari society has obtained Geographical Indication Registration for Joynagar Moa. The economic & social development of the entire Joynagar Block will reach a new height as the Heritage food status of Joynagar Moa will bring about changes in the socio-economic life of the villages of Joynagar, if we take into consideration the entire project i.e. cultivation, production, preservation & global marketing of Joynagar Moa as a whole.

So, I urge the Government to declare Joynagar Moa as a Food Heritage.

I would like to request the Hon'ble Minister, Food Processing Industries to allocate fund for the same and necessary steps should be taken for its promotion.

(xx) Need to restore Central assistance for centrally sponsored Area Development Programmes in Odisha

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Several Centrally Sponsored Area Development Programmes like the Special Plan for KBK, Backward Region Grant Fund and Integrated Action Plan for Left Wing Extremism affected districts are under implementation in Odisha. These Programmes have been found to be very effective in improving the lives of the people of these areas. Unfortunately, the Government of India has discontinued the central assistance to these Programmes which has severely affected the developmental works in some of the most vulnerable and backward regions of Odisha. The State Government finds it difficult to carry on the Programmes since it involves resource commitment of about Rs. 1227 crore. I would like to request the Central Government to restore the central assistance for these programmes keeping in view the developmental needs of the most vulnerable and backward regions of Odisha.

(xxi) Need to confer Bharat Ratna Award on Vinayak Damodar Sawarkar, the great freedom fighter

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Madam Speaker, we all are well aware of the contributions of Swatantryaveer Vinayak Damodar Sawarkar made during Freedom Struggle of India. He was sentenced to rigorous imprisonment for 13 years in Cellular Jail at Andaman by the British Government.

During the time of his imprisonment, he carved out some poems on the walls of the Jail. Also he wrote many poems during the imprisonment. He was amongst many Freedom Fighters jailed in Cellular Jail, Port Blair who sacrificed their precious lives for the freedom of the Nation.

Being a true Indian, it is a matter of pride for ourselves that last year Honourable Prime Minister took an initiative to release a Music Album based on the poems of Swatantryaveer Sawarkar written by him during his imprisonment in Cellular Jail as a tribute to this Great Freedom Fighter. By honouring Veer Sawarkar, after a long spell of 65 years, the present Government recognized the contributions made by all the Freedom Fighters during the Freedom Struggle and sacrificed their lives for a noble cause.

In his work, Sawarkar promotes a radical new vision of Hindu social and political consciousness. He described a 'Hindu' as a Patriotic inhabitant of Bharatvarsha, venturing beyond religious identity. He defined the Hindu race as "That people who live as children of a common motherland, adoring a common holyland."

On behalf of myself, my party Shivsena and on behalf of all the people of Maharashtra and all the countrymen, I demand the Government to consider conferring Bharat Ratna Award on Swatantryaveer Vinayak Damodar Sawarkar this year. It will be a fitting tribute to this Great Freedom Fighter.

(xxii) Regarding special status category to Andhra Pradesh

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): There is a need to bring about amendment in the Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014 on the issue of 'Special Status Category' to Andhra Pradesh and also implement the provisions contained in the AP Reorganisation Act 2014 in letter and spirit.

(xxiii) Regarding implementation of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): As per section 31(I) of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, Telangana and Andhra Pradesh both were to get separate High Court and as per 31(2), this was to be done by the President through a notified order. I thus request the Minister of Law and Justice to take a Cabinet decision and bifurcate the High Court immediately.

As per 80(2) of the AP Reorganization Act, the Centre must appoint advisory committee to allocate staff between Telangana and Andhra Pradesh. I request the Minister of Law to appoint such an advisory committee to allocate subordinate judicial officers between the two states.

(xxiv)Need to tackle floods caused by rivers originating from Nepal.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष में बिहार के उत्तर-पूर्व क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की नदियों में मानसून के कारण आई बाढ़ के कारण प्राकृतिक आपदा से जान एवं माल का भारी नुकसान हो रहा है। अभी तक कोसी, घाघरा, कन्हैई, बागमती, महानंदा एवं गंडक नदियों में आई बाढ़ उत्तरी बिहार तथा उत्तर-पूर्व बिहार को अपनी चपेट में ले चुकी है। इसके कारण बिहार के लगभग 12 जिलों में 3.39 लाख हैक्टेयर भूमि एवं 30 लाख लोग बाढ़ के कारण उजड़ गये हैं। भारत का उत्तर-पूर्वी भाग आज प्राकृतिक आपदा का शिकार हो चुका है। देश में प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से प्रायः इन भागों में प्रतिवर्ष फसल बर्बाद हो जाती है। एसेसेमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष 10 मिलियन डॉलर की हानि होती है। नेपाल से बहकर आने वाली नदियां इस आपदा का कारण होती हैं। इन नदियों के जल प्रवाह की धारा को नेपाल सरकार से समझौता कर नियंत्रित कर प्रबंधन में लाये जाने की जरूरत है।

अतः मेरा आग्रह है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए उक्त समझौता करें और तुरंत हल के लिए बाढ़ पीड़ित लोगों की आर्थिक मदद के लिए सहायता राशि प्रदान करने का कष्ट करें।

(xxv) Regarding condition of National Highways in Barak valley in Assam

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Road connectivity in Barak Valley in Assam along National Highway is in a worse condition. National Highway Nos.-6, 8 and 37 are linked with Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura and Bangladesh border. On these National Highways, places namely Malidhore to Srigouri 18 Kilometers, Srigouri to Baba hotel 20 Kilometers, Baba hotel to kasthayagram 15 Kilometers, Lowairpowa to Churaibari 20 Kilometers, Badarpurghat to Panchgram 2 Kilometers, last part of Dhateshwari to Bharobi road 5 Kilometers, Silchar Ziribham road 4 Kilometers, Silchar Lailapu road 5 Kilometers and some parts of Karimganj – Sutarkhandi road are dangerous for vehicle movement for the last 3 years specially in rainy season. People of the regions are regularly submitting memorandum to different authorities. From time to time I brought it to the notice of Union Government but problem has been not solved till today.

So, I request the Union Government to take the remedial step immediately.

(xxvi)Need to start DEMU train service from Hisar to Chandigarh

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to urge the government to start two Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) train services from Hisar to Chandigarh one via Kurukshetra and another via Dhuri. Hisar, as the district headquarters, has a number of industries, educational institutions including leading universities and there is a need for introduction of DEMU train services to have direct rail connectivity with state capital Chandigarh. Similarly, Kurukshetra is a world famous historic tourist place and regional colleges of Hisar are affiliated to Kurukshetra University and so it is very important to provide train facility from Hisar to this place also. In the event of introduction of these two DEMU trains, thousands of passengers will be benefitted every day. However, this proposal is pending with the Ministry of Railways since long. Therefore, I urge the government once again to take necessary action for starting of DEMU train service from Hisar to Chandigarh.

(xxvii) Need to bail out Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) at Ambalamugal in Kerala

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): A public sector undertaking of the Ministry of Chemicals and Fertilizers namely the Hindustan Organic Chemicals Limited HOCL unit at Ambalamugal shut down operations due to the shortage of working capital. The State government is making a major push for the takeover of this PSU by the Kochi refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). The proposal is pending with Central Government. The non-plan fund proposal for Rs. 75 crore is also still lying in the Ministry. HOCL management is trying to arrange raw material from BPCL by having a 70-30 formula. HOCL has to give 70% of sales collection to BPCL and the balance 30% shall be used for other purposes. This is only a temporary relief. HOCL cannot meet the requirement of both the units with available 30%. Two months' salary of employees is also pending. Immediate intervention of the Government is required to save HOCL.

Hence I urge upon the Government to initiate immediate steps to bail out Hindustan Organic Chemicals Limited.

14.24 hours

EMPLOYEE'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 2016

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Employee's Compensation Act, 1923, be taken into consideration."

Sir, it is my privilege and honour to introduce the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016 in this august House.

Labour is a big component in the nation building activity as their role and participation is very high. India has got a huge human resource and that is why, the labourers or the workers play a significant role in building the nation.

The hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi and the NDA Government have taken new initiatives like Make In India, Skill India and Digital India. With all these schemes, a large national productivity will be there in which these workers will be involved more and more. So, for this we are coming out with this legislation. It is very important to note that a large number of organised work force will be benefited by this.

There are four proposals in this Amendment Bill with regard to injury, industrial accident, death or disablement. Then comes the occupational diseases. We are increasing the penalty from Rs. 5,000 to Rs. 50,000. Then, there is a penalty for failure to display the Act. Wherever an establishment or factory is there, they have to display the Act in Hindi or English or in regional languages for the information of the workers.

The limit for appeal in courts has been increased from Rs. 300 to Rs. 10,000 in order to reduce the litigation. The fourth one is the payment of compensation. Earlier, the Commissioner had discretion. Now, with this proposed amendment, the discretion with the Labour Commissioner has been done away

with. Only when there is a stay from the High Court, it can be stopped. These are the four amendments which we have introduced in this Bill.

I request all the hon. Members to support and pass this Bill in the interest of the workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Employee's Compensation Act, 1923 be taken into consideration. "

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this small Bill which was introduced by the hon. Labour Minister, Shri Bandaru Dattatreya.

The Employee's Compensation (Amendment) Bill, 1923 is further being amended and is now before the House for its consideration. After decades of debate and discussion, this amendment for enhancing the compensation is being taken up for consideration. It is good to note that the employees are getting some relief than not getting anything at all. But please note that the trade unions are asking for more and still the demands of the unions are not being considered enough and it is not to the satisfaction of all the employees.

In this Amendment Bill, the Government has shown its pro industry and corporate mentality and the employees are given only peanuts. It is very unfortunate. The proposed amendment suggests enhancement of penalty for various violations under the Act from the existing amount of Rs. 5,000 to Rs. 50,000, which may be extended to Rs. 1 lakh.

Under the present rate of inflation, with the cost of various goods and services being high, can this compensation be called as a compensation? The maximum compensation for various violations is only Rs. 1 lakh. With this much compensation, the industries and present day corporates will be very happy to violate the employees' rights and welfare according to their whims and fancies.
This is the reflection of the BJP Government's anti-employee attitude and its support to the employers. If the compensation proposed is higher enough to persuade the employers not to violate the provisions of the Act, then there is meaning in such amendments.

Sir, 27 months bank, Modi Government was talking about amending labour laws of the country to promote more industries and increasing investment in the country. Any civilized Government will always think of more welfare and development provisions for its employees to improve their working conditions and

living standards. Unfortunately, this Government's focus is towards developing industrialists, and not the workers. It is very unfortunate. Workers are watching all these developments.

Workers are on warpath against the draconian laws and anti-worker policies of the Government. Trade unions have also called for a nation-wide strike. This Government is proposing withdrawal of various benefits the employees were getting for decades under the Employees Provident Fund Scheme, the Employees Insurance Scheme, the Factories Act, etc. Demands of workers are ignored time and again. The Government has conducted several rounds of talks with the trade unions on their demands. Still, none of the demands of the trade unions have been accepted. All trade unions are ready to go on strike to protect their hard earned benefits.

Sir, the only resort of millions of employees of unorganised sector in the country is the EPF and ESI. Policies and initiatives of the Government are weakening both these initiatives. Employees have been demanding for decades enhancement in the salary ceiling in the EPF and ESI from the present rate of Rs.6,500 to Rs.15,000 and Rs.15,000 to Rs.25,000 respectively. Current minimum salary is Rs.6,500. There was a decision of the EPF Board that it would be enhanced to Rs.15,000. So far it has not been implemented by the Ministry. Minimum ESI amount should be enhanced from Rs.15,000 to Rs.25,000. This was decided by the previous UPA Government. The UPA Government decided to enhance the minimum amount in both EPF and ESI. So far, the present Government has not implemented the same because you want to protect the corporate interests; you want to protect the employers interests. That is why you have kept in abeyance this decision. Why is it so? This Government came to power two years back. Trade unions have been demanding on many occasions for this enhancement. Still, the current Government is closing its eyes. This is your attitude towards the workers.

Earlier, the employees had the benefit of Death Fund. In the event of an unfortunate death of an employee, the employee would get money from the Death Fund. Now, this benefit has been withdrawn. Death Fund was a great solace to the poor workers in cashew and other industries who earn Rs.200 or Rs.300 a day. Hence, I would request the Government to reinstate the Death Fund. Many Committees like the Standing Committee on Labour and Employment, the Consultative Committee had a discussion on this subject but this Government is not agreeing with the reinstatement of the Death Fund for the poor workers.

Similarly, workers have the facility to commute their pension under the EPF Pension Scheme. Now that benefit too has been withdrawn. It is a great blow to the poor employees. For most of the employees in sectors like cashew, and other medium and small industries, commutation of pension was an income to support their families like marrying off their daughters, building a house or to undertake repair work or to set up a business, etc. A worker is now denied of this benefit also. The provision for commutation of pension may be reinstated immediately. Trade unions are also demanding for the reinstatement of commutation of pension under the EPF, but the Ministry has not agreed to the same. The trade unions have been demanding for commutation from time to time, but the Ministry of Labour has not accepted their demand.

Another major demand from the side of the workers is that after the prescribed period of commutation, the normal pension should be restored to the workers. It is a great injustice and denial of natural justice to the workers and denial of their basic rights. After the statutory period of commutation is over, the normal pension should be restored to the workers.

Another issue which I would like to bring to the notice of the hon. Minister is the minimum pension being paid under EPF. Now we are giving Rs. 1,000 as minimum pension to EPF pensioners. The Government has increased all types of pensions which are being given to the poor people, but the Government has not increased the minimum pension under EPF. How can these poor workers carry on

with this meagre amount? Is it not the concern of a responsible Government to see that their citizens live a decent life after toiling for the country during their good times? The retired employees of the Government of India are also getting revised pension every 10 years. Every Pay Commission increases the salary and pension of the employees of the Government of India. But what is the position of EPF pensioners? Their minimum pension has not been increased. Various organisations representing the EPF pensioners both at the State level and Central level have strongly demanded to increase the minimum EPF pension from Rs. 1,000 to Rs. 5,000. So this has to be enhanced. But what is the attitude of the Government? Why is the Government not enhancing the pension of EPF pensioners? This is the important question I want to ask the Government.

I would like to ask the Government as to why there is a delay in introducing the Minimum Wages (Amendment) Bill. This Government is always saying that they are going to introduce the Minimum Wages (Amendment) Bill. The previous UPA Government has drafted the Minimum Wages (Amendment) Bill. The UPA Government was ready to introduce that Bill. But the general election was announced and that is why the UPA Government could not introduce it. Everybody expected that this Government would introduce this Bill soon. But so far this Government has not introduced it. The Government has kept it in cold storage.

Sir, I challenge the Government to show us a single act or initiative taken by this Government for the benefit of the workers. All the labour law amendments the Government is proposing is for helping the industry, not the workers. The Government says that the amendments are proposed to stop the inspector *raj* and corruption. Even with inspector *raj*, the workers are deprived of their rights. I wonder if the inspector is not there, what will happen to the employees.

Then, the Government should take note that more than three lakh cashew labourers in Kerala are at the verge of destitution or suicide. The factories are closed for months and they are starving. The closure is mainly due to the new

Export Import Policy of this Government and they are also imposing taxes on them. Lakhs of cashew workers are employed in the cashew industry not only in Kerala but also in Tamil Nadu. But the NDA Government has imposed import duty on raw cashewnuts. In my district, more than two and a half lakh cashew workers are facing problems because the cashew factories are closed for the last six months and so they are not getting employment. The Commerce Ministry has imposed import duty on raw cashewnuts.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I do not want to take much time. This is a very small Bill. I am concluding.

Sir, the new policy allows the employer to impose his own rules; and there is no inspection of the enforcement agencies. The result is that the workers are deprived of their rights.

I would, therefore, urge upon the Government to have a fresh look on these issues while initiating the central policy to ensure the welfare of the poor workers.

Thank you, Sir.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Employees Compensation (Amendment) Bill, 2016.

In the background, I would like to begin by saying that it was envisaged in 1923. This Bill has come up because of reviews by various Law Commissions. We had the 62nd review in 1974 and we had the 134th review in 1989.

My previous speaker, who is my learned friend, was a Minister in the previous UPA Government. He held the portfolio of Labour. I heard him speak. He mentioned what the Government of India has done.

Sir, I must commend the hon. Prime Minister. He has taken many years to think of गाँव, गरीब, मज़दूर और किसान। यह पहली बार हुआ है कि देश के प्रधान मंत्री जी ने इन सबको देखा है और लेबर डिपार्टमैंट के माननीय मंत्री जी एक अच्छा बिल लेकर आए हैं। This Bill will help all sections of the community.

This is basically to address the employees while they are working at their employers' place vis-à-vis injury, vis-à-vis if they get any disease working in the industry and if they face death, which is unfortunate. But it should not happen to anyone. If they face death, for that the Government of India, the Ministry of Labour has brought out this Bill.

Sir, who had held powers for 60 years? 60 साल के राजनैतिक जीवन में किस पार्टी ने देश को चलाया, वह सबको पता है। वे बोल रहे हैं कि हमने क्या किया। हमें तो यह बताना चाहिए कि 2012 में यह तय किया था कि it covers about 47.41 crore workers. यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा पता किया गया है।

इसके साथ-साथ, Section 17A has given the right to the employee getting to know his/her entitled benefits from the employer, which was not there before. Now, the employer has to inform the employee *via* electronic mail, *via* like the Mantriji mentioned, putting out in the regional languages in Vernacular Press about the benefits to the employees and the workers of the areas. For the first time, it has happened. This is to uplift the *aam admi,* which was never there before, in the previous Government.

This also helps the employee to get all the benefits. Suppose, the employer does not give the benefits, then the employer will face legal actions by the Labour Commissioner and the Government.

By this, they have proceeded on Section 18A to help the employee to get the compensation from Rs. 5,000 to Rs. 50,000. If there are severe damages, the compensation may go up to Rs. 1,00,000.

Sir, I just want to ask my learned friends from the Opposition Benches – was not the child labour prevalent in their time? Is it not true that during their time, कैमिकल फैक्टरीज़ में लोग काम करते थे।? जो लोग वहाँ काम करते थे, उनके लिए आपने क्या प्रावधान किया? क्या हमारी सरकार आने के बाद, प्रधान मंत्री जी मोदी साहब की सरकार आने के बाद इन्होंने तय किया है और पहली बार इन्होंने आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए सोचा है। यह एक्ट लीगल टीथ देता है for the courts. पहले 300 रुपये तक था, अब लगभग 10000 रुपये तक कोर्ट का मिनिमम अमाउंट किया गया है। Sir, I thank the hon. Minister. पर, हमारे ऑपोजीशन बेंच के एक माननीय सदस्य अमेंडमेंट लाए हैं कि वह दस हजार रुपए नहीं, बल्कि बीस हजार रुपए होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वह दस हजार रुपए ही रहे।अगर कोई इम्प्लॉयर कोर्ट चला जाता है तो कभी-कभी उन इम्प्लॉयीज़ का पैसा रूक जाता है, काम करने के बाद भी रूक जाता है। मोदी साहब ने तय किया है कि अगर कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, तब तक उस इम्प्लॉयी को उसका भत्ता मिलना चाहिए। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

लॉ कमीशन की 134वीं रिपोर्ट के द्वारा यह किया गया है। इसके द्वारा सरकार ने तय किया है कि सेक्शन-17 ए लाया जाए। अगर इम्प्लॉयी को सही तरह से इसके बारे में बताया नहीं जाएगा तो फिर कार्रवाई होगी। 134वीं रिपोर्ट के द्वारा पेनाल्टी लगाई गयी है। इसके साथ-साथ जहां तक डिस्प्यूट्स की बात है, उसे भी हायर कोर्ट्स को दिया गया है।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। कई और ऐसी बातें हैं। मीटिंग में यह भी चर्चा में आई थी कि क्या कॉमन मिनिमम पेमेन्ट होना चाहिए? इस पर भी सरकार विचार कर रही है।

I would like to thank the Ministry for Section 30(a) and the Law Commission's Report by which the rational behind this is to move that the compensations which were held previously due to court orders or through Labour Commissioners, now the employee will get their proper payment on time.

In the end, I would like to say that the Government of India has considered many views. It is the first time that the Government of India is pro-active. It is the first time that the Government of India is thinking for the *aam aadmi, aam kisan and aam mazdoor*. It is the first time that the hon. Prime Minister is thinking about skill development. He is giving people the opportunity to get jobs. He is not only pro-industry but also pro-people. Several Parties held power for 60 years, were they not pro-industry? We see different reports in the media now like C&AG reports, etc. What are they about?

I must say that the present Government is also thinking about the employees. The Ministry of Labour is working for medical facilities and giving ESI hospitals. The Ministry has also increased the area for that. They are also working on investment for the welfare of the people. I would once again like to thank the Ministry and the hon. Minister for coming up with such important amendments.

It is the first time that the Government of India has thought about food processing on such a big scale. It is the first time when people from all walks of life are getting work. This is only happened because of the efforts of our Government and I would like to thank our present Government and the hon. Prime Minister for that.

I would once again like to thank the Ministry for this.

Jai Hind. Jai Bharat.

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Thank you Deputy Speaker, Sir. I would like to express my gratitude and sincere thanks to our beloved leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma for giving me an opportunity to speak about the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016.

Workers employed in the organized and unorganized sectors, sustaining injuries at their workplace, should be eligible for higher compensation from employers. Labour law reforms are an ongoing and continuous process and the Government has been introducing new laws and amending the existing ones in response to the emerging needs of the workers in a constantly dynamic economic environment.

The Employee's Compensation Act, 1923 provides for payment of compensation to the employees and their dependants in the case of injury by industrial accidents including certain occupational diseases arising out of and in the course of employment resulting in death or disablement.

According to this Bill, the employers will be liable for penalty amount in the range of Rs.50,000 – Rs.1 Lakh in case they fail to report the authorities about an accident occurring in work premises leading to injuries, serious body injuries or death of a worker.

Employees or their families will be eligible for higher compensation from employers as the latter will no longer be able to move the court for paying them a sum of up to Rs.10,000. The law will ensure that employees are not harassed by the employers for a small amount of compensation. This proposal will help employees to get at least Rs.10,000 as compensation without facing legal hurdles.

The Employees' Compensation Act, enacted in 1923, is one of the first legislations providing a social security net to workers in the country which covers all work-related injuries. It provides payment of compensation to workers and their families in case of injury or death by industrial accidents.

In Tamil Nadu, hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has taken several initiatives to protect the interests of the employees engaged in both organized and unorganized sectors. Compensation to the affected employees is provided, instantly to reduce the burden of the affected employees or their family members. Lakhs of workers employed in various State public sector services are provided with all kinds of compensatory benefits without any delay. Tamil Nadu under the dynamic leadership of hon. Puratchi Thalaivi Amma has been a role model State in the country for providing adequate compensation to employees.

The law is applicable to unorganized workers employed in factories, mines, plantation, construction site and also to certain Railway servants. The proposed amendment related to a hike in penalty in case of non-reporting of accidents is a very encouraging move. This will incentivize the employers to report all forms of accidents, and once that happens, the judicial proceedings will take over and the workers or their dependents can get compensation well within time.

Compensation for workers in India varies depending on the size of the company. Employers have to compensate an employee if the employee is injured while performing his duties during work hours. Beyond this, the injury must be deemed to have disabled the employee.

There are four types of disability which are compensated in different methods. The four categories of disability are death, permanent total disability, permanent partial disability, and temporary disability.

In the unfortunate case of a death, the worker's immediate dependents are entitled to substantial compensation. Permanent total disability is relevant when a worker can no longer perform any of his previous duties due to an on-the-job injury. In this case, the worker is entitled to 60 per cent of his monthly wage multiplied by a factor based on the employee's potential future earnings. The total payment must be minimum Rs. 1,40,000.

When an employee has sustained an injury that renders him unable to perform his role at the same capacity for the rest of his career, the employee is entitled to permanent partial disablement compensation.

In cases of temporary disability, an injured worker will be paid monthly compensation fifty per cent of total earned wages. In all cases, it is the employer's duty to ensure the worker can receive medical evaluations without incurring personal expenses.

Protecting every single employee is the indispensable duty of the employer. Any legislation to protect the interests of the employees and provision for a better compensation is welcome and the need of the hour.

Thank you, Sir.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you Deputy Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016.

Sir, the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016 is surely an important initiative since it recognizes the importance of workers/employees in any capacity specified in Schedule II of the 1923, Act which includes factories, mines, construction work and certain other hazardous occupations and also it seeks to protect the right of compensation.

It reveals from the Bill that every employee shall immediately at the time of employment inform his right to compensation under this Act in writing as well as through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area of employment. In my opinion, it is a very good move and the House should appreciate for inclusion of such a good provision. The Bill also provides for increase in penalty for contravention of the Act to Rs. 50,000 from the current Rs. 5,000, which may be later raised to Rs. 1 lakh. In today's socio-economic scenario, this is a very commendable initiative and we look forward to many such initiatives.

Section 30 of the Employee's Compensation Act, 1923 provides for appeal in the High Court whenever the disputed amount of compensation is more than Rs. 300. The Bill seeks to raise this to Rs. 10,000 which may be further increased through a notification later.

One of the major objectives of the Bill is to reduce litigation. The proposed Bill is based on the Report of the Law Commission which intends to close more litigations at the level of Commissioner for workmen compensation appointed by the State Government for a particular area.

I would like to mention here that from the reply of the Unstarred Question No. 3198 dated 16.03.2015, it is clear that there is a large number of cases pending to be disposed of. I hope you must appreciate that many of these people have incapacitated. So I would like to request special provision by holding special

court or any other means are undertaken to expedite the case to help these people out.

I would also like to mention here that from the reply of the Unstarred Question No. 6070 dated 30.04.2015, it is mentioned that the reason for delay of giving compensation by different companies is non-submission of requisite documents by the claimants, verification of genuineness of the claimants and delay in obtaining verification report. In that case, companies should take all the required documents, including health status during the process of employment. I would like to point out here that hardly any company follows the safety measures to avoid hazardous disease like silicosis, a lung disease caused by inhalation of dust containing silica. The employees working in coalmines and iron factory also need preventive measures for any sudden accident.

15.00 hours

I would like to urge here that in case the company does not provide the workers with safety aid, the company should be penalized. This should be taken care of by the Government. In hazardous environment like coalmines, stone quarry and others, the workers must be made aware of the safety measures that they should abide by. There should be surprise audit to check whether they are following them or not. Awareness should also be created through lecture session, poster, radio, to make them understand what would happen if they do not follow these safety measures.

If there is no health insurance, it must be made mandatory so that the company provides Health Insurance Scheme to all the employees.

I would also like to mention here that if there is any death in harness, then the company should provide adequate compensation, like pension, to their employees so that they can survive and carry on with their life.

With these words, I, on behalf of my Party, All-India Trinamool Congress (AITC), wholeheartedly support this Bill. Thank you.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you so much Deputy Speaker, Sir for allowing me to participate in the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016 which seeks to amend the Employee's Compensation Act, 1923.

Deputy Speaker, Sir, I stand here on behalf of the Biju Janata Dal and our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik to support this Bill. The Bill contains four specific objectives which the hon. Minister has said during his opening remarks, and all those four aspects will definitely go a long way to take care of the interest of the workmen who are there in the organized sector, and hence we definitely support this Bill.

I am not in the game of blaming or counter blaming which two of our national parties have just done. I will come straight to the point. The first point is this. Why at all this Bill has come? Sir, 45 per cent of the total deaths due to occupational injuries in the world are happening in India alone. We, as a country, are footing the bill of 45 per cent deaths in this sector. This is what the number given by the International Labour Organisation (ILO). Every 15 seconds a workman is dying from work related disease or accident.

Now, what is the impact of this? The impact of this is that it is costing the globe about four per cent of the GDP. This number or whatever statistics that I have put forth is based on whatever figures that are reported. The ILO further reports that there is massive unreporting which is going on across the globe, including that of India. I will draw the attention of the hon. Minister to this very important point. Even as a part of this Bill, the Government of India has acknowledged that there is a limitation of statistics. That means, regarding whatever numbers which are there and which have been put forth in the Bill, the Government of India itself is admitting that there are issues with regard to the statistics or whatever numbers are given. Hence, it is important for me to touch upon a few important aspects, and I would urge upon the hon. Minister, Shri

Bandaru Dattatreya Ji to include this as a part of the Bill, which will definitely make the Bill much stronger and it is in the larger interest of the nation.

I have got six specific suggestions to make. Firstly, it is about the dignity of labour. The Father of the Nation, Mahatma Gandhi all along fought for this particular clause, 'dignity of labour'. We, the people of India, have shown our magnanimity by electing such leaders who have come from such background. One national party, which is ruling the country today, claims that their leader has come from the background of a tea vendor or a *chai wallah.* The other national leader who ruled the country for 10 years till 2014 has also claimed that she comes from a background of a waitress. It is beautiful that the country has responded by saying that we as Indians can respect such leaders and give them the responsibility to lead our country. But why do we not reciprocate, as a part of the Government, to make it as a part of legislation and to make it as a part of the governance process to recognize the fact of the dignity of labour?

I would urge upon the hon. Minister to please do recognize this fact. This is in the blood of Indians and we have to take cognizance of this fact. Secondly, माननीय मंत्री जी, क्लेम को सैटलमेंट करने में कितने साल लगेंगे? How many years will we take to settle a claim? There are reports which appeared on the headlines. *The Asian Age* has reported last week itself. This has shaken the country. It was reported that it took over 20 years for a claim to be settled for a worker who was murdered in a Delhi factory here.

His father, who is 80 years old, is struggling by running from pillar to post to get the claim settled for his son, who was murdered 20 years back. Sir, around 200 hearings have taken place, but he has not got justice. I would ask the hon. Minister, through hon. Deputy Speaker, Sir, as to why he does not put a time cap on this. How long does he expect the worker to run from pillar to post to get his claim settled? It is very important. There has to be a time cap for settlement of such claims. We cannot expect that our workers should run from pillar to post for decades together for this. The statistics say that 84 per cent of the settlement cases

hover around 20 to 25 years. If somebody does not get a claim for 25 years, there is no law in this country. We should feel ashamed over this. It is important that we have to put a time cap on this.

My third point is regarding the cause of accident. Whenever an accident occurs, there is a compensation paid. But, is it not necessary for us to analyse the cause of accident? How much penalty is put if the death is due to negligence of management? They can very well pay a few thousands or lakhs of rupees. But we should ascertain the cause of death and take serious cognizance of it. If it is due to negligence, there has to be a provision of serious penalty including the jail term.

I will now come to the fourth point – how much compensation is paid to a worker? Though there are various rules in this regard, statistics say that they get between Rs.4 lakh to Rs.5 lakh and not beyond that. What is Rs.5 lakh worth today? He will not even get Rs.3500 interest per month on that amount. Is it enough? Can it support his family? How can we expect a labourer, who is getting Rs.20,000 to Rs.30,000 per month, to support his family with mere Rs.3500? So, we must look at the amount of compensation. We should not make it meagre.

Fifth, the Supreme Court has just issued a notice to the Government of Gujarat. It virtually issued a bailable warrant to the Chief of Pollution Control Board and asked the Government of Gujarat to pay Rs.7 crore. I request the hon. Minister to visit Odisha and see what our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik is doing for the welfare of the State. Why should people go to the Supreme Court? How many people in this country you expect to go to the Supreme Court and wait for years till it gives directive to the Government to pay compensation to the workers. Why do we not build a mechanism so that the system itself will take care of it and pay the right compensation in a fixed time frame?

My last point is in respect of incentivising those enterprises which are running with no accident at all. This is a prevailing practice all over the globe. Whether you go to the USA or Europe or other countries in the world, the factories which report zero accidents or reduction in the cases of accidents, are incentivized.

I would urge upon the hon. Minister to implement such factors like bonus, incentive, etc. to encourage the enterprises to reduce the number of accidents or go towards accident-free working atmosphere.

Before I conclude, I must tell you, Sir, that I have run a factory for about 10 years. My experience is that the workers are not bad. I have run it without a single second of interruption. But when we do not do justice to the workers, they go on strikes and take law in their hands. So, let us come up with a piece of legislation which will give justice to the workers in the organised sector and to the people of our country so that we have a holistic approach to this issue as we move along.

Thank you, Deputy-Speaker, Sir.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Employees' Compensation (amendment) Bill, 2016.

The Employees' Compensation Act, 1923 provides for a social security net to those workers and their dependents who, during the course of their employment, suffer from a case of injury by industrial accidents, including certain occupational diseases resulting in their death or disablement.

The Law Commission of India in its reports in 1974 and 1989 relating to the Workmen's Compensation Act, 1923 - now known as Employees' Compensation Act, 1923 - recommended to review various provisions of the Act.

The proposed Bill is based on the report of the Law Commission which intends to close more litigation at the level of Commissioner for Workmen's Compensation appointed by State Governments for a particular area.

Section 30 of the Employees' Compensation Act, 1923 provides for appeal in High Courts whenever the disputed amount of compensation is more than Rs. 300. The Amendment Bill seeks to raise this threshold to Rs. 10,000. In my opinion, this compensation amount is very less compared to today's rate of inflation. Even for a minor or medium injury, the hospital authorities would raise a bill of Rs. 50,000 in a city like Mumbai and other metropolitan cities. Therefore, it is requested that the compensation amount may be raised.

I come to clause 2 – insertion of new Section 17A. Now, it is mandatory on the part of the employer to inform the employee at the time of his appointment of his rights to compensation under this Act in writing as well as through electronic means in English or Hindi or the official language of the area. I welcome it. Here, I suggest that the emphasis should be on regional languages. My feeling is that normally, the employer does not follow this procedure.

One of the main objectives of the Bill is to reduce litigation. I welcome this. The earlier Act allowed people to approach High Courts when the disputed amount was higher than Rs. 300, which meant a high number of court cases since nobody will seek compensation less than Rs. 300. In this regard, I want to suggest

that cases pending in various High Courts should be transferred to the Fast Track Courts.

The Bill provides for an increase in penalty for contravention of this Act to Rs. 50,000 from the current Rs. 5,000. I welcome this. The Bill also proposes to impose penalty for failure to display provisions of this Act.

Section 30A under the Act previously allowed the Commissioner to use his discretion to withhold payment of an employee whenever an appeal was filed in a High Court. This provision has been taken away. Now, only a High Court order or stay can withhold employee's payment.

I want to suggest one more thing. In the case of death of an employee, his dependents should be provided employment immediately instead of keeping them in the wait-list for more than a year or two. The compensation which his family gets is very less. His family needs immediate employment. This suggestion may be considered by the hon. Minister favourably.

There are limited hospitals which are empanelled by the employers for treating injured workers in metro cities. Most of the time, the workers get a stock reply that beds are full and beds are not available. In view of this situation, I would suggest to the hon. Minister to direct the employers to empanel more and more private hospitals in the city itself so that workers need not run from one hospital to another in search of a bed.

One more suggestion I want to give which is regarding the cashless medi-claim facility. It should be applicable to the workers as well as his dependents. Only government insurance companies should be empanelled and the employer should be directed to deal with these insurance companies and pay premium on behalf of the workers. Rather it should be made mandatory.

I hope the Minister would consider my suggestions favourably. Since the Bill is in favour of employees, I once again support it on behalf of my party, Shiv Sena.

Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you for permitting me to speak on this Bill. Even though it is a very small Bill that proposes to give legal backing to some of the left out recommendations of the Law Commission, I feel it is an important one. At the same time, I wish to know from the hon. Minister the reasons for taking decades to implement the proposed recommendations of the Law Commission, since some of the recommendations date back to 1974 and some to 1989.

The first point I wish to make is relating to the insertion of a new clause 17 (A). I welcome this since it applies to every employer irrespective of the number of employees engaged in a company, firm or organization, including charitable, religious and non-commercial organizations. However, there is a problem in the implementation of this provision since clause 17(A) mandates employers to inform an employee of his rights to compensation under this Act, in writing as well as through electronic means, which is a necessity and it is most welcome, Sir, but there are some practical problems. For example, in companies like construction, infrastructure and others, the employees are very mobile and there is no continuous employment like in the organized sector. Secondly, they will be working either on roads, in forests, or hilly or remote areas as well. As an entrepreneur, I strongly support this clause, but as I said, there are some practical problems, which need to be considered.

Therefore, I suggest for the consideration of the hon. Minister to slightly change in the clause. The present clause states, "Every employer shall immediately at the time of employment of an employee, informs the employee of his rights to compensation under this Act, in writing as well as through electronic means…" I just want to suggest a small modification here. Instead of saying, "*in writing as well as through electronic means*", you might as well say, "*in writing or through electronic means, or both at the choice of the employee…*" If he has the provision to receive something electronically, it can be done. If he does not, at

least, it can be given in writing without breaking the law. Therefore, I would suggest that you should make it "either/or, or both at the choice of the employee…" This will serve both the objectives, that is, informing the employee of his rights as also it eases the difficulty in conveying his rights.

The second point is about the penalty proposed to be increased from Rs. 5,000 to Rs. 50,000, which may be extended up to one lakh rupees. I think, for medium and large companies, this penal provision is okay, but when it comes to small units that employ less than ten employees, this amount is excessively high. So, I suggest to the hon. Minister to consider keeping this enhanced limit to units that employ more than ten employees, and apply the existing penalty for units that employ below ten employees.

The Bill proposes to delete Section 30A of the parent Act which empowers the Commissioner to withhold payment to an employee if an appeal is filed in the High Court. There is a slight problem and let me explain the practical problem by giving the example of Andhra Pradesh and Telangana. Cases under this Act are dealt with by officials of the Labour Department who do not have much legal knowledge and do not have updated judicial process. Whenever these officers pass any orders, employees have to deposit the entire amount and file an appeal as per Section 30A of the Act, even though the said orders are legally and factually incorrect. If Section 30A is omitted now, the entire amount will be withdrawn by the employees. In case, if the management succeeds in appeal, it will become infructuous and winning a case will have no sanctity. Hence, this Section may be continued without any changes. This is my suggestion and you may please look into that.

Sir, the final point I wish to make is that for deciding cases under this Act, powers may be given to the Labour Courts and Industrial Tribunals across the country, as the officials of the Labour Department are not equipped with judicial knowledge and processes, and the corrupt practices are rampant. I hope the hon. Minister might be aware that the Karnataka Government has transferred powers to

Civil Courts from the Labour Department for effective implementation of the Act. This will help in improving the general quality of disposal of cases.

Before concluding, I just want to mention one thing. In my State of Andhra Pradesh, after the bifurcation, our employee base has become very low. The State was bifurcated in such a way that most of the industries have been left in Hyderabad. One of the assurances given by Shri Manmohan Singh on the floor of Rajya Sabha was that we would be getting industrial incentives on the lines of Himachal Pradesh and Uttarakhand, to be able to build up our industrial base. All that has been given so far is 15 per cent additional accelerated depreciation. I have come to understand that some discussions are going on. The Finance Minister also has mentioned that he may increase that to 30 per cent. But if we do not get other incentives, it will be very difficult to attract industries to Andhra Pradesh. So, we request you to please convey it to the Finance Minister and to the Prime Minister, to please keep up the promises made to Andhra Pradesh and give us the industrial incentives in line with Himachal Pradesh and Uttarakhand.

I understand that some of the neighbouring States are objecting saying that this will create an un-level playing field. However, I want to make something very clear. We are in an un-level playing field today. We are in an un-level playing field because of the way the bifurcation has taken place. To get us to a level playing field is all we are asking. There is no question of disrupting un-level playing field. We are not in un-level playing field. So, please give us the promised incentives, get us to a level playing field and then if you want to withdraw, it is absolutely fine. We are only asking for justice to Andhra Pradesh.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, I, on behalf of my Party, Telangana Rashtra Samiti, support this Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016.

15.21 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

I have moved a small amendment. I would request the hon. Minister to consider that amendment. The amendment is only to make the provision further clear.

In Clause 2 of the Bill, a new section 17A is being inserted in the main Act. Here, I have proposed a small amendment. After the words "inform the employee of his rights", I would like the hon. Minister to substitute these words by "inform and make the employee understand his rights". My friend Shri Galla has said that many workmen may not be available because there are persons who are not very much available with the employer at all times and many employees are illiterate also. So, while making this proviso, let the employer make the employee understand his rights. That is what I suggest through my amendment.

By Section 18A and in Section 30, they are increasing the fine amount. I fully support this. Deletion of Section 30A in the Principal Act is also a welcome step because there is no need for the Commissioner to withhold the concession amount.

As all of us know, this main Act of the Employee's Compensation Act was earlier known as the Workmen's Compensation Act. This Act was brought into force in the year 1923 during the pre-Independence time. It is nearly 90 years. I would request the hon. Minister one thing. The Law Commission in its various reports has recommended to either repeal or amend many of the sections in the Principal Act. The hon. Minister through this amendment Bill has only tried to amend only two or three sections in the main Act. Earlier, various Governments had made such amendments to the Workmen's Compensation Act. This Workmen's Compensation Act was re-named in the year 2009. Now it is called as

Employee's Compensation Act, 1923. The Law Commission in its Report has suggested many amendments to many sections. So, I would request the hon. Minister to consider those recommendations to repeal this principal Act and bring a comprehensive legislation in the present era particularly after the economic reforms. The employers also change their way of functioning. So, the relations between the employer and the employee in the present circumstances should be taken into consideration. Let the Government come with a comprehensive legislation in the present era as the Government and the hon. Prime Minister is mentioning about the 'Make in India' Programme. We should attract investors not only from this country but from abroad. To improve ease of doing business we should bring a new legislation with regard to employees because they should not be deprived of their compensation.

At the same time, the Parliamentary Standing Committee in its latest report mentioned about the functioning of the Central Government Industrial Tribunals and also the labour courts. There is no data maintained as of today as to how many cases are pending and how many cases are registered in various labour courts across the country. The functioning of labour courts is not monitored properly. The Standing Committee had recommended various corrective measures. However, the Government had not taken any initiatives so far to implement those corrective measures.

The Standing Committee specified in its report that the Lok Adalats disposed many cases which were pending in labour courts. The money allocated to conduct Lok Adalats is very meagre. In 2015-16 they conducted about 22 Lok Adalats in the Central Labour Courts and they disposed many cases. But unfortunately they could not conduct Lok Adalats further because of paucity of funds. So, I would request the hon. Minister to allocate some funds to conduct Lok Adalats to dispose the cases pending before labour courts so that the workmen can get their compensation early.

As an hon. Member from the BJD party mentioned, cases are pending in various labour courts for several decades. We should not expect that those cases will remain pending for such a long time. With these suggestions I would like the hon. Minister to consider my amendment which seeks to make the employer liable to make the employee understand his rights. Thank you.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, with all respect to the hon. Minister who piloted this Bill I would like to make one comment. Many of my colleagues, some of them are employers also, have made their speeches and made some comments on this very important Employees Compensation (Amendment) Bill. The attendance in the House now talks about the importance being given by Members of Parliament including those on the Treasury Benches to the issues of the working people. If the hon. Minister chooses to look back, he cannot see even the shadow of presence behind him. If somebody dares to raise the question of quorum now, there is no alternative to me to sit down and for you, hon. Chairman, to ring the quorum bell to find out whether there is quorum in the House.

Sir, there is a bestseller titled *Count Your Chickens Before They Hatch*.

There is a particular paragraph many of us know. In olden days, a man went to Yemen when it was under the British rule. Violating all the norms and all the laws of that nation, he began to collect silver coins and became rich. Now our management gurus are now propagating that this is the right thing to do; the new principle of the management gurus is the new 'A', 'B', 'C' 'D'. A is for avoiding the trade unions; B is for by-passing the laws; C is for confusing the courts and D is for delaying all the benefits to the workers.

I was an advocate who practiced for more than 25 years from the Mofussil Court to the High Court of Kerala. Even though I am still in the rolls, I do not wear the robes. The workers never get justice. It is very well known to you that many of our bureaucrats are least interested in meeting the trade union people, the association leaders. I am not saying about sharing a cup of tea; anything can happen across a cup of coffee or a cup of tea. We all share that in the Coffee Board or in the Tea Board here itself. I am not accusing the hon. Minister, but in the 15th Lok Sabha I have heard some of the Ministers saying, 'do not come with the trade union people; I do not want to waste my time.'

I may be permitted to quote from the speech of the hon. Prime Minister which he made yesterday- 'man, machine, minutes etc'. The first word he used

was ‘man’. Everything is for man and ‘man’ includes women also. But what happens when the cries of the human beings come? It is their cries which come before us. Either they come by person or petition or through their representatives. The hon. Minister may excuse me but it is just like giving Whatspp *idlis* to end the starvation. Suppose there is method of making *idli* in Whatsapp and you put that and you can eat that. Then we can put an end to starvation.

There are quite a lot of laws. Our new entrepreneurs are asking for more flexible labour laws in the era of globalisation. At the same time, the laws which have been enacted by this august House as well as by our brothers and sisters in the Upper House, are still in the Statute Books. They are not at all implemented. Now we hear that we have to end the license raj; we have to end the inspector raj. Who is there to cater to the needs and take up the issues of the working class people? This is my humble question.

Is the Government trying to disorganize the workers? The Government has to be a role model in the case of employment. The Government is now outsourcing. Everywhere we are seeing outsourcing. In many of the public sector undertakings, there is outsourcing. We all use the services of the airport. In almost all the airports, what happens is that most of the jobs are outsourced. Nobody knows who are these people coming to work in the airports. How many SCs, how many STs, how many OBCs, how many orthopaedically handicapped and how many differently abled people are there? The director of the airport does not know this. I also do not know. Not only that, there is gender inequality in the jobs. The hon. Minister knows it very well. We all owe our lives to our mothers. It is because of our mothers that we are here.

The working population, particularly the women suffer quite a lot. In this country, in many of the airports, the unmarried girls are forced to serve liquor in the lounges. They have been asked for this. They have to give an undertaking that they would not marry; if they marry, they will not get pregnant; if they get pregnant, they would not ask for any of the medical benefits; and *suo motu* they

should be willing to resign from the organization. All these are given in advance. These girls who have been taken for employment or who have joined the job in the shops have to operate small vending machines but the employers are telling them, 'I have employed you. I will decide what your salary is. I will decide what your benefits would be. Now, I ask you to serve liquor in the lounge.' This happens in the airports of India. This is a complaint I am making in this august House. If the Labour Minister has that much of political clout, I beg him to conduct an inquiry into what is happening and if the employers are doing that. Of course, they will say, 'We will educate the labour; we will protect the labour.' It is just like a fox being given the opportunity to protect the chicken and just like the wolf being given the prerogative to protect the cows and goats. What the Labour Department has to do, it has to do. If you are watering the powers of the Labour Department and Labour Ministry, it is a pity.

When it is a battle between the man and the machine, we the representatives of the people are standing by the side of the machine and money instead of the side of the man. It will create unprecedented hardship for the labour class.

It has been pointed out by the corporate media themselves that there is growth of joblessness. They have expressed their concern regarding the growth of joblessness and lack of employment growth. We are discussing about the growth of the economy, the growth of the gross national income, the growth of the gross national product and how to curtail inflation – four per cent inflation, plus or minus two per cent, as our hon. Prime Minister has stated yesterday – but what about employment in organised sector which is coming down? It has been a practice that you always put the organised sector before the unorganised sector and tell the people that the organised sector is the opponent of the unorganised sector. It is because of the *babus* in the Government Departments, both in State and Central Governments that you unorganised people do not get your benefits. This is what they propagate. Regarding the 7th Pay Commission, on HRA, transport

allowance, etc., they have their own grievances. What about the people who are working in autonomous institutions and other bodies under the Government of India. Has the 7th Pay Commission taken into consideration the demands of those people who are working under the Government of India in the so-called autonomous institutions and autonomous bodies? No. What will happen regarding incentives, increments and promotions to these people who – if I may use such a word – sacrifice their lives when human life is given only once? In English they say a cat has nine lives but a cat does not know it has nine lives.

My hon. colleague just now made a mention regarding the health benefits. The pensioners are crying. They do not know where to go. If they go to one place, they are asked to go to another. Even the Ex-Members of Parliament suffer from the inadequacies of the Central Government Health Scheme. Every one in this august House will become an Ex-MP.

To be frank, I am not opposing this Bill but I may be permitted to support this Bill at the same this is my humble request to the hon. Minister. I know, he is with me. A beauty parlour treatment will not solve the issues of the nation. It is a cosmetic thing which will not solve the problems of the working people of this nation. While I support this Bill, I would request the hon. Minister to take the initiative and conduct regular meetings with the trade unions of this nation. Before the presentation of the Budget such a meeting never takes place. The Finance Minister does not invite the hon. Labour Minister along with other representatives of the trade unions to have a meeting. Meetings do take place with the corporate blocks, with the employers' representatives but not with the employees' representatives. So, while we consider the machine and the money, at the same time we have to have a balance with man also.

Today is the August Kranti Diwas. In the morning we paid homage to the martyrs. The Constitution also talks about the workers' participation in the management. What about the workers' participation in the management? Is the hon. Minister sincere about that? We have to ensure that the workers'

participation in management should start from the public sector undertakings. Just because of that reason it should not be privatised. Everything is being privatised. Even the natural resources are being privatised.

I agree with the Statement of Objects in principle. I support the views expressed by the Minister but at the same time the treatment should not be a cosmetic treatment. We should go deep into the problem and come up with the solution. Thank you, Sir.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि शायद यह बिल एक ब्युटी पॉर्लर ट्रीटमेंट है और मैं भी उनसे सहमत हूँ कि इस बिल के दौरान हम कुछ छोटे-छोटे बैनिफिट्स तो वर्कर्स को दे रहे हैं, लेकिन पहले दिन से ही सरकार की यह नीति रही है कि एम्प्लॉयइज़ और लेबर राइट्स का जो ढांचा है, उसको डिमोलिश किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। जिस प्रकार की नीतियां यह केंद्र सरकार सपोर्ट करती है, उससे न तो कोई ट्रेड यूनियन खुश है, न कोई लेबर राइट्स लॉयर खुश है। आज यह एक छोटा सा बिल आया है, इसके समर्थन में तो हम हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कौन-कौन से बिल और आने वाले हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से बिल देखे जाएंगे, उनमें लेबर्स का हित हमें नहीं दिख पाएगा। उनमें एम्प्लायर्स का हित देखा जाने वाला है। हायर एण्ड फायर कैसे आसान कर सकते हैं, वह देखा जाएगा। जो स्मॉल फैक्ट्रीज़ हैं, जो सिर्फ 40 वर्कर्स एम्प्लाई करते हैं, उन एम्प्लॉइज़ के राइट्स को कैसे कुचला जा सकता है, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स आने वाले हैं। हम यह जानते हैं कि क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश और पंजाब का निर्वाचन आ रहा है, इसलिए आपकी जो असली मंशा है, वह अभी आप जनता के सामने नहीं दिखाएंगे।

अभी आप यह कॉस्मेटिक बिल ले कर आएंगे। लेकिन जो सारे ट्रेड यूनियंस हैं, वे आपकी असली मंशा को पहचानते हैं। इसीलिए पहले दिन से ही ट्रेड यूनियंस पूरे देश में ऑर्गनाइज़ हो रहे हैं। 2 दिसंबर, 2014 को विभिन्न ट्रेड यूनियंस ने एक साथ हो कर एक स्ट्राइक ऑर्गनाइज़ किया था। मैं उनको सैल्युट करता हूँ, क्योंकि विभिन्न ट्रेड यूनियंस को एक साथ एकत्रित होने में भी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है। इस वर्ष की 10 मार्च को एक नैशनल प्रोटेस्ट डे हुआ। अगर यह केंद्र सरकार, इतनी चिंतित है तो लेबर यूनियंस आपके विरोध में क्यों खड़े हुए हैं? नैशनल कंवेशन के द्वारा इस केंद्र सरकार को एंटी-वर्कर, एंटी-पीपल क्यों कहा जा रहा है? आप नैशन कंवेशन का ड्राफ्ट पढ़िए, जो रिक्मेंडेशन आया है, उसमें आपकी ही सरकार को एंटी-वर्कर और एंटी-पीपल कहा जा रहा है। मैं उस कन्वेंशन के कुछ चंद क्लॉजिस आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने ईपीएफ और ईएसआई पर जो नज़र रखी, जो ईपीएफ विड्रॉल है, उस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं। उससे साफ संकेत जाता है कि वर्कर्स के राइट में जो कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, प्रोविडेन्ट फंड्स हैं, उनको आप दुर्बल कर रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि वर्कर्स के लिए सेविंग के जो छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, वह चाहे स्मॉल सेविंग्स पीपीएफ हो, पोस्टल सेविंग्स हों, गर्ल्स चाइल्ड सेविंग हों, एनएससी हो, किसान विकास पत्र हो, ये जो वर्कर्स के लिए छोटे-छोटे सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आज उनका इंट्रेस्ट रेट काटा जा रहा है। क्या यह लेबर के हित में है, क्या यह कर्मचारियों के हित में है? हमें तो यह भी पता चला है कि प्रधान मंत्री के ऑफिस से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को

एक चिट्ठी दी गई है। यहाँ पर मेरे दोस्त ने कहा, जो बीजेपी की तरफ से पहले वक्ता थे, लेकिन उनको भी पता होगा कि राजस्थान की सरकार के जो लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, within the trade union body उनको बहुत क्रिटिसिज़म मिला है, उनकी बहुत आलोचना हुई है, लेकिन पीएमओ से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी गई है कि follow Rajasthan's management reforms. आज एम्प्लॉयर की जो अकाउन्टबिलिटी है, यह सरकार उस अकाउन्टबिलिटी को खत्म करना चाहती है। लगभग 14 लेबर लॉज पर इस सरकार की एक नीति है कि जो स्टॉर्टअप कंपनीज होंगी, वे 14 लॉज उनके लिए माफ होंगे। ऐसा क्यों है? आज यह जो बिल आप लाए हैं, मुझे लगता है कि यह एक कॉस्मेटिक है। अगर असल में आपकी मंशा होती तो आप इसमें और बड़ी सुविधाएँ ला पाते। It could have been more ambitious. आज आपने इस बिल में लिखा है कि duty to inform, यह एक क्लॉज आपने इसमें डाला है। More important than duty to inform is duty to provide a safe working condition. आज किस प्रकार से हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वे बहुत खतरनाक जगहों पर काम करते हैं और उनके हाथ में क्या है, उनके पास एक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है, उनके पास हेलमेट नहीं होता है, उनके हाथ में प्रॉपर टूल नहीं होता है। वे चप्पल पहनकर इलेक्ट्रिसिटी के तार के पास काम करते हैं। आज हमारे ही एम.पी. फ्लैट्स में देख लीजिए, किस प्रकार से हमारे एम.पी. फ्लैट्स में पेन्टिंग की जा रही है, ऊपर से एक रस्सी टाँग दी, नीचे काठ का एक प्लेटफार्म बना दिया और उस पर वर्कर खड़ा है। महोदय, आपने स्वयं एम.पी. फ्लैट्स में ऐसा देखा होगा। उस वर्कर की प्रोटेक्शन कौन देख रहा है, उसके पास हेलमेट भी नहीं है। सब जुगाडु काम हो रहा है। मेरे ही फ्लैट की छत पर एक वर्कर सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा था, एक सीढ़ी से एक वर्कर टंगा हुआ था और वह पेन्ट कर रहा था। ये तो सरकार के फ्लैट्स हैं, यहाँ भी ऐसा माहौल है। हम कौन से इम्प्लॉईज के काम्पन्सेशन की बात कर रहे हैं। Save Duty to provide safe working conditions होनी चाहिए।

दूसरी बात आपने अपील्स की कही कि अगर 10 हजार रूपए तक अपील्स होंगी तभी जाकर अपील्स होंगी। यह किसके हित में है? क्या वर्कर्स की छोटी-छोटी अपील नहीं होती, क्या 500, एक हजार या दो हजार रूपए के अपील नहीं होते, क्या पॉच हजार रूपए के अपील नहीं होते? क्यों वे कोर्ट के सामने नहीं जाते हैं? आप यह जो कर रहे हैं कि ये लीगल हर्डल्स कम होने चाहिए, ये किसके लीगल हर्डल्स हैं, यह बड़ी-बड़ी कंपनीज के लिए है। उनके पास तो वकील को देने के लिए पैसा है, जो बार-बार कोर्ट में जाकर एक्स्टेन्शन ले सकते हैं, लेकिन उस वर्कर के पास क्या लीगल ऐड है, उस वर्कर के पास क्या लीगल सपोर्ट है, उस वर्कर के पास कौन सा वकील है। अगर आप लीगल ईज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो

वर्कर को बिना फीस के वकील दीजिए। वर्कर को लीगल काउन्सलिंग दीजिए, लीलग ऐड दीजिए कि वह किस प्रकार से कोर्ट में जाकर अपने हक की लड़ाई लड़े।

महोदय, मैं समय का ध्यान रख रहा हूँ, मैं अन्त में आ रहा हूँ। कुछ डिमांड उस नेशनल कन्वेंशन में निकले थे, उनमें से एक जो नेशनल कन्वेंशन की डिमांड है, वह वर्कर्स की डिमांड है, मैं आज उसे सदन में रखना चाहूँगा। जो हमारे वर्कर्स आँगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, जो मिड-डे-मील के प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो पैरा टीचर्स हैं, उनको वर्कर बेनीफिट दिया जाना चाहिए। उनको कुछ एक प्रकार की सिक्योरिटी देनी चाहिए। वे हमारे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की देखभाल कर रहे हैं, उनके पोाण का देखभाल कर रहे हैं। हमें उन्हें एक प्रकार से सिक्योरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का काम कर रहे हैं। एक माँ का काम कर रहे हैं, एक पिता का काम कर रहे हैं। इन वर्कर्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। माननीय सदस्य संपत जी ने भी कहा कि ज्यादातर वर्कर्स जो आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में हैं, वे महिलाएँ हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएँ हमारे समाज में आगे बढ़ें।

अंत में मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे के डिपार्टमैंट में हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अधिक लोग रिप्रजैंट करें। आप देखिए कि वैस्ट बंगाल, असम और केरल में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वह चाय की है। चाय के बागान में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वह प्लांटेशंस लेबर एक्ट के तहत देखी जाती हैं जिसमें देखा जाता है कि एक वर्कर को घर मिलना चाहिए, पीने के पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, एक प्रकार की मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, लेकिन यह प्लांटेशन लेबर एक्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को प्लांटेशन के साथ कोई लेना-देना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कॉमर्स चलाना है, उनको चाय बागान की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बारे में सोचना है। हम यह चाहते हैं कि यह जो इतने सारे वर्कर्स हैं, जो इतने सारे चाय बागान में काम करते हैं, तपती धूप में काम करते हैं, अगर ये प्लांटेशन लेबर एक्ट उनके बैनिफिट के बारे में सोचता है तो वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से निकलकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आना चाहिए। तभी जाकर उनके लिए काम हो सकता है, उनकी मिनिमम वेजेज़ बढ़ सकती हैं।

अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यह बिल कॉस्मैटिक है। यदि आप चाहें तो इस कॉस्मैटिक बिल में भी और एंबीशियस फास्ट स्वीपिंग रिफॉर्म्स ला सकते हैं पर वह आपकी मंशा नहीं है। आप पूरे लेबर ढाँचे को वीकैन करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो निर्वाचन है, वह आपके लिए बाधा है। मुझे विश्वास है कि यह निर्वाचन होने के बाद पूरी प्रोटैक्शन जो केन्द्र सरकार दे रही है, उस प्रोटैक्शन को आप तोड़ देंगे। लेकिन आपको चेतावनी ट्रेड यूनियन्स के द्वारा है। वे रास्ते पर आएँगे और जिस प्रकार लैंड एक्वीज़ीशन पर उन्होंने आपको पीछे हटाया, आपको पीछे हटना पड़ा। जिस प्रकार उन्होंने आंदोलन किया

और ईपीएफ पर जो टैक्स का प्रपोज़ल था, उसको आपने वापस लिया। वर्कर्स को आप अपनी फैक्ट्री में काम करने दीजिए। आंदोलन के द्वारा उनका जो हित है, उस पर उनका समय वहाँ नट न कीजिए। उनके साथ मिलिए, बैठिए और उनके भविय के लिए एक अच्छा रोडमैप बनाइए। धन्यवाद।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक 2016 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे सुनकर आश्चर्य लगा जब हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह कॉस्मैटिक संशोधन है। पता नहीं इस राजनीतिक शब्द का अर्थ हम किस रूप में लगाएँ। दरअसल इन दिनों राजनीति में बहुत सारे कॉस्मैटिक नेता भी आ गए हैं। इसलिए, जब हम एक संघर्षा की परंपरा से नहीं आते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में जो सुधार किया जाता है, वह तात्कालिक लगता है, निप्रभावी लगता है। मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब पिछले सदन में 2009 में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी श्रम मंत्री थे, तो कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक आया था। उस समय आश्चर्यजनक रूप से मुझे लगा उस समय की कार्यवाही को पढ़ते हुए कि इन्हीं के दल के सदस्य संजय निरुपम जी सभी चीजों से सहमत नहीं थे। इसलिए मैं आज अपनी बात की शुरुआत एक ऐतिहासिक तथ्य से करना शुरू करूँगा कि आज 9 अगस्त है। कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने 8 अगस्त 1942 की याद हम लोगों को कराई थी। 8 अगस्त को जब क्विट इंडिया मूवमैंट की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी तो 9 अगस्त से पूरे देश में अंग्रेज़ो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन की पृठभूमि में हमें जाना होगा। वह आंदोलन किस तरह की आज़ादी की लड़ाई थी, उस आंदोलन की और आज़ादी की लड़ाई की पृठभूमि में अगर हम तब के श्रम कानून का अध्ययन करेंगे, तो उसमें घोर कमी थी। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि दुनिया के बाज़ार में ब्रिटिश सिर्फ अपने माल को बेचने के लिए हमारा शोाण करते थे । तब मौसमी और पूरे साल चलने वाली कुल फैक्ट्रियों में कामगारों की संख्या 40 लाख थी। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और तब से निश्चित रूप से धीरे-धीरे विकास की ओर हम आगे बढ़े हैं।

जब हम श्रम को अलग टुकड़ों में बांटकर विचार करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था की अनुकूल स्थितियों में उसके सभी उपादानों जैसे मैन, मैटेरियल, मोटिव, पावर मशीन, मैकेनिज्म के साथ हम उस पर सम्यक रूप से विचार नहीं करते हैं और एकांगी रूप से विचार करते हैं तो निश्चित रूप से पूंजी और श्रम के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है, उसके कारण देश की आर्थिक प्रगति रूकती है। मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1964 में भारत के प्रसिद्ध मनीषी दीनदयाल जी ने राष्ट्रीयता के अनुकूल अर्थरचना की जो कल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसी दिशा में चल रही है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि हाल ही में 03 मई को अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत को आर्थिक विकास के लिए जीएसटी और श्रम कानूनों में सुधार चाहिए। जीएसटी की ऐतिहासिक पड़ाव को हमने कल इसी लोक सभा के अन्दर प्राप्त कर लिया है। अब धीरे-धीरे हमारी सरकार

उन श्रम कानूनों को बदलने में लगी है जो श्रमिकों के मात्र शोषण का उपाय करते थे। अब हम श्रमिक और पूंजी के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। खासकर, आज भी हमारा मानना है कि श्रम और औद्योगिक कानूनों की संख्या के मामले में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे है। भारत में निवेश को बढ़ाने और खासकर मेक-इन-इंडिया के अभियान के सफल होने की संभावनाओं के बाद आज श्रम सुधार आवश्यक हो गया है। हमें श्रम सुधारों को अत्यंत लचीला करना होगा और एक कार्य संस्कृति के रूप में उन्हें विकसित करना होगा। लचीला करने का अर्थ कहीं से भी यह नहीं है कि हम श्रमिकों के संरक्षक नहीं हैं, हम अपने मजदूर संगठनों और मजदूरों को संरक्षण नहीं देंगे बल्कि संरक्षण एक उपयुक्त शब्द नहीं है। हम तो साथ-साथ परस्पर देश की अर्थव्यवस्था में सबके आगे बढ़ने की जो बात 'सबका साथ, सबका विकास' आदरणीय मोदी जी ने कही है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में हम इस संशोधन विधेयक में, जो पहले से शामिल था, उसमें पांच महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में सबसे पहला संशोधन तो यह है कि जो इम्प्लॉयर्स होते थे, वे अपने कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं देते थे कि श्रम कानूनों के तहत उनके क्या अधिकार हैं? एक तो निश्चित रूप से, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक विधि से, जिस तरह से डिजीटल इंडिया के माध्यम से संचार के विभिन्न आयामों का प्रचार हुआ है, उसके साथ-साथ लिखित और बाकी माध्यमों के साथ उन्हें वह सूचना देनी है।

साथ ही साथ, इस विधेयक के अंतर्गत हमने यह भी विधान किया है कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने का दंड, जो पहले पांच हजार रुपए था, उसे बढ़ाकर अब पचास हजार रुपए किया है। साथ ही, अगर जरूरत पड़े तो उसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, अधिनियम के उपबंधों को प्रदर्शित करने में जो विफल होंगे, उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

उच्च न्यायालय में अपील किए जाने के लिए विवाद की राशि को 300 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए इसलिए किया गया है, ताकि विवादों की संख्या कम हो। साथ ही साथ, यह भी प्रावधान किया गया है कि उस धारा का विलोप किया जाए जहां नियोक्ता द्वारा अपील दायर करने के बाद राशि रोके जाने पर कर्मचारी को राहत देने के लिए आयुक्त, उच्च न्यायालय में अपील दायर करते ही कर्मचारी का भुगतान रोक दिया जाता था, इसे भी रोका गया है। लेकिन साथ ही साथ, रोज़गार या उसके दौरान दुर्घटनाओं द्वारा या निजी चोट से चोटिल होने पर कर्मचारियों के लिए मुआवजा, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए अति महत्वपूर्ण है और उस दिशा में यह सरकार आगे बढ़ी है।

महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हम सभी को ज्ञात है कि श्रम समवर्ती सूची में शामिल है और इसमें राज्य सरकारें भी अपने-अपने अनुरूप अपना कानून बनाकर इस क्षेत्र का विकास कर

सकती हैं। जहां मुख्य रूप से यह कारखानों तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मचारियों पर लागू होता है, उसके साथ ही समुद्री जहाज़, वायुयान चालक के रूप में विदेश में कार्य करने वाले और रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां भी इसमें शामिल हैं।

16.00 hours

अनेक राज्य सरकारों ने इसमें कवरेज का क्षेत्र बढ़ाकर खानों, बगानों और निर्माण के क्षेत्रों को भी शामिल किया है। खासकर राज्य की सरकारों को अपने-अपने अनुकूल स्थितियों में इस पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। इस दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो यह काफी महत्वपूर्ण संशोधन है। मेरे मित्र तरूण जी कह रहे थे कि इस संशोधन को कास्टमेटिक क्यों कहा गया? ...(व्यवधान) गौरव जी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि इन संशोधनों की उत्पत्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 से सम्बन्धित जो 1974 की रिपोर्ट आई थी, उसकी संख्या 12 और 1889 की संख्या 134 में भारतीय विधि आयोग द्वारा इसको अनुमोदित किया गया और अनेक चीजें उसके अनुकूल शामिल की गई हैं और इसके अनुरूप हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं।

16.01 hours (Shri K. H. Muniappa *in Chair*)

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज इन कानूनों की जरूरत भारत में इसलिए भी है कि वर्ष 2020 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 5 करोड़ 60 लाख युवाओं की कमी होगी और उस समय भारत जो आज युवा श्रमिकों के मामले में अपने डेमोग्राफिक बूम पर है, तब लगभग 4 करोड़ 70 लाख अतिरिक्त युवा एक नया नौजवान श्रमिक वर्ग खड़ा होगा और उसको संरक्षण देना आवश्यक होगा।

श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक 'एकात्म मानववाद' में राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थ रचना की बात कही है, उनको मैं कोट करते हुए कहना चाहूंगा।

> "प्रत्येक को काम अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्ष्य होना चाहिए अर्थात स्वस्थ और सवय व्यक्ति के लिए अपनी गृहस्थाश्रम की आयु में जीविकोपार्जन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। आज तो कुछ विचित्र ही स्थिति हैं। एक ओर तो दस वर्ष का बालक और सत्तर वर्ष का बूढ़ा काम में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर 25 वर्ष का नौजवान बेकारी से उबकर आत्महत्या कर बैठता है। इस अव्यवस्था को दूर करना होगा। भगवान ने हाथ तो दिए हैं, परन्तु वे स्वतः उत्पादक नहीं बन सकते। उनके लिए पूंजी का सहयोग चाहिए। श्रम और पूंजी का सम्बन्ध पुरुष और प्रकृति का सम्बन्ध है। सृष्टि इन दोनों की लीला है। इनमें से किसी की अवहेलना नहीं की जा सकती।"

मैं एक ऐसी रचना की बात कर रहा हूं जिसमें अर्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी अंगो पर, समाज के सभी तथ्यों पर जब तक हम समान विचार नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम पूंजी और श्रम दोनों को अलग रखकर विचार नहीं कर सकते हैं।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पूंजी तभी वैभवशाली बन सकती है जब श्रम का सम्मान हो, श्रम की पराकाष्ठा हो और श्रम सतत् संस्कारवान बने यानी लगातार उसमें ट्रेनिंग की गुंजाइश रहे, प्रशिक्षण की गुंजाइश रहे। उसी युगानुकूल अर्थ रचना के तहत माननीय मंत्री जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है, नारा है – सबका साथ, सबका विकास, उसी दिशा में देश के श्रमिकों के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये जो बातें उठाई जा रही हैं कि श्रमिक, कारखाना या पूंजी एक -दूसरे के विरोधी हैं, तो यह अवधारणा, यह कांसेप्ट गलत है। संघर्ष का जीवन भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति में नहीं रहा है। हम भारतीय सामाजिक और आर्थिक जीवन मे सामंजस्य और सहअस्तित्व की बात करते हैं। श्रम और पूंजी, दोनों का उचित तालमेल हो। इस दृष्टि से जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तब हम भारत को वैश्विक गुरु बनाने के रास्ते में सफल होंगे। उसी दिशा में वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। इसी दृष्टि से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते जैसे कार्यक्रम की रचना की है। निश्चित रूप से यह संशोधन आने वाले समय में श्रमिकों की दृष्टि से एक अनुकूल और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेगा। भारत की प्रगति, जो ग्रोथ रेट है, उसे दोहरे अंक तक पहुंचाने में हम सक्षम होंगे और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में वैश्विक क्षितिज पर स्थापित होगा। इतनी बात कहते हुए समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you very much for giving me this opportunity. Let me congratulate the hon. Minister. At regular intervals he has been bringing quite a few labour reforms. On behalf of our Party, and on my own behalf, I thank and congratulate the hon. Minister of Labour.

The Minister has contemplated a major thing in this Bill and that is compensation. It is mandatory that compensation has to be paid. It is mandatory for the employer to inform the employee. What I request is, perhaps compensation should be more and the penalty that has to be imposed on employer who is violating the law, that should also be increased.

Another aspect in the Bill is that the Labour Commissioner cannot withhold anymore whatever compensation is to be paid unless court orders are there. It is also a good reform. Therefore, I appreciate various reforms that have been contemplated here.

I want to slightly divert from this Bill. Many Members have supported and our Party is also supporting it. We welcome it. But as the earlier speaker, Shri Gogoi was mentioning, safety measures are definitely inadequate in India when compared to all other countries. For example, in hazardous industries like coal, iron, quartz and silica, employees have been exposed to various dangers. Therefore, the Government should come down heavily on the employers to ensure that safety measures are implemented in these hazardous industries.

Although we have on paper the Code of Safe Practices and Standard Operation Procedures, I don't think we have a mechanism anywhere in the country, in any State where the Code of Safe Practices and Standard Operation Procedures is implemented effectively. Therefore, we request the hon. Minister, the Ministry to evolve a mechanism so that the Code of Safe Practices and Standard Operation Procedures is implemented at least in hazardous industries.

One more field where the attention of the Minister is required is construction workers. Tamil Nadu is one of the prominent States where they have Welfare Boards exclusively for the construction workers. Kindly ensure that all other States would also have Welfare Boards mostly for labour and construction workers. Here, I want to bring it to the kind notice of the hon. Minister that a lot of accidents are taking place at construction sites and they are going unnoticed. For example, a few months back, as many as eight Dalits have been buried alive, all aged between 18 and 24. All were studying but because of poverty, during holidays they take up works.

An incident has taken place at Gottiprolu in Guntur district of Andhra Pradesh where eight young Dalits have been buried alive. The only reason for this incident was, neither the employer nor the contractor has taken adequate precautions. Had they taken adequate precautions I am sure deaths would not have taken place. Thereafter, we have not seen any action either against the contractor or the employer. Therefore, at least in future, you evolve a mechanism where the *suo motu* cognizance is taken whenever a labour dies at the construction site. It is extremely important.

One more point which I have been representing to the hon. Minister is about mica mines particularly in Saidapuram in Nellore district – Kalichedu and Thalapu. Although there are 39 mica mines in the hazardous industry, where schools are being run, it is extremely unfortunate that teachers are not being posted. I have been representing to the hon. Minister regarding this. You have brought many reforms, and helped in many ways. A school has been there for the last 50 years. If at least a consolidated pay should be paid to seven teachers as recommended by the local authorities, the school would be very prosperous and hundreds of students would be benefited in Kalichedu school. I repeatedly requested the hon. Minister for this and I am again requesting him now.

Another point, cases are mounting in various labour courts in the country. Some cases are prolonging up to 25 years. The hon. Minister has brought in

several reforms. So I would request him to evolve a mechanism like fast track courts. Here I would like to cite the example of the fast track approach adopted by the AAP Government in Delhi which is working well. A similar approach of fast track could be adopted by the Central Government also in different places for the benefit of labour.

Then, the amount of compensation should be higher and the penalty against the violation should be increased further because the amount of rupees one lakh is very nominal. The pendency of cases in various labour courts should be brought down. A fast track mechanism should be evolved to solve this problem and safety practices should be implemented very strictly.

In conclusion, I would like to request the Government that they should set up Welfare Boards in all the districts of the country for different kinds of labour.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक, 2016 बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह देश में कामगारों के हित में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। दि वर्क्स मैन कम्पनसेशन एक्ट 2013 और इम्पलाइज कम्पनसेशन एक्ट 2010 द्वारा कामगारों एवं कर्मचारियों को किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में उक्त कर्मचारी एवं परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। माननीय मंत्री जी एक्ट में कुछ संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कुछ बीमारियों को भी शामिल करना चाहिए, पहले दुर्घटना की स्थिति में ही वित्तीय सुरक्षा का प्रवधान था, लेकिन अब सरकार रोगों को भी शामिल किया है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि रोगों की सूची स्पट होनी चाहिए कि कौन-कौन से रोग उसमें शामिल है, जानलेवा बीमारी ह्रदय रोग, टीबी, कैंसर, न्यूरो, लीवर, किडनी और अर्थो इन तमाम बीमारियों को उसमें रखे जाने की जरूरत है। ईएसआई को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार से आग्रह है कि इसमें शामिल कर्मचारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं लेबर कमेटी में पिछले छह साल से हूं, इस बीच कहीं कहीं भ्रमण में भी जाते रहते हैं, इन लोगों को उपचार के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने कई अस्पतालों का भी निरीक्षण किया है। ईएसआई अस्पतालों का रखरखाव जितनी अच्छी होनी चाहिए उतना नहीं है। अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो भवन नहीं है। इन तमाम चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। ईएसआई का कम से कम प्रत्येक जिले में पांच-पांच अस्पताल होना चाहिए। अगर ईएसआई अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने से कर्मचारियों को काफी लाभ मिलेगा, तो वर्तमान उपचार केन्द्रों पर सुविधा बढ़ाने की भी जरूरत है। डॉक्टरों की कमी, दवाओं का उपलब्ध न होना और उपचार केन्द्र के खुलने का समय चौबीसों घंटे होना चाहिए। ईएसआई पन्द्रह हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले ही कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। अब जब सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो कर्मचारियों के वेतन की सीमा को बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये करना चाहिए।

सभापति महोदय, कर्मचारियों के लंबित मुकदमे के बारे कहना चाहता हूं। आज अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रित बच्चे सड़क पर भटकने के लिए मजबूतर हो जाते हैं इनके आवास भी खाली करा दिए जाते हैं। उनके पीएफ और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पाता है, सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। सभापति महोदय, मुकदमे के कारण कर्मचारी अदालतों में भटकते रहते हैं। उनका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन मुकदमे का सैटलमेंट नहीं हो पाता है। उसके कारण उन्हें जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं और एक-दो बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं झारखंड में कोयला खदान की लेबर कमेटी में गया था। वहां मैंने देखा कि छोटे कर्मचारियों के पास यूनीफॉर्म नहीं है, मुंह पर मॉस्क नहीं है, पैरों में जूते नहीं हैं, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, टॉयलेट अच्छे नहीं हैं और उनका उपचार ठीक प्रकार से नहीं होता है। इस प्रकार की अनेक कमियां मैंने देखीं। खदान में काम करने वाले जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, वे खदान के अंदर छः-छः और 12-12 किलोमीटर दूर जाते हैं और ऐसे कर्मचारियों को आप जब तक सुविधा नहीं देंगे, तब तक वे ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन कर्मचारियों को दी जाने वाली सारी चीजें देने हेतु काम किया जाए और इनका ख्याल रखा जाए।

महोदय, मैं इतना ही कह कर, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एम्पलाइज कंपेन्सेशन बिल, 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं कि सरकार ने कहीं न कहीं हमारे मजदूरों और श्रमिकों पर ध्यान देने का काम किया है और स्वागत भी करता हूं कि जो अमेंडमेंट 17(ए) आया है, जिसके माध्यम से एम्पलाईज को एम्पलायर द्वारा पूरी तरह जो उसकी ड्यूटी है, उसके बारे में उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक हमने बड़े कॉरपोरेट्स को देखा है, जिनके पास हजारों की तादाद में एम्पलाईज हैं, क्या वे लोग भी आज तक अपने एम्पलाइज को पूरी तौर पर इन्फॉर्म कर पाए हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनकी सुविधाएं क्या हैं? आज हम छोटे एम्पलाइज की बात करते हैं कि उन्हें एम्पलॉयर द्वारा पूरी तरह उनकी ड्यूटीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। मगर कहीं न कहीं इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने से सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ेगी, ताकि छोटे लैवल पर जो फैक्ट्रियां हैं, जो छोटे एम्पलाइज हैं, उन्हें उनके राइट्स के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म कर पाएं। इस कदम को सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ आगे ले जाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस बिल के आने से, कानूनी दांव-पेंच और लिटिगेशन्स में गिरावट आएगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि कोई भी एम्पलाई रु.300/- से नीचे का जो सूट है, उसे कोर्ट में नहीं ले जा पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज ऐसे कई मजदूर हैं, जो हैंड टू माउथ हैं और उनकी डेली की दिहाड़ी भी 300 रुपए से कम है। अगर उनका एम्पलॉयर उनके साथ चीटिंग करता है, तो सरकार उनके लिए क्या कदम उठाएगी?

माननीय सभापति महोदय, फाइन में बढ़ोत्तरी की गई है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, क्योंकि 5,000 रुपए देकर बहुत से ऐसे एम्पलॉयर थे, जो अपना पल्ला झाड़ने का काम करते थे। सरकार ने उसे 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए और 1,00,000 रुपए करने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को आने वाले समय में, क्योंकि जो बड़े लैवल के एम्पलॉयर हैं, वे कहीं न कहीं 50,000 रुपए तो दे सकते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने अथवा किसी सजा का प्रावधान हम नहीं रखेंगे, तब तक वे अपने एम्पलाई को हरास करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं इसे सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आप और अमेंडमेंट्स लाने का काम करेंगे, तब बड़े एम्पलायर के लिए सजा का प्रावधान जरूर कीजिए, जिससे हमारे छोटे श्रमिक के ऊपर दबाव न बने, बल्कि एम्पलॉयर के ऊपर दबाव बने।

सभापति महोदय, हाईकोर्ट में जाने के लिए लिटिगेशन की धनराशि रु.10,000/- की रखी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक छोटा एम्पलाई जिसकी महीने की तनख्वाह 8,000 रुपए है, वह 10,000 रुपए का केस कैसे डाल पाएगा? वह छोटा मजदूर बड़े महंगे वकीलों को हायर नहीं कर पाएगा जो बड़े कोर्ट में केस लड़ सके। हमें इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा।

इस बिल में प्रावधान किया गया है कि कमिश्नर के पास अथोरिटी रहेगी कि वह इस तरह के केसिस को निपटा जाए। हम कहीं फिर से इंस्पेक्टर राज की शुरुआत न कर दें? हम कहीं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पावरफुल न कर दें जिसके माध्यम से बड़े एम्पलायर अपना इन्फलुएंस डालकर एम्पलाइज को दबा दें। हमारे देश में कहीं इस बिल से ठेका प्रथा तो शुरु नहीं हो जाएगी? हम देखते हैं कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन लैवल पर, कमेटी लैवल पर हर जगह ठेके पर एम्पलाइज मिलते हैं। क्या इस बिल के बाद जो ठेके पर एम्पलाइज हैं, उनको किसी तरह की फैसिलिटी दे पाएंगे? क्या यह बिल उन एम्पलाइज का भी भला कर पाएगा, इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश जरूर डालें।

महोदय, जेडीयू के सांसद भी कह रहे थे कि आपको इस बिल में डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या इस बिल के अनुसार या आने वाले अमेंडमेंट्स के अनुसार छोटे एम्पलाइज को ईएसआईसी के अंडर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा पाएंगे? क्या एम्पलायर की जिम्मेदारी रहेगी? ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोगों को दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन इनका इलाज कराने की एम्पलायर्स की कहीं जिम्मेदारी नहीं होती है। क्या इन्हें आने वाले समय में छोटे श्रमिकों और मजदूरों के लिए बेसिक मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा पाएंगे?

जब दोबारा एम्पलाइज़ का बिल आया था, तब माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैंने भी छोटी नौकरी की है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक बिल पारित किया, इसमें कहा गया कि जो यूनियन बनेगी, पहले वह 30 एम्पलाइज पर बनती थी, अब वह 100 एम्पलाइज पर बनेगी। कम्पेनसेशन अंडर फैक्ट्री एक्ट 100 एम्पलाइज की एम्पलाएमेंट को मिलता था, प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 300 कर दिया। आज 300 एम्पलाएमेंट कितनी है? हमारे देश में 80 से 90 प्रतिशत रोजगार अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में है। क्या हम आने वाले समय में एग्रीकल्चर सैक्टर के एम्पलाइज को एम्पलाइज कम्पेनसेशन में देखने का काम करेंगे? अगर सरकार इन सुझावों को मानेगी और आने वाले समय में चेंजेस लाने का काम करेगी तो हम भी जरूर सरकार का समर्थन करेंगे।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश कुमार दिवाकर (हाथरस) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय मंत्री जी ने आज कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक, 2016 पेश किया है। मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सम्मानित सदन में बोल रहा हूं।

मैं श्रम संबंधी समिति का भी सदस्य हूं। समिति की बैठक समय-समय पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके तमाम हितों की पूर्ति कैसे हो, इसके लिए होती रहती है। समिति दूसरे प्रदेशों में भी जाकर कर्मचारियों के हितों की जानकारी लेती है कि उन्हें उनका बराबर मेहनताना एवं अन्य पारिश्रमिक मिल रहा है या नहीं। ज्यादातर समस्याएं कर्मचारी मुआवजे एवं पारिश्रमिक समय पर न मिलने की होती हैं। इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी। भारत तथा सम्पूर्ण विश्व में श्रम को एक महत्वपूर्ण बल के रूप में माना जाता है। राष्ट्र की उन्नति में श्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज भारतवर्ष में पहली बार 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' के शुरु होने से उत्पादकता एवं श्रम की महत्ता कई गुना बढ़ गई है। देश में श्रम बलों की रक्षा एवं उनके हितों के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य के साथ मिलकर कानून बनाती है।

कर्मचारी संगठन कार्यबल के लिए कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 एक महत्वपूर्ण विधान है। यह कारखाने एवं अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मचारियों पर लागू होता है। इस बिल में अगर कर्मचारी किसी की दुर्घटना या अन्य किसी चोट के कारण मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों के लिए प्रतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है। कर्मचारी चाहे कहीं भी कार्य कर रहे हों, अब उनके हितों की रक्षा इस माध्यम से सरकार करेगी।

महोदय, कर्मचारी मुआवजे का उल्लंघन करने वालों को दंड मिलना स्वाभाविक है। इस बिल में इसे एक लाख रुपये करने का प्रावधान है। इससे न केवल कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि उनके परिवार की भी रक्षा होगी। ऐसा भी देखने या सुनने में आता है कि कर्मचारियों को कंपनी ठेके के माध्यम से अपने यहां पर कार्य कराती है। उस दृष्टि में कर्मचारियों के हितों की रक्षा कंपनी मालिक नहीं करते। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उनके हितों की रक्षा के लिए भी कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसके तहत किसी भी दुर्घटना की दृष्टि में ठेकेदार या कंपनी उन्हें पूरा मुआवजा दे।

इस बिल में हमारी सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मचारी किसी भी प्रकार की दुर्घटना में दुर्भाग्यवश चोटिल हो जाता है तो निर्बाध रूप से मुआवजा मिलना सुनिश्चित है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मुआवजा हासिल करने के अधिकार के बारे में सूचित

नहीं करता तो बिल कहता है कि इस स्थिति में नियोक्ता पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया।

महोदय, कर्मचारियों के हितों के लिए यह विधेयक बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। उन्हें उनका मुआवजा आसानी से मिल सकेगा क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत सरल कर दी जायेगी। यह विधेयक उत्पादन की दृटि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश के समग्र आर्थिक विकास में भागीदारी करने हेतु देश की कामकाजी जनसंख्या को प्रोत्साहक वातावरण प्रदान करेगा। इस बिल में दंडों का प्रावधान है कि कोई भी संस्था जो कर्मचारियों को मुआवजा समय पर नहीं देगी, उन्हें दंडित कर एक लाख रुपये दंड के रूप में देने होंगे। हमारी सरकार कर्मचारियों, मजदूरों के हितों के लिए इस बिल के माध्यम से सभी मुआवजों की प्रक्रियाओं को सरल बनाने जा रही है, ताकि कर्मचारी और उनके परिवार की रक्षा हो सके। लेकिन अगर कोई अपील किसी भी न्यायालय में लंबित है, तो उस पर जब तक अदालत द्वारा फैसला नहीं आ जाता, तब तक उसे इस बिल से बाहर रखना होगा।

महोदय, हमारी सरकार ने समय समय पर कर्मचारी, मजदूर भाइयों के हितों की रक्षा के लिए कारगर उपाय किए हैं, जिनमें से एक इस विधेयक के रूप में माननीय मंत्री जी ने पेश किया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने से कर्मचारियों, मजदूरों को मुआवजे की राशि का भुगतान आसानी से हो सकेगा।

अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे कर्मचारियों के हित में इतना महत्वपूर्ण संशोधित बिल संसद में लेकर आएं, जिससे कर्मचारी भाइयों को मुआवजे की राशि आसानी से मिल सकेगी।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, सरकार जो इम्प्लायज कम्पेनसैशन (अमेंडमैंट) एक्ट, 2016 लेकर आयी है,. उसका मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। दुनिया का दस्तूर है कि आज तक समाज में श्रम का शोषण होता रहा। हम कानून के तहत इस शोषण को रोकने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और माननीय मंत्री जी चिंतित हैं कि मजदूरों पर शोषण किस तरह से कम हो। यह बिल इसलिए लाया गया है, ताकि इम्प्लायज का हित संरक्षित हो। आजादी के बाद से तमाम सरकारें मजदूरों के हित में बहुत सारे प्रावधान, नये संशोधन लाने का काम करती रहीं। इसमें यह बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बिल के दो पार्ट हैं--एक कानून और दूसरा इम्प्लीमैंटेशन। चूंकि आज भी यह देखा जा रहा है कि चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, सब जगह श्रमिकों का शोषण होता है। इम्प्लायर अपने लाभ के चलते न तो मजदूरों की सेफ्टी देखता है और न

ही यह देखता है कि वे किस परिवेश में रहते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए भी कोई समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता।

निश्चित तौर से आज हम कम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, इसमें पेनल्टी का भी प्रॉविजन है इससे अंतर पड़ेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन जिस कानून के तहत रहने के बावजूद भी आज जिस तरीके का शोाण का वातावरण है, निश्चित तौर से यह भयावह स्थिति है। एक इम्प्लाई किसी फैक्टरी में काम कर रहा होता है, रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, फैक्टरी प्रबंधन उसे कहता है कि आज वह हमारे यहां नहीं था और इस तरह की व्यवस्था करता है, यहां तक कि जब वह थाने में केस करने जाता है तो थानेदार केस नहीं लेते हैं, क्योंकि वह इम्प्लायर की ओर से प्रभावित होता है। निश्चित तौर से इस कठिन परिस्थिति में इस सरकार ने संकल्प लिया है कि हम गरीबों के हित में एक वातावरण का निर्माण करेंगे और निश्चित तौर से यह कदम राष्ट्र विकास में सहयोगी होगा एवं कंपनियों के विकास में भी सहयोगी होगा, लेकिन अपने तात्कालिक लाभ के लिए लोग श्रमिकों का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं।

हो सकता है कि कुछ साथियों के मन में यह बात आई हो कि यह एक आई-वाश है, लेकिन निश्चित तौर से जो व्यावहारिक परिस्थिति है, जिसे हम लोग प्रतिदिन महसूस करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कानून के रहते भी जिस तरह से श्रमिकों का शोषण होता है, चाहे वह कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वह चाय बागान में हो, चाहे हेजाड्र्स वर्क की सिचुएशन में हो, निश्चित तौर से जो सेफ्टी के मापदण्ड होने चाहिए, कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हम बड़े-बड़े पीएसयूज में भी देखते हैं, कोल माइन्स में देखते हैं कि सेफ्टी के जो साधारण इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, प्रिकॉशन्स होनी चाहिए, वे नहीं होती हैं। वे श्रमिकों को किसी जानवर से कम नहीं समझते हैं।

इसलिए यह कानून अच्छा है, लेकिन इसका इम्पलीमेंटेशन पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस दिशा में अधिक सख्त कानून लाना चाहिए, ताकि हम श्रमिकों के हित में काम कर सकें। इनक्लूसिव ग्रोथ में निश्चित रूप में श्रमिकों की बड़ी भूमिका है, उसकी शक्ति का हम जितना सकारात्मक दृटि से उपयोग करेंगे, उतना ही राष्ट्र का भला होगा। आज हम देखते हैं कि हमारी वर्किंग कंडीशन इतनी खतरनाक होती है, फिर भी इम्पलाइज अपनी जान जोखिम में डालकर रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। जहां रोटी और पूंजी का संघर्ष हैं, दबाव, कानून-व्यवस्था, मैनेजमेंट सब कुछ फैक्टरी मैनेजमेंट के पक्ष में चला जाता है। हम देखते हैं कि गांव-देहात से जो मजदूर आकर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब सड़क पर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वे हमारी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, इस बात को साबित करने के लिए वे कोई इंश्योरेंस का कागज नहीं रखते हैं, अन्य ऐसे कोई कागज नहीं रखते हैं जिनसे उनके हितों की रक्षा हो सके। वे इस तरह की व्यवस्था रखते हैं कि यदि उनको कम्पनसेशन देने की स्थिति

आए तो उसे टेम्पर करके हटा सकें। वे इसे खतरा समझते हैं, इसलिए मैक्सिमम शोषण अपने पक्ष में करते हं।

महोदय, मैं कहना चाहूगा कि इस कानून का इम्पलीमेंटेशन पार्ट भी मजबूत होना चाहिए। जो अथारिटी इन चीजों की देख-रेख करेगी, उस पर भी चेकमेट सिस्टम होना चाहिए। हमने कमिश्नर को पावर दी है, लेकिन छोटे-छोटे इम्प्लाइज निश्चित तौर से कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां भी एक चेकमेट सिस्टम होना चाहिए कि इम्पलाई के हितों की रक्षा हो सके। तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे और इनक्लूसिव ग्रोथ में श्रमिकों का श्रम काम आएगा। धन्यवाद।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, मैं कर्मचारी प्रतिकर विधेयक, 1923 में संशोधन करने वाले कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक, 2016 का समर्थन करता हूं।

महोदय, देश में श्रम कानून में बदलाव की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। अभी विश्व बैंक का एक अध्ययन आया है, उसके मुताबिक भारत में श्रम कानून विश्व के सर्वाधिक प्रतिबंधात्मक श्रम कानून माने जाते हैं। वास्तव में, भारत में केवल श्रम कानूनों के विषय में ऐसा नहीं है, बल्कि ज्यादातर कानून सुविधाओं के बजाय प्रतिबंध लगाने वाले ही प्रतीत होते हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम श्रम कानून की बात करें तो यह कानून ऐसे होने चाहिए जो श्रमिकों के अधिकारों व विकास में टकराव की धारणा को समाप्त करके, श्रमिकों को सुरक्षा दे, उनके लिए नये अवसर पैदा करने वाले होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक अनुमान के अनुसार दुनिया में कुल श्रमिकों की संख्या में से 25 प्रतिशत से अधिक हिनदुस्तान में है। वर्ष 2014 में एक नया अध्ययन किया गया है, उसके अनुसार हिन्दुस्तान में संगठित और गैर-संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या लगभग 49 करोड़ है, जो भारत की कुल आबादी का 40 प्रतिशत है। असंगठित मजदूरों में महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, उनको संरक्षण देकर न्यूनतम मजदूरी सहित अन्य सुविधाओं के लिए कानून लाना ही चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि आज हम जो संशोधन करने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, लेकिन काम-काज के दौरान जो दुर्घटनायें होती हैं, उनमें मृत्यु होने, अपंगता आने, कोई ऐसा रोग हो जाना जिससे मृत्यु हो जाये या उससे वह काम करने लायक नहीं रह जाये, ऐसे में हमारे श्रमिकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं?

17(क) के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है, उसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि जो नियोक्ता है, उसको स्पष्ट रूप से, श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए, वह जिस भाषा को समझता है, उस भाषा में उसे बताना चाहिए। अगर ऐसा करने में वह चूक करता है तो उसके ऊपर पांच हजार की बजाय, पांच हजार रु. से लेकर एक लाख रु. के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि नियोक्ता इस बात को निश्चित रूप से श्रमिक को बतायेगा।

दूसरी बात जो इस अधिनियम के माध्यम से कही गई है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कांग्रेस पार्टी के एक मित्र बता रहे थे कि जो मामले उच्च न्यायालय में जाने चाहिए, उनकी सीमा तीन सौ रुपये से बढ़ा कर दस हजार रुपये कर दी गई है। इस समय जो हमारी न्यायायिक व्यवस्था है, उसमें हम यह देखते हैं कि गरीब लोग माननीय उच्च न्यायालय नहीं जाते हैं बल्कि ज्यादातर बड़े-बड़े लोग, जो कारखानों के

मालिक हैं, वे न्यायालय की व्यवस्थाओं का उपयोग या कहिए कि वे उनका दुरुपयोग करते हैं कि वे गरीब और श्रमिकों के अधिकारों को मार सके। इसलिए यह बहुत अच्छा प्रावधान है।

तीसरा, बहुत अच्छा संशोधन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में जाने की स्थिति में या जब कभी वे लोग चले जाते थे, वे श्रमिकों का कम्पनसेशन इस कारण रोक देते थे कि हमारा मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए हम यह देंगे। उसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब तक स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायाल के द्वारा स्टे न कर दिया जाये, तब तक आप श्रमिकों के अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में गरीबों की संख्या चालीस करोड़ से अधिक है। अभी हम लोगों ने देखा है कि उनके लिए बहुत सारी चिंतायें पूरी दुनिया कर रही है कि सभी लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, रोजगार, पीने का पानी, ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। हमारी एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है कि हम अपने श्रमिकों को निश्चित रूप से न्याय दें। इसलिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनायें लेकर आई है, 'जन धन योजना' के माध्यम से हमने गरीबों के बैंकों में खाते खोले हैं, उनको अधिकार दिलाया है, बारह रुपये में उन्हें दो लाख रु. की बीमा देने की बात हो, घरेलू कर्मचारियों, ड्राइवर्स, सभी के लिए बहुत आसान हो गया है। 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना' 330 रु. में है, 'अटल पेंशन योजना' है, ये योजनायें आर्थिक सुरक्षा गरीब तबकों को देने के लिए है। उसके साथ-साथ 'उज्ज्वला योजना' के माध्यम से पांच करोड़ गरीब लोगों को फ्री गैसे कनेक्शन देने की योजना है। सभी को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। शौचालयों, एवं महिला सशक्तिकरण की बात है, सभी को शिक्षा, सभी को चिकित्सा, रोजगार, सबके हाथ में पैसा, ऐसी सारी व्यवस्थाएं करें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, श्रम कानूनों को तर्कसंगत व्याख्या के साथ, श्रम कानूनों को फिर से आकार देने की आवश्यकता है, जो श्रम व्यवस्था में लचीलापन लाने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा देने का भी काम करे।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात के लिए भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज कल हम गांवों में बहुत-सी सुविधाएं चला रहे हैं चाहे आंगनवाड़ी का कार्यक्रम हो, स्कूलों में रसोइयों की बात हो, बीएसएनएल में बहुत सारे संविदाकर्मी काम करते हैं। विद्युत में बहुत सारे ऐसे कर्मी काम करते हैं जो संविदा के आधार पर रखे जाते हैं और कई बिना संविदा के होते हैं। ऐसे असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी श्रम कानून के माध्यम से सुरक्षा देने का काम किया जाए। इसके साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्रतिर्वा करना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी को महंगाई से जोड़कर इसकी व्याख्या प्रतिवर्ष करनी चाहिए।

मैं इन्हीं संशोधनों की अपेक्षा माननीय मंत्री जी से करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से व्यावहारिक पक्ष में कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी दहेज से संबंधित, भ्रूण हत्या से संबंधित, बाल श्रमिक और मैला उठाने से संबंधित कई कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों को आज तक गंभीरता से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इतिहास बताता है कि हमेशा से आर्थिक, सामाजिक आधार पर श्रमिकों के बारे में अवधारणा बनी है। इसके पहले वर्ग के आधार पर श्रमिक को बांटा गया और वर्ग के बाद कर्म के आधार पर श्रमिक को बांटा गया। मुझे लगता है कि कृष्ण के काल में कर्म के आधार पर श्रमिक का वर्गीकरण हुआ और उसके पहले जब राजा-महाराजा, जमींदार थे तब वर्ग के आधार पर श्रमिक को बांटने की कोशिश की गई। आज मैं मंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बाल काटने का काम करने वाला नाई सबसे पिछड़ी जाति का होता था, लेकिन आज 90 प्रतिशत सैलून पर बड़े घरानों का कब्जा है, इस व्यवसाय में पुराने लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं हैं। आपको आश्चर्य होगा कि धोबी जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, आज लान्ड्री के काम पर बड़े घरानों का कब्जा हो गया है। खाना खिलाने के काम में छोटे लोगों का कब्जा था, लेकिन आज होटलों पर बड़े लोगों का कब्जा है। शौचालयों पर जैसे सुलभ शौचालय हैं, दिल्ली में, मुम्बई में, देश के दूसरे बड़े शहरों में बड़े मनुवादी व्यवस्था पप्पू यादव टाइप के जमींदारों, महाराजाओं का कब्जा है लेकिन शौचालय साफ करने की व्यवस्था एससी और एसटी के लोग करते हैं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत शौचालय बड़े घराने पप्पू यादव या बड़े-बड़े राजनीतिक लोग या पैसा वाले, पाखाना करेंगे हम और साफ करेंगे एससी, एसटी लोग, यह कौन-सा कानून है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मुझे आप बताएं कि लैदर का धंधा करने वाले कौन लोग हैं? ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। मतलब जानवर छोटे लोग चराएं, जब जानवर मर जाएगा तो उसकी चमड़ी समाज के कमजोर लोग छीलेंगे, लेकिन जब बड़ी फैक्ट्री में महंगा सामान बनाने की बारी आएगी तो उसका मुनाफा बड़े लोग ले जाएंगे। मेरा कहना है कि श्रमिकों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? आज का किसान सबसे बड़ा श्रमिक हो गया है। किसी किसान के पास दो-तीन बीघा से ज्यादा जमीन नहीं बची है। मात्र दो-तीन प्रतिशत लोगों के पास दस बीघा से ज्यादा जमीन है। मुर्गे का धंधा हमारे मुसलमान भाई करते थे, कुछ दूसरे धंधे भी मुसलमान भाई करते थे और आज डेयरी फार्म चलाने वाले लोग पप्पू यादव के परिवार के लोग या बड़े-बड़े पैसा वाले घराने वाले लोग यह काम करते हैं। आज इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। मेरा आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह है कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में वर्ग के आधार पर श्रमिक का चयन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे एससी,

एसटी से पाखाना साफ कराना या मैला ढोने की परम्परा, इनसे मरे हुए जानवर को उठाने की परम्परा हिंदुस्तान से खत्म होनी चाहिए।

महोदय, श्रमिक का स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के लिए पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रमिक अनिश्चितता की स्थिति में श्रम करने के लिए जाता है, उसे लगता है कि कब हमें फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, कब फैक्ट्री घाटे में चली जाएगी, कब बड़ी-बड़ी योजनाएँ समाप्त हो जाएंगी और हमारी मज़दूरी समाप्त हो जाएगी। इसलिए वे अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। यदि आप श्रमिकों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा आग्रह है, श्रमिकों में जो असुरक्षा की भावना है, उसे समाप्त कीजिए। श्रमिकों को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई बड़ी फैक्ट्री हो या कुछ और हो, उनके लिए शेयर करने की व्यवस्था कीजिए। श्रमिक जितना कमाता है, वह अपना शेयर उसमें लगाये ताकि श्रमिक अधिकार के साथ काम कर सके। आप उसे खैरात मत दीजिए। आप श्रमिकों को कब तक बिल ला-लाकर खैरात दीजिएगा? आप इस देश के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाइए। जो असंगठित मजदूर हैं, वह सबसे ज्यादा जुझारू और संघर्षशील होता है। हिन्दुस्तान की तस्वीर और तकदीर मजदूर बनाता है। जब आप हिन्दुस्तान की तस्वीर और तकदीर बनाने वाले को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, फैक्ट्रीज में को-ऑपरेटिव सिस्टम लाइए और उस फेडरल सिस्टम के तहत मजदूरों की मजदूरी में शेयर कीजिए ताकि वह आप पर नहीं और विभिन्न योजनाओं- मिड-डे मील, अंत्योदय, मनरेगा आदि का भोजन नहीं खाना पड़े। उसे खैरात में नहीं जीना पड़े। खैरात में जीने की परम्परा को मिटाइए।

<u>16.47 hours</u> (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

मैं आपको और इस सरकार को बधाई देता हूँ कि आपने निश्चित रूप से एक बेहतरीन बिल लाया है और इसके माध्यम से आप 9 अगस्त को एक क्रांति की शुरुआत कीजिए, एक क्रांति का सूत्रपात कीजिए। हिन्दुस्तान में मजदूरों के बिना, बिना कामगारों के सम्मान, उसकी इकोनोमिकल फ्रीडम, उसके सोशल फ्रीडम के बिना, जब तक उसे जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक उसे एजुकेशनल फ्रीडम नहीं मिलेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप खैरात बंद कीजिए और उसे शेयर कीजिए। दलितों को वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर श्रमिकों की कार्य-योजना बनाइए और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाइए। उनमें असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया।

सर, मैं असम से आता हूँ। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगा। असम में टी-गार्डेन का सबसे बड़ा लेबर यूनियन है। मजदूरी करने वाले सबसे ज्यादा लोग टी-गार्डेन में है। जिस चाय को पूरी दुनिया में इज्ज़त दी जाती है, जो असम चाय के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके मजदूरों की क्या हालत है, इसे एक इंसान नहीं बता सकता है। यदि कहा जाए तो उनको गुलामी से भी नीचे के हालात में रखा जाता है। उनको जो लेबर चार्ज देना चाहिए, वह उनको नहीं दिया जाता है, उनके लिए हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उनके लिए स्कूल नहीं हैं, उनके बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। इसलिए उनकी मजदूरी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उनको आर्गेनाइज़ करने की जरूरत है।

जैसा कि अभी पप्पू भाई कह रहे थे कि बड़े-बड़े घरानों के लोग इन चीजों पर कब्जा किये हुए हैं, वे गरीबों का हक मार रहे हैं। ये चीजें असम के लिए बहुत ही दुखदायी है। मैं पूरे असम के लाखों चाय-मजदूरों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर पूरा ध्यान दें।

असम में एक बहुत बड़ा मसला कोयला मजदूरों का है। जो खानों में काम करते हैं, यहाँ पर बहुत से मित्र हैं, जिनके क्षेत्र में कोयले का काम चलता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने इन-ह्युमेन तरीके से वहाँ काम करते हैं। उनकी सेफ्टी, सिक्युरिटी का कोई मसला नहीं है। कभी दस मजदूर यहाँ मार दिये जाते हैं, कभी 20 मजदूर वहाँ मार दिये जाते हैं, और उनकी लाश तक नहीं मिलती है। यह भी एक बहुत बड़ा मामला है। मजदूरों की सेफ्टी और सिक्युरिटी के लिए सदन में कई मर्तबा चर्चा हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि ध्यान दिया भी जा रहा है, तो वह इतना कम है कि उसका कोई असर नहीं हो रहा है।

मैं मिनिस्टर साहब से उम्मीद करूँगा कि कोयला मजदूर और चाय बागान मजदूरों के ऊपर ध्यान दिया जाए।

असम में हर साल फ्लड आता है। वर्ष 1998 के बाद सौ सालों का सबसे बड़ा फ्लड आया था और इस साल भी दो नम्बर का फ्लड आया है। यदि असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ है, तो दो से ढ़ाई करोड़ लोग पानी के अंदर हैं। उनके चलने के लिए सबसे बड़ा यातायात का साधन नाव है, शिप है, पानी के जहाज हैं। जहाजों पर मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। यदि वे मर गये, तो मर गये, वे डूब गये तो डूब गये, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है।

इसलिए मंत्री जी से मेरी आशा है कि इस मामले में वे पूरा ध्यान देंगे और इन लोगों का भी ख्याल रखेंगे।

सर, आप इस मामले में मालिकों से ज्यादा मजदूरों का ख्याल रखेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you for giving me this opportunity. I am in agreement with the provisions of this Bill and its intention is very good. The scope of the Bill is very limited: (1) it makes it obligatory on the part of the employer to inform the employee of his right to compensation; (2) enhancement of the penalty; (3) making employer liable for non-fulfillment; (4) amount involved in filing the appeal; and (5) omission of Section 30A, which is a relief to the petitioner. All these things are good and that is why I am supporting this Bill.

However, one relevant question remains: is this what we are really expecting, that is, as per Sixty-second Report of 1974 and One Hundred Thirty-fourth Report of 1989 of the Law Commission of India? I am sorry to say that the Minister has made only cosmetic changes in this and the crux of the problem still remains.

The first point is about the delay in getting the compensation settled. I will give you one glaring example. I have with me the news item that appeared in *The Asian Age* of 3rd August 2016. The headline says, "Labour court to settle relief pleas pending for years". If you go into the details, it says, "Twenty years after his son was murdered in a Delhi factory, 80-year-old Gorakhnath from Azamgarh in Uttar Pradesh is eagerly waiting for the settlement of his two-decade-old compensation petition, which will be decided by the AAP Government's labour court this week." There are many incidents like this. It is really a cumbersome process to get the compensation settled in due course of time.

Similar is the case with industrial accidents where the question of compensation comes because of accidents and occupational diseases. The reply given in this House on 16th March 2015 reveals, "The total number of fatal and non-fatal accidents in coalmines: in 2012, 523 persons were injured, and the number of deaths was 83. In 2013, 480 people were injured, and the number of deaths was 81. Similarly, in 2014, 367 persons were injured, and the number of

deaths was 73. It is a very serious matter. It is our duty to control these kinds of accidents. Industrial accidents are increasing like anything.

I will now come to occupational health hazards. Sir, I myself worked in a chemical factory for about two decades and I know the hardships of the workers. The National Safety Council, at various times, have pointed out their finding with regard to occupational health hazards and diseases. Various recent studies have also highlighted the seriousness of these kinds of things. The National Safety Council has made a very effective recommendation. There is a provision in the Factory Act; there is the WHO initiative, but what is happening at the ground level? I want to quote one example which will be an eye-opener to everybody.

I am quoting from *The Indian Express* Report on Silicosis deaths. The headline says, "Silicosis deaths: Supreme Court asks Gujarat to pay Rs. 7 crore, pulls up the Chief of Pollution Board". If you go into the details, it says, "In a rare order, the Supreme Court has issued a bailable warrant against the Chief of the Central Pollution Control Board after he did not show up to explain steps taken for preventing death of workers due to silicosis, a lung disease caused by inhalation of dust containing silica. The top court has also directed the Gujarat Government to release more than Rs. 7 crore as compensation to the families of 238 workers who died due to silicosis after working in Godhra's quartz and stone crushing industries. Issuing the order last week, a bench of Justices Kurian Joseph and Rohinton F. Nariman expressed concern over the negligent attitude of the CPCB in addressing the issue…" I do not want to quote further on this. What is happening? Everybody knows about the occupational diseases in the chemical factories. Cancer and other major kinds of diseases are taking place because of this. So, we have to be very careful in controlling the occupational diseases.

Similarly, we have to take into account a very important aspect. In the Objects and Reasons of the Bill, there is a mention about the 134th Report of the Law Commission. It is an elaborative Report. I have gone through that. There are many more recommendations. Unfortunately, the Government has taken a small

portion of it. The Minister is very active in this. I appeal to him to take a very stringent action on all these kinds of things.

We all know that there are various definitions. There is a definition of 'workman'. Similarly, there is a criterion in deciding the compensation rate. All these things should be re-modified. It is very urgent.

There is one more point. It should be made obligatory on the part of the employer to make periodical medical check up of its employees and to take follow up action. I hope that the hon. Minister, who is doing a lot of work in the labour field, will come forward with a comprehensive legislation addressing all these problems.

With these few words, I conclude.

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर आज सदन में चर्चा चल रही है। मुझे पहली बार किसी विधेयक पर बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी, माननीय प्रधान मंत्री जी, श्री नरेन्द्र भाई मोदी और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 मैं समझता हूं कि अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे हमारे कर्मचारी भाइयों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी, जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इससे हम केवल उस कर्मचारी को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनके श्रम से पूरी दुनिया चलती है, उस श्रमिक को शक्ति और सम्मान देने का कार्य यह विधेयक करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मजदूरों के पुरोधा भारत के महान चिंतक, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि श्रम में समन्वय को ध्यान में रखना चाहिए। भारत तथा सम्पूर्ण विश्व में श्रम को एक महत्वपूर्ण बल के रूप में मान्यता दी गई है। मानव संसाधन की उत्पाकता अर्थात श्रम एक महत्वपूर्ण इनपुट होने के कारण राट्र की सम्पूर्ण आर्थिक उन्नति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 'स्किल इंडिया' तथा 'मेक इन इंडिया' के प्रारंभ होने से राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने श्रम की महत्ता वर्तमान समय में कई गुना बढ़ गई है।

महोदय, श्रम समवर्ती सूची में शामिल है। देश में श्रम बल के हितों की रक्षा के लिए संसद के साथ-साथ राज्य विधान मंडलों द्वारा विभिन्न विधान अधिनियमित किये गये हैं। देश के संगठित कार्यबल के लिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विधान है। यह कारखानों अथवा विनिर्माण प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मचारियों पर लागू होता है तथा इसमे समुद्री जहाज/वायुयान के चालक दल के रूप में नियोजित व्यक्ति, विदेश में कार्य करने वाले तथा रेल कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों के व्यक्ति भी शामिल हैं। राज्यों ने अपने स्वयं के संशोधनों द्वारा इसके क्षेत्र तथा कवरेज का खानों, बागानों, निर्माण इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया है। तथापि, यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के उपबंधों को राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

17.00 hours

महोदय, अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे किसी पद पर नियोजित हो, चाहे रोजगार के लिए करार इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व तथा पश्चात किया गया हो और कि ऐसा करार व्यक्त अथवा अव्यक्त मौखिक अथवा लिखित में हो, परंतु जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल न हो जो संघ के सैन्यबलों

के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो। ऐसे किसी कर्मचारी के संदर्भ में जो चोटग्रस्त हो और जहां कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो इसमें उसके आश्रितों अथवा उनमें से किसी का संदर्भ शामिल किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत चोटों को व्यापक रूप से चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके कारण हैं मृत्यु, स्थायी पूर्ण अपंगता, स्थायी आंशिक अपंगता, अस्थायी अपंगता चाहे पूर्ण हो अथवा आंशिक रूप से हो। इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार की चोटों के लिए मुआवजा के भिन्न-भिन्न मानदंडों का प्रावधान है।

यदि दुर्घटना नियोजन के कारण अथवा नियोजन के दौरान हुई हो तो कर्मचारी दुर्घटना के कारण हुई वैयक्तिक हानि के लिए अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है। इसका अर्थ यह है कि यह दुर्घटना कर्मचारी के कार्य पर होने के दौरान ही आवश्यक रूप से घटित हुई हो और यह उसके रोज़गार से संबंधित है।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1930 में औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण या चोट लगने तथा उससे होने वाली कुछ व्यवसायिक बीमारियों और रोजगार के दौरान मृत्यु अथवा अशक्तता होने की स्थिति में कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को प्रतिकपूर्ति के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम में नई धारा 17(क) अंतर्विष्ट करना प्रस्तावित है, जो नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वह कर्मचारी को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकार के उसके अधिकारों से लिखत में और इलैक्टॉनिक माध्यमों से अंग्रेजी या हिंदी में अथवा कर्मचारी को समझ में आने वाली रोजगार के इलाके की राजभाषा में सूचित करें।

धारा 18(क) में अधिनियम के उल्लंघन के दंडों के प्रावधान हैं। वर्तमान में अधिनियम के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड हैं - पांच हजार रूपये तक का जुर्माना। यह दंड नियोक्ताओं पर रोक लगाने के लिए बहुत कम है। अतः दंड को परिशोधित कर के जुर्माना पचास हजार रूपये से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, यह भी प्रस्ताव है।

धारा 18(क) के अंतर्गत दंड के दिए जाने योग्य उलंघन की की नई श्रेणी नामतः धारा 17(क) की यथा अपेक्षानुसार कर्मचारी को उसके अधिकारी से सूचित करने में विफल होत है, अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आखिर में सन् 2009 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिपूर्ति की न्यूनतम राशि 90 हज़ार रूपये से बढ़ा कर एक लाख 40 हज़ार रूपये कर दी गई है, जो 18 जनवरी 2010 से प्रभावी है। यदि मृत्यु रोग तथा रोजगार द्वारा होती है, तो वह दुर्घटना द्वारा चोट का मामला होगा। उदाहरण के लिए जहां कोई कर्मचारी किसी रोग से ग्रस्त हो और उसका रोजगार थकान, अतिरिक्त कार्य अथवा श्रम

द्वारा रोग में बढ़ोत्तरी उत्तपन्न करें, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए तो उस मामले को दुर्घटना द्वारा चोट का मामला माना जाए और नियोक्ता उसके आश्रितों को प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिनियम की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध व्यक्तियों को नियोजित करने वाला अथवा अधिनियम की अनुसूची 3 में सूचीबद्ध व्यवसाय चलाने वाला, प्रत्येक नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी का यह नारा है कि सबका साथ सबका विकास। मैं समझता हूँ यह विधेयक इस नारे पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है। इसके माध्यम से हमारे देश के लाखों-करोड़ों श्रमिकों को पूरा सम्मान देते हुए उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का ध्यान रख जा रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसके माध्यम से गरीब और वंचितों की भलाई के बारे में सोचा है। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ और अपनी सरकार और पार्टी को धन्यवाद दोता हूँ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Deputy Speaker, I rise to support the Employees' Compensation (Amendment) Bill, 2016. This is a simple amendment. I think this amendment will not in any impact the labour reforms as the Government envisages. The original Act is the Workmen's Compensation Act of 1923. The nomenclature of that Act has been changed to Employees' Compensation Act with effect from 31-5-2010.

What is the intention of this Act? The objective of the main Act is to provide financial protection to employees or their dependence in case of accidents arising out of or in the course of employment causing either death or disablement of the employees. This is the main purpose, the ambit of the Employee's Compensation Act 1923. The Act also provides for compensation for the occupational diseases. Why is this amendment being brought? As Shri E.T. Mohammad Basheer has said, this is on the basis of the recommendations of the Law Commission in the year 1974 and in the year 1989, that is in the 62nd report of 1974 and 134th report of 1989. The Law Commission recommended for review of various provisions of the Employee's Compensation Act. It was in the year 1979 that the Law Commission submitted the report; subsequent report was submitted in the year 1989. None of the major recommendations of the Law Commission has been incorporated in this Bill. Only one simple amendment has been brought into this Bill.

Why is there inordinate delay in incorporating or implementing the recommendations of the Law Commission in respect of the labour? That is the mindset of the Government. I am not blaming any one Government. After 1991, after the post-liberalization era, the workmen's cause is getting the least priority; it is out of agenda. We are all trying to protect the interest of the rich, the haves and the corporates. That is why the Law Commission made recommendations in 1979 and subsequently reiterated those recommendations in 1989. Unfortunately, none of those recommendations have found a place in this amendment Bill.

Bringing a piecemeal legislation is not going to make any impact. What is the amendment? The amendment is incorporating a new provision in the Employee's Compensation Act 1923. Section 17A is to be incorporated in the Act- 'Every employer shall, immediately at the time of employment of any employee, inform the employee of his right to compensation under this Act in writing as well as through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area of the employment as may be understood by the employee and court.' The core and crux of the amendment is that when an employee is being given appointment, employer should give in writing that the employee is entitled for compensation in case of death or injury because of an accident in the course of employment or out of employment. This is the amendment.

So many important amendments and recommendations are there. You are just informing Mr. Worker that he has the right to claim the compensation. This is the amendment which is being brought here. This is why the hon. Prime Minister said yesterday in the House that within two years of governance, his Government has made hundreds of legislations in the country. If it is these types of legislations, we can have a thousand of legislations. So, we are seeking a demand that let us have a comprehensive legislation in respect of the labour issue. I urge upon the hon. Minister to come out with a comprehensive legislation so as to address the issues of the workmen in the country instead of coming with a piecemeal legislation whereby when appointment is being given to the employee, the employer should say, 'yes, you are entitled to the compensation.' This is the core of this amendment and we are spending a lot of time. No impact is going to take place.

What is the second amendment? It is dropping of Section 38. I fully agree and welcome it. As per Section 38 of the original Act, if an appeal is pending in the High Court against the order of the Commissioner of Workmen's Compensation, the employee is not entitled to receive the deposited amount which is with the Commissioner. But according to this amendment, Section 38 is being

dropped so that even if there is an appeal pending before the High Court, the worker can realize the amount which is pending before the Commissioner. This is a welcome amendment and I fully agree with the amendment regarding dropping of Section 38.

The third amendment which is being brought in this Bill is regarding the appellate jurisdiction against the order of the Commissioner. In the original Act, if we wanted to appeal against the order of the Commissioner, the amount in dispute should be not less than Rs. 300; now, it has been increased to Rs. 10,000 and any other higher amount which the Central Government may notify by notification. I fully disagree with the second part of the amendment. We are fixing the amount in Parliament but you are giving the right to amend the amount to the Government. The Central Government can by notification say only those disputes in which is the amount is not less than Rs. 50,000 can be appealed. I fully disassociate and disagree with the second part of this amendment for which I am moving an amendment.

I am coming to the suggestions regarding what is to be done in the Employees Compensation Act. There is a comprehensive redrafting or comprehensive amendment required in the case of the Employees Compensation Act. According to the provision in section 17 (a) and section 16 of the original Act, the pertinent question to be considered is an employee or worker is entitled to get compensation only if the accident took place either arising out of or in the course of the employment. A series of Supreme Court judgements are there. Most of the workers are denied compensation by the Commissioner only because of the reason that if on the way to the factory a worker is going by scooter for his employment, that will not come within the purview of the definition, 'in the course of employment' or 'arising out of employment'. Due to the paucity of time, I am not going into the Supreme Court Judgements. Even if a worker meets with an accident in the premises, it is also being interpreted in different ways so that the private firms can very vehemently argue with the help of advocates paying lakhs

of rupees as fees to fight against the workers on the ground that it did not arise out of or in the course of employment. So, I urge upon the hon. Labour Minister who has absolutely a pro-poor and pro-labour attitude and mindset to kindly review the definition for accident claims. This has to be revised, redrafted and redefined so that the poor workers get compensation from the Commissioner as well as the Court.

The second suggestion is regarding delay in disposing the cases. Just now, the average number of years it takes has been cited. If you go through the cases pending before the Commissioner, 85 per cent of the cases take a minimum of five years to 25 years. I am a trade union worker. We have submitted many disputes before the Commissioner. It takes years and years. This has to be changed. If it takes 25 years to dispose workmen's compensation cases, it means the delay defeats the justice. So, this provision has to be reviewed.

The third suggestion is regarding the amount of compensation. Kindly see that as per the Act the amount of compensation is enhanced. The minimum amount in the case of a death in the course of employment or arising out of employment is Rs. 1,20,000. Kindly examine this. If a person who is a breadwinner of a family dies, the Commissioner is to give a minimum of Rs. 1,20,000 in the case of death; and if there a permanent disablement, he is entitled to get Rs. 1,40,000. This was amended in the year 2010. This amount is totally outdated. So, considering the consumer price index, cost of living, compensation under the Motor Vehicles Act for accidents, etc., I would urge upon the Government to enhance the compensation amount provided as per this Act.

My last point is regarding the health, safety, and welfare of the workers.Sir, the health, safety and welfare of the workers is a prominent factor to be considered by the Government. We have the Factories Act. We had so many trade union meetings. It is being decided by the Government to codify the entire labour laws in the country. We welcome it but when we codify the labour laws, my suggestion to the hon. Minister is, it shall not be on the basis of the curtailment of the rights of

the poor workers in the country. We want an assurance from the Government that when we codify all the labour legislations in the country, it should be done in order to protect the rights of the workers.

Once again, I support the Bill with this observation that the Government should come out with a comprehensive Labour Reforms Act so that we can have a full-fledged discussion on the condition of the poor workers. With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इम्प्लॉइज़ कम्पेनसेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2016 के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए शुरू में ही मैं कहता हूं कि इस बिल को मेरा समर्थन है। इस बिल में जो भी प्रावधान किया गया है, उसका भी समर्थन है। लेकिन, मूल जो मुद्दा है, वह यह है कि अभी लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस किए थे, उन्हें छोड़ कर बस एक ही मुद्दा लेकर हम आगे आए हैं। आज की व्यवस्था में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात है कि क्या लेबर लॉज़ एग्जीस्टिंग हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं कि वे पहले यह बताएं कि क्या लेबर लॉज़ हमारे एस.ई.ज़ेड. पर लागू हैं या नहीं, ताकि सारे सदन और देश के सारे कर्मचारियों को यह पता चले कि एस.ई.ज़ेड. में लेबर लॉज़ लागू नहीं हैं। वहां तो उनके मन में जो आए, वही लॉ है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके ही राज्य तमिलनाडु में नोकिया कंपनी बंद हुई। उसके कारण पांच हजार कर्मचारी रास्ते पर आ गए। उनके लिए कौन-सी सुरक्षा आपके कानून में है? क्या मिला उनको? क्या उन्हें नया रोज़गार मिल सकता है? इसका मूल कारण है कि हमारे लेबर लॉज़ में सबसे पहला प्रावधान था कि अन-इम्प्लॉयड को इम्प्लॉयमेंट देना है और जिसे इम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसे सुरक्षित रखना है। पहले बेरोज़गार से शुरूआत हो जाती है। जो बेरोज़गार है, अगर उसे रोज़गार पाना है तो वह अपना नाम रजिस्टर्ड कराता है। वह कहां करता था? वह इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज में अपना नाम रजिस्टर्ड करता था। उसका कानून है अपने पास - इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज एक्ट। उसमें और भी एक कानून है - कम्पलसरी नोटिफिकेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। आज मुझे बताइए कि कौन-सी कंपनी है, जो हमारे इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताती है कि मेरे पास रोज़गार उपलब्ध है और जिस ढंग के उन्हें कर्मचारी चाहिए, जिस शिक्षा के चाहिए, जिस स्किल के चाहिए, वे अगर उपलब्ध हैं तो उन्हें हमारे यहां भेज दीजिएगा? आज ऐसा नहीं है। मैं यह क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका धोखा आप देख लीजिए। देश में आतंकवादियों द्वारा जो हो रहा है, वे सारे पढ़े-लिखे बच्चे हैं। ऑनलाइन नौकरी होती है। पता नहीं वे कहां से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं या हिन्दुस्तान के हैं? वे कहां पढ़े हैं, मालूम नहीं है। उसका इंटरव्यू हुआ, उसकी नौकरी लग गयी और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या सरकार को आज यह पता है कि देश में कितने लोग बेरोज़गार हैं क्योंकि इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जब वह कम्पलसरी होगा, तब सरकार को पता चलेगा कि हमें क्या व्यवस्था करनी है। जब आंकड़े ही नहीं है तो आप क्या व्यवस्था करेंगे, चाहे वह सरकार पुरानी हो या नई हो?

महोदय, वर्ष 1991 में जब लिब्रलाइजेशन-प्राइवेटाजेशन-ग्लोबलाइजेशन (एल.पी.जी.) आया, उस एल.पी.जी. ने धोखे का निर्माण किया है। इस एल.पी.जी. ने पहले बैंकों पर आक्रमण कर दिया। तकनीकी मुद्दे आए, कम्प्यूटराइजेशन आया। पब्लिक सेक्टर से लेकर हर क्षेत्र में अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो हम देखते हैं कि एयर इंडिया के, जेट एयरवेज़ के सभी कर्मचारी टैम्परैरी हैं। वे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। जैसा ए.पी.एम.सी. मार्केट में होता था कि जो वहां दलाल है, वह कमा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वे कमा रहे हैं और बाकी का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। जो सुरक्षा रक्षक हैं, वाचमैन को कितनी तनख्वाह देते हैं, 6 हजार, 7 हजार रुपए, जबकि कंपनी से कितने लेते हैं, दस हजार रुपए। तीन हजार रुपए तो मुझे मिले, मैं कांट्रैक्टर हूं। सात हजार उसे मिले। उन बेचारों का एक्सप्लायटेशन चालू है। कोई नहीं देख रहा है। एयर इंडिया में बीस-बीस वर्ष से लोग कांट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। मैं बताऊं तो बड़ा दर्द होता है कि परसों मेरे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बच्चे आए। They were working as casual labour in the Hindustan Petroleum for years together. They were made monthly payment. Since they had been paid for 242 days, the labour laws came into picture which says that once a worker has completed 242 days, he will have to be regularised. अब 240 दिन क्या, पांच-छः वर्ष से एक ही तनख्वाह पर वे वहां काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि यह तो परमानेंट नेचर का काम है, हमें रेग्युलराइज करिए। जब वह मांग हुई तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। अखबार में न्यूज आई कि ये सारे बच्चे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पिछले 6 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनको रेग्युलराइज करने की आवश्यकता है, सरकार क्या कर रही है? सरकार इनकी थी या इनकी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे दिन वे लोग काम पर गए, उनको बताया गया कि कल से काम पर नहीं आना। वे कैजुअल लेबर्स थे, लेकिन रेग्युलर आते थे, महीने की तनख्वाह पाते थे, कानूनन उनको देना पड़ता था। उनको छुट्टी मिलती थी, छुट्टी की तनख्वाह मिलती थी। उनके 240 दिन हर वर्ष पूरे हो जाते थे। वे वहां 6-7 वर्ष से काम कर रहे थे। अब पता चला कि रेग्युलराइज करना ही पड़ेगा तो कह दिया कि कल से नहीं आना। वर्बल इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब नहीं आना। फिर उन्होंने सोचा कि कानूनन कुछ लड़ाई करे।

सभापति महोदय, आपको सुनकर धक्का पहुंचेगा। इनके जो कागजात हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिस में थे, उस सेक्शन को आग लगी। सारा रिकार्ड जल गया। मैंने पूछा कि आपके पास कुछ रिकार्ड है क्या, कुछ तो रिकार्ड बताओ कि आप इतने सालों से काम कर रहे थे, मैं कुछ लड़ाई कर सकता हूँ, कुछ मांग कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि लेबर लॉ एग्जिस्टिंग है, लेकिन हम श्रम की क्या कीमत करते हैं? हमारे पास टाटा टी है, मैं नाम लेकर बताता हूं। उसकी 11

सौ क्या 11 हजार एकड़ की टी प्लांटेशन है। टी प्लांटेशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं। वे कौन हैं, डेलीवेजेज, उनको क्या सुविधा है, कुछ भी सुविधा नहीं है, क्या उनकी सुरक्षा है, कुछ भी नहीं है, कानून कहां पहुंचता है, वहां पहुंचता ही नहीं है। आज लेबर लॉज एग्जिस्टिंग नहीं है। मैं आपके इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ चीजों की मांग करता हूं।

हमारे पास रिक्रूटमेंट बोर्ड कितने हैं? इंप्लायमेंट एक्सचेंज तो रिडन्डन्ट हुआ। बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग और कोई कैंपस रिक्रूटमेंट पता नहीं, ऑन लाइन रिक्रूटमेंट, सरकार को पता नहीं, किसी को पता नहीं, कौन आए, कहां से बच्चे आ रहे हैं? इन सारे रिक्रूटमेंट के लिए आप पहले एक प्रावधान पहले करिए। It is mandatory that every unemployed youth may he belong to any caste, creed, region and religion should first register his name in the Employment Exchange so that the Government can get a right figure of unemployed youth. आप जो कुछ करने वाले हैं, तब पता चलेगा कि सही में हमने कितने लोगों को रोजगार दिया। ...(व्यवधान) मैं तड़प-तड़प कर बोल रहा हूं, कुछ दर्द है। एप्रिंटिसशिप एक्ट के तहत बच्चे एप्रिंटिसशिप के लिए जाते हैं। मझगांव डाक जैसी शिपिंग कंपनी है, गवर्नमेंट की पीएसयू है, एप्रिंटिसशिप काम कर रही है। उनको वहां दो वर्ष हो गए, फिर उनको टेंपरेरी रख लिया। फिर वापस वैकेंसी के लिए एडवरटाइजमेंट भी दी, लेकिन इनको प्राथमिकता नहीं दी। अब वह बेचारा बाहर और बाहर वाला अंदर। यह कौन सा तरीका है? लेबर लॉज के बारे में, लॉ कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं कि लेबर रिफॉर्म्स करते समय, देश की जनता, देश के नागरिकों की संख्या, देश के बेरोजगारों की संख्या को ध्यान में रखें। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट लोगों को मत ध्यान में रखिए। गरीबों की सुरक्षा करें। इतनी ही विनती करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : महोदय, आपने मुझे श्रम विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद । भारत श्रम प्रधान देश है, इसलिए सरकार गठित होते ही श्रममेव जयते के संकल्प के साथ श्रमिकों के कल्याणकारी विधेयक को लाने का कार्य किया गया है। आज हमारी सरकार संगठित, असंगठित क्षेत्रों के लिए ईएसआई अस्पतालों को हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में स्थापित करने का कार्य कर रही है।

मैं इस विधेयक के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। इस विधेयक में संगठित मजदूरों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन असंगठित मजदूर के लिए नहीं है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस बिल में खेत में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि निजी कौन्ट्रैक्ट पर अस्पतालों में काम करने वाले मजदूर, सिक्युरिटी में काम करने वाले मजदूरों का शोाण हो रहा है। उन्हें जो रेट दिया जाता है, उसे बिचौलिए खा जाते हैं। वे बहुत ज्यादा काम करते हैं। इस बारे में श्रम कानून में कोई न कोई प्रावधान होना चाहिए। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो खेत में कटाई करते हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।...(व्यवधान)

बाकी सारी बातें माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखी हैं। मुझे लगा कि यह बात छूट गई है, इसलिए मैं इसे आपके संज्ञान में लाया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको यह कहते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन असंगठित मजदूरों पर जरूर ध्यान देंगे ताकि इस कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा हो सके। जय हिन्द।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on this amendment Bill.

Sir, I rise to speak on the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016 which seeks to amend a few clauses of the parent Act which was the Employee's Compensation Act, 1923, the first ever social security legislation of India. I am really happy about the fact this Bill seeks to provide certain benefits to the people working as labours and the oppressed and the deprived class of the society.

The Government of West Bengal headed by Ms. Mamata Banerjee is the Government of the people and for the people belonging to the lower strata of society. I stand on behalf of them. But the irony is, as has been mentioned by some of my other colleagues also, that the Labour Commissions were set up in 1974 and also in 1989, and made several recommendations, but not a single recommendation was given effect to. Here is a legislation which seeks to include some of the recommendations of the Labour Commission. But the amendment that has been brought about is a simple one. This amendment, of course, is in favour of the labourers. The first amendment seeks to enhance the penalty amount for various violations from the existing amount of Rs. 5000 to Rs. 50000 which can be extended up to Rs. 1,00,000. This is provided for in Section 17(a) of the Act.

But it is said in section 16 that the employer should inform while employing the employee that there is a compensation to be paid if there is an injury or in case of a death next to the kin. This amendment says that it should be in writing or in the digital form, but the problem is that most of our labour class cannot read. So, there should be some witness, while he is verbally narrating it, that he has understood it. It should be there in the amendment also.

Secondly, it is said only about information but there are other statutory notes like depending upon the degree of injury, compensation should be paid. Like in the Factories Act, there should be a provision for safety measures. That is the most important thing. What about imposing a fine if there is no proper safety measure and who is going to look into it? Of course, I know that the Commission has got inspectors who inspect it. Inspection should be ensured and there should be regular reporting about safety in the factory or the working place and that safety is properly maintained there. Otherwise, there should be a regular fine and that fine should be enhanced.

Another amendment is increasing the limit for filing an appeal. Earlier, the provision was that if it was less than Rs. 300, then they could not file a case. Now, it is increased upto Rs. 10,000. My other colleagues have also said that the words, 'Central Government' should be omitted so that the Central Government cannot direct them later on.

About Section 30A where it is said about payment, I completely agree with it as it is impairing the Commissioner.

My various colleagues have said that the cases relating to compensation are going on for years and years. This issue should be addressed and there should be an amendment in the law so that the grievances are redressed as soon as possible.

In West Bengal, there is a rule that compensation should be paid within three months. Usually that never happens but to ensure that touts do not get hold of part of that money, the West Bengal Government, has by a notification from the Directorate of Employees' Compensation said that if the compensation is more

than Rs. 20,000, it should be paid directly to the bank account of the person or his kin.

With these words, I am supporting the Bill.

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारी प्रतिकार विधेयक, 2016 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 2003 में लेबर के हित में यह कानून बनाया गया था और उसके बाद वर्ष 2009 में इसमें संशोधन किया गया और दिनांक 18 जनवरी, 2010 को इसमें और संशोधन किया गया था। इस बिल के माध्यम से पांच संशोधन किए गए हैं। मैं सिर्फ दो वियों के ऊपर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम से आता हूं। लगभग 150 या 200 साल पहले हम लोग छत्तीसगढ़ से असम गए थे। उस समय ब्रिटिशर्स हमें, चाय बागान में काम कराने के लिए ले गए थे। उसको बाद हम वहीं बस गए। हमने वहां चाय बागान लेबर की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक संगठन बनाया। श्री कामाख्या प्रसाद पासा जी और मैं उस संगठन को चलाते थे। हम देखते थे कि चाय बागान में अगर किसी लेबर का एक्सीडेंट हो जाए, तो चाय बागान मालिक उसे कोई सहायता नहीं देते थे। हम लोग लेबर कमिश्नर के पास जाकर उस चाय बागान मालिक के ऊपर केस करते थे। उस समय यदि चाय बागान का मालिक उसे कोई मुआवजा नहीं देता था, तो कोर्ट द्वारा चाय बागान के मैनेजर या मालिक पर सिर्फ 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन इस बिल में उस 5 हजार रुपए को बढ़ाकर 50 हजार से 1 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं मंत्री जी धन्यवाद देता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, चाय बागान में काम करने वाली लेबर को जब कोई नोटिस दिया जाता था, तो वह अंग्रेजी में दिया जाता था। चूंकि चाय बागान में पढ़े-लिखे लोग नहीं होते हैं, इसलिए इंग्लिश में नोटिस होने के कारण उसमें क्या लिखा है, वह उनकी समझ में नहीं आता है और वे मनमानी करते हैं। अब इस बिल में माननीय मंत्री जी ने संशोधन कर के यह प्रावधान किया गया है कि लोकल भाा में उन्हें नोटिस दिया जाएगा और पेपर में एडवर्टाइज किया जाएगा। इसलिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बहुत बोलना था। चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए और मंत्री महोदय को धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BANDARU DATTATREYA: Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to all the hon. Members who have participated in this discussion. Nearly 26 hon. Members took part in this discussion. I am really overwhelmed by the kind of support that the entire House has extended to this Bill in one voice and in all unanimity. It is because this Bill is going to benefit crores of people involved in the organized sector. That is number one.

Number two is that the hon. Members have raised a large number of issues. They have raised some specific points pertaining to this Bill. I will try to clarify the points that they have raised.

In my opening speech itself I have already indicated as to what the new provisions which have taken place in this Amendment Bill are.I need not repeat those four points. Everyone is aware of it. It is on record. कन्सर्न रिगार्डिंग द आक्युपेशनल डिसीजिस के बारे में बताया गया। मैं ऑक्युपेशनल डिसीजिस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बिल में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन्स की हैं, उन रिकमेंडेशन्स का 2009 के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। इसके बाद जो भी बची हुई चीजें हैं, उन्हें प्रियारिटाइज करके बिल में लाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कम्पेनसेशन एक्ट 1923 का है, इस बिल में प्रपोजल अमेंडमेंट है, पैनेल्टी को 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक इन्क्रीज किया गया है और आगे चलकर इसे एक लाख तक भी बढ़ा सकते हैं।

महोदय, मैंने पहले भी बताया था कि कन्ट्रावेंशन आफ एक्ट में कोई एम्पलायर अगर बराबर कम्पेनसेशन नहीं देगा, इसके लिए हमने पैनेल्टी इन्कलूड की है। कम्पेनसेशन एमाउंट डिफरेंट है, पैनल्टी एन्हांसमेंट डिफरेंट है। हमने पैनल्टी 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक इन्क्रीज की है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों को अपील के बारे में डाउट है। सैक्शन 30 में था कि अगर पहले किसी मजदूर को, एम्पलाई को कम्पेनसेशन मिलता था, इसे अवार्ड करने का काम कमिश्नर करता था, इसके बाद एम्पलायर कोर्ट में जाता था तो उस समय लेबर कमिश्नर स्टे दे सकता था, रोक सकता था। हमने इस पर विचार किया कि अगर हाई कोर्ट से आए तभी रोक सकता है, हमने इंडीविजुअल डिस्क्रीशन को निकाल दिया है। इसमें डिस्क्रीशन नहीं है, जितना कम्पेनसेशन अवार्ड होता है, तुरंत वर्कर को मिलना चाहिए। इसका हमने प्रावधान किया है।

महोदय, हमारा एक ही उद्देश्य है कि लॉ डेटरेंट बने और कम्पलाएंस भी काफी आगे बढ़े। इतना ही नहीं, 300 रुपए से 10,000 रुपए तक बढ़ाया है। इसके बारे में यही है कि अगर किसी ने हाई कोर्ट जाना है, आप सबको पता है कि हाई कोर्ट जाने के लिए कितनी फीस लगती है, कितना परेशान होना पड़ता है। अगर किसी को 10,000 रुपए के नीचे मिला है और कमिश्नर ने 8,000 रुपए के नीचे अवार्ड दिया है तो तुरंत इसे यहीं समाप्त कर दें। ऐसा न हो कि एक या दो हजार रुपए के लिए हाई कोर्ट चले जाएं।

महोदय, अब डिले आफ पेमेंट की बात आती है, कम्पेनसेशन में जो डिले होता है, इसकी भी पैनल्टी है। अगर कोई पैमेंट डिले करता है, तो उसे उसके ऊपर 12 परसेंट इंटरस्ट देना पड़ेगा। जिस दिन कमिश्नर अवार्ड देगा, उस दिन अगर इम्प्लायर उसे अमल नहीं करेगा, तो उसे उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया है या उसका डेथ हो गई है, तो उस समय भी उसे कम्पेनसैशन अमाउंट पर 50 परसेंट ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मेरा डिटरेंट कहने का यही मकसद है।

दूसरा, अभी हमारे आंध्र प्रदेश के माननीय सांसद जैदेव गल्ला जी ने बताया कि हमने डिस्प्ले कहा। हमने बहुत से क्लाज और भी किये हैं। अब बहुत से वर्कर्स ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं रहते, इसलिए पहले उन्हें नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले किया जायेगा। अगर वह उसे भी बराबर नहीं करते, तो हमारा इंस्पेक्टर उसे देखेगा। उन्हें कई वर्कर्स को चिट्ठी भी लिखकर देनी पड़ेगी। यह उसका हक है और हमने इस बिल में यह प्रावधान किया है।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस संदर्भ में काफी विषय उठाये हैं। यह केवल इम्प्लायज कम्पेनसैशन अमेंडमैंट एक्ट है, लेकिन माननीय सदस्यों ने इसके अलावा भी कई चीजें बतायी हैं। मैं प्रतिमा मंडल जी की बहुत सराहना करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। She has given very good suggestions. She said that all records of employees have to be taken during the employment. Then, she also mentioned health insurance should be provided to the workers. I would like to inform that we are expanding ESIC facility geographically to more places.

Then, Shri Rabindra Kumar Jena of BJD has also given some very good suggestions. In fact, he has given six suggestions. We will positively consider all the suggestions. आपने स्पेशली इंसेंटिवाइज के बारे में कहा। उस बारे में हमारा कहना है कि कंपनी हो या इम्प्लायर हो, हमारी जीरो एक्सीडेंट करने की कोशिश है। टी.आर.एस. के मैम्बर विनोद कुमार जी ने कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि देश में केवल 22 ट्रिब्यूनल्स ही हैं। कई लोगों का कहना है कि इस संबंध में बहुत सारे केसेज पेंडिंग हैं। जून 2016 तक 17289 केसेज पेंडिंग हैं। ईयरली

हमारे 1320 केसेज डिस्पोज होते हैं। इस संबंध में हमारी मंथली मौनीटरिंग भी हो रही है। जहां भी प्रिसाइडिंग आफिसर्स की पोस्ट वैकेंट है, उसे भी हमने फिलअप करने के लिए कह दिया है।

हमारे शिवसेना के साथी श्री कीर्तिकर जी ने स्वागत करते हुए कहा कि पेंडिंग केसेज के बारे में फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। उनका यह सुझाव बहुत अच्छा है और इसे हम पोजीटिवली लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे आंध्र प्रदेश के मैंम्बर वर प्रसाद राव जी ने बिल का वेलकम करते हुए हैजाडर्स इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स के बारे में कहा। हेजार्डस इंडस्ट्रीज के बारे में आपने जो कहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो शिडयूल है एक्ट में, उसको पढ़कर बताने से काफी है। जैसा कई लोगों ने कहा है, माइन्स में सिलिकोसिस है। मैं झारखण्ड गया था, वहां कोल माइन्स में काम करने वाले बहुत से लोगों में सिलिकोसिस एक हेजार्डस डिजीज बन गयी है। छत्तीसगढ़ में भी वैसी ही स्थिति है। बहुत से प्रान्तों में हेजार्डस एरियाज में ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं, इनकी वजह से जो लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, उनको भी हमने इसमें इनक्लूड किया है। इसलिए सभी लोगों को बताना चाहूंगा।...(व्यवधान) एक अन्य वि-ाय है नेल्लूर के स्कूल के बारे में, ...(व्यवधान) नेल्लूर के स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bhuria, please take your seat. You may ask your clarification later on. Do not disturb the hon. Minister.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Minister.

…(Interruptions)… *

श्री बंडारू दत्तात्रेय: नेल्लूर में उन्होंने कहा ...(व्यवधान) नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काविचेडु, साहिबापुरम मंडल में जो हमारा माइका माइन्स का स्कूल है, उसके बारे में उन्होंने मुझे चिट्ठी भी लिखी थी। मैं उसके बारे में पॉजिटिवली एक्शन जल्दी लेने की मेरी कोशिश रहेगी। जेडी(यू) के माननीय सदस्य ने भी ईएसआईसी के बारे में अच्छे सुझाव दिए हैं। इएसआईसी को हम रिफार्म्स में लाए हैं और इसका कवरेज भी काफी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। सीपीएम के मेरे मित्र सम्पथ जी ने कई विषयों के बारे में कहा है, लेकिन मैं उनके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि this Government is pro-worker and pro-labour. We are actively considering all labour issues. अभी तक दो साल के अंदर हमने जितने भी काम

* Not recorded.

किए हैं, मैं गर्व के साथ कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद पहला काम हमने यह किया, खड़गे जी भी यहां बैठे हैं, उनको यह काम करना था, वह उसे छोड़कर गए और हम लोगों ने वह काम किया, मिनिमम पेंशन को 350 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया। उसके लिए सरकार हर साल 850 करोड़ रुपये इन-परपेचुटी देती है। Khargeji, you had taken the decision for only one year only but we have taken the decision in perpetuity.

आप लोग सारी ट्रेड यूनियन्स के बारे में कह रहे थे, सारी ट्रेड यूनियन्स मेरे अच्छे मित्र हैं, हमारा ट्राईपर्टाइट मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में मैंने 23 ट्राईपर्टाइट मैकेनिज्म मीटिंग्स की। उनकी जो 12 डिमाण्ड्स हैं, आप लोगों ने दो सितम्बर वाली स्ट्राइक के बारे में कहा है, उसके बारे में अलग से मैंने मीटिंग की है। मैं इस सदन में विश्वास के साथ कह रहा हूं कि out of their 10 demands, I have fulfilled seven demands. आपकी सरकार ने मिनिमम पेंशन किया। बोनस दिया, बोनस एनहांसमेंट किया। Bonus has been enhanced from Rs. 3,500 to Rs. 7,000. Wage ceiling of bonus has been raised from Rs. 10,000 to Rs. 21,000. This is the calculation and coverage. This is going to benefit… (*Interruptions*)

K. Sureshji, I respect you because earlier you were the Labour Minister. But you could not understand much of the things. Sorry for that. You were the Labour Minister. What you had raised, I would answer later on.

What I am telling is that this Government has taken up the bonus, minimum pension, minimum wages, which all the Members across the parties have been demanding. All these are under the consideration of this Government. एनहांसमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज - यह बहुत बड़ा मुद्दा है।

Mr. Deputy-Speaker, Sir, our Government is committed for job security, wage security and social security. These three things are very important. As far as dignity of labour is concerned, I want not only minimum wages but also fair wages for my workers. That is why, Narendera Modiji's Government has taken the skill development initiatives. I do not want to go much into the details of these things.

Our Badruddin Ajmalji has raised the issue about Assam. I would like to assure him that all possible measures will be taken for the safety and social security of the workers including the workers who are engaged in ship building.

Our Gogoiji is not here. I think, he has failed to understand the things. But I am happy that he has supported the Bill. He has spoken many things which are not related to this subject even though I heard him patiently. I am telling you that all the misinformation, which have been given by him in this House, are not correct.

लेबर लॉ रिफॉर्म्स के बारे काफी लोगों ने कहा है। 44 लेबर लॉज हैं। खड़गे जी, आप छः साल में लेबर लॉज के बारे में कुछ करना चाहते थे। 44 सेन्ट्रल लेबर लॉज को आप लोगों ने चार लेबर कोड के रूप में लाने के लिए आप लोग आगे बढ़े, लेकिन एक भी काम नहीं कर पाए। मैं आपकी विरासत को आगे ले जा रहा हूं। अगर आप ही लोग इसका विरोध करेंगे तो आपको कौन समझे?

All these 45 labour laws are going to be codified into four Labour Codes. The first Code is 'Code on Wages'. The second is 'Code on Industrial Relations'. The third Code is 'Code on Social Security'. The fourth Code is 'Code on Safety, Working Conditions and Health'. I am assuring this House that all these 45 labour laws will be meant for rationalisation and simplification and nowhere the rights of the workers will be taken away.

हमारे एक भी मजदूर का हक नहीं लिया जायेगा। मजदूर का हक सुरक्षित रहेगा, लेकिन सिम्पलीफिकैशन की जरूरत है। सरकार चाहती है कि एक कन्डयूसिव रिलेशन होना चाहिए। इंडस्ट्री और वर्कर्स के साथ एक कन्डयूसिव एटमोसफेयर होना चाहिए। मैं ज्यादा विषयों पर बोल कर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

हमारे मित्र जी ने लेबर ब्यूरो, इम्पलॉयमेंट डाटा के बारे में कहा था। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारे लेबर ब्यूरो में सभी रिकॉडर्स हैं। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद एक नया मॉडल, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, जिसे एनसीएस स्कीम कहा जाता है, उसको हमने लाँच किया है, लांच करने के बाद अभी तक nine lakh establishments have come on this portal. Secondly, 3,40,00,000 job seekers are on our platform. I would like to inform you that we

have notified 80,000 vacancies. 34,000 लोगों को नौकरी दी गई। नया पोर्टल आईटी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हर राज्य में जॉब मिलेगी। मैंने अभी यह नोएडा, हैदराबाद और गाजियाबाद में किया।

18.00 hours

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आठ हजार विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 4800 लोगों को नौकरी मिली है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister, one minute. We are extending the time of the House till the Bill is passed.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): I have a small submission, Sir. This Bill will be over in another 10 minutes or 15 minutes or 20 minutes. There is a small Bill, namely, The Central Agricultural University (Amendment) Bill, which can be taken up. It is a small amendment. If that is also implemented. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we are extending the time of the House till the Bill is passed. Afterwards, we will decide, if you want.

… (*Interruptions*)

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, another important issue – all the Members were concerned about it – is the unorganized sector. असंगठित क्षेत्र के बारे में बहुत-से सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। Unorganized sector is my focus area. Our Government's focus area will be this. High priority will be given to the unorganized sector. असंगठित क्षेत्र के बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन काफी काम इस विषय में किया जाना है। जैसा रंजन जी ने कहा है, उसी रास्ते से उन्हें स्किल देकर उनके प्रोफेशन में आगे बढ़ाने का काम स्टार्ट-अप योजना के तहत नरेन्द्र मोदी जी ने एससी, एसटी लोगों से शुरूआत की है। मेरी प्रार्थना है कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। आप

सभी ने इतने ऐतिहासिक बिल में मदद की है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए इस बिल को पास करने की रिक्वेस्ट करता हूं।... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, he has taken my name that the previous Government has not done anything in this field, the labour field. Everything is delivered during his period and only in two years. … (*Interruptions*) See, whether it is the Compensation Act, whether it is Provident Fund Act, whether it is enhancement under ESI Act and so many other Acts, I can make a list and I can submit to him privately or if he wants it in the House, I can submit. But, he should not tell that you have not done this, we have done. Can you do everything within two years? When the entire House is supporting this Bill, you want to create controversy, and it is misleading. This is not good. If you want discussion, let us have a discussion as to what we have done and how we have stopped. आपके पास पेंडिंग है। उसमें सिर्फ "वर्कमैन से वर्कर" की परिभाषाा के लिए आपने राज्य सभा में स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है। हमारे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रूड़ी साहब ने भेजा था और वह अभी भी आपके पास पेंडिंग है। It is for a small thing. It is only for changing it from 'workman' to 'worker'; that is the only change.

Everybody is supporting it but do not tell that nothing has been done in the previous Government and everything you are doing and Modi *sahib* is doing. … (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): I am not a party in the fight between the two stalwarts. I told the hon. Minister that in spirit, I agree with him. I am with him. The only point on which I would like to get a clarification from the hon. Minister is this because I pointed out a very particular issue. That issue is not about even giving minimum wages. He told about the fair wages. I agree with him. In the airports, we see the porters helping and handling our luggages. Do you know what wages they get? They are getting Rs. 200 per day for 12 hours of work. This is happening in the international airports of India.

Not only that, in the airports, the girls are asked to serve liquor in the liquor lounges across the country. He is duty bound to protect the labour and workers. I did not get a reply from him just because they are girls and ladies and we are men

sitting here and not at all concerned about their issues, I hope our respected hon. Labour Minister will give the reply.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपने ईएसआईसी के बारे में कहा कि आप लोग सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, तो 15 हजार रुपये वेजेज़ का जो लिमिट है, उसे 25 हजार रुपये करने की बात हुई है, ताकि 25 हजार रुपये जिसका वेजेज़ होगा, उसको भी ईएसआईसी का लाभ मिलेगा, इसे आप कब करने वाले हैं?

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): I want to know whether the labour laws are applicable to the industries which are coming under the SEZ.

Secondly, he has rightly pointed out about the outsourcing. It is being done in every industry now, including PSUs, Air India and everywhere. What measures are being taken by the Government to protect them?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I have a simple question. Can we have a gender bias in employment? Should we encourage it? Can we limit girls or women from taking one job and bar them from another? Or should we have gender equality? As far as the Government institution is concerned, this is the 21st century. I do not think the Government should differentiate in this regard.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, in the course of his reply, the hon. Minister has said that he has got this new portal where he has got nine and a half lakh applicants and he has advertised 80,000 jobs. It seems to me this should not be a cause of satisfaction. We are looking at something like eight and a half per cent. I would like to ask this question to the Minister. What about the remaining nine lakh people who will not get the jobs, thanks to his portal?

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, do you want to say anything?

SHRI BANDARU DATTATREYA: First of all, I want to thank Kharge Ji because they have supported us. Not only that, already I have told in my speech that whatever the left over job is there, we have fastly done that. I have made it clear.

Regarding the ESIC coverage which is to be enhanced from Rs. 15,000 to Rs. 25,000, we are also recommending. This is under the active consideration.

'Labour' is under the Concurrent List. So, the appropriate Government is the State Government. That is why, there are a lot of issues separately. If anybody is there, they can come and meet me and I will definitely try to help them.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Employee's Compensation Act, 1923, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Insertion of new section 17A

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor, are you moving your amendment?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move:

> "Page 1, line 9, -
>
> *after* "under this Act,"
> *insert* "orally and."," (1)

Can I just explain very briefly? The issue is very simple. I support the desire to give warnings in writing and letting the workers know of their rights in writing but हमारे देश में बहुत-से मजदूर अनपढ़ भी होते हैं। So, if you can add orally and in writing, then everyone is happy that they will know what their rights are.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.1 to Clause 2 moved by Dr. Shashi Tharoor to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No.2 to Clause 2?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

> "Page 1, line 10,--
>
> *after "electronic means"*
> *insert* "with due acknowledgement,"." (2)

Sir, I spoke fully within the ambit of the Bill. Unfortunately, none of the questions, which I raised, was answered. So, I move this amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 18A

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri B. Vinod Kumar – Not present.

The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Amendment of Section 30

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment No.4 to clause 4?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"Page 2, lines 8 and 9,-- "

for "ten thousand rupees or such higher amount as the Central Government may, by notification in the Official Gazettee specify"
substitute "twenty thousand rupees". (4)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.4 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
Clause 5 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI BANDARU DATTATREYA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.12 hours

CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2016

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Sir, I beg to move*:

> "That the Bill further to amend the Central Agricultural University Act, 1992, be taken into consideration."

Sir, the Central Agricultural University (Amendment) Bill is a small Bill. Basically, when the Central Agricultural University Act, 1992 was enacted in 1992 for a Central Agricultural University for the North-Eastern Region for the development of agriculture and advancement of learning and prosecution of research in agriculture and allied sciences in that region.

Sir, in this Act, the North-Eastern Region States, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim and Tripura were included but at that point of time the Government of Assam and the Government of Nagaland opted out. They had not given the consent. It is because as per Schedule VII of the Indian Constitution, Parliament cannot extend the area till a State gives its consent. Now, the Nagaland Government is going for a veterinary college and for that purpose they have already allotted 200 acres of land and they want to start the college. But to start the college and run the college, they need a university and recognition. Now that they have given the consent, all right, we are ready to accept this university and we can take this university as one of the Central Agricultural Universities. The headquarters will be in Imphal, and the institution which they are proposing will be in Nagaland. So, that is the reason which necessitated the

* Moved with the recommendation of the President.

amendment in this 1992 Act. We have to just add after ‘Mizoram’ the word, ‘Nagaland’.

I request the House to pass this Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> “That the Bill further to amend the Central Agricultural University Act, 1992, be taken into consideration.”

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): He is an experienced leader. When the Minister himself is there, why does the Parliamentary Affairs Minister go on explaining?

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am also the Minister of State for Agriculture.

HON. DEPUTY SPEAKER: He is a Minister of State for Agriculture also.

SHRI S.S. AHLUWALIA: As a Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare Ministry, I am looking after education. That is the reason I am piloting this Bill. If the House desires, this Bill can be passed. If it is not passed and if it is delayed, that particular college will not get the recognition. We have to get it cleared from Lok Sabha as well as Rajya Sabha so that they get the recognition. They are delaying the session in their college. Therefore, if without discussion it is passed, I will be highly obliged. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: If the hon. Members want discussion on it, we can do it.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: There is no problem if the hon. Members pass it unanimously without discussion. That is left to the House. If you want to discuss it, you can discuss. We can extend the time and the Members can speak on it.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: We extend the time till the Bill is passed.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for allowing me to intervene in the consideration and passing of the Central Agricultural University (Amendment) Bill, 2016 moved by the hon. Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.

I would like to draw the attention of this august House to the very fact that this Central Agricultural University at Imphal was for the Northeastern region. We would like to inform the august House that Nagaland now wants to have a veterinary college at Nagaland. The inaugural function of the college has already been done. It was inaugurated on 6th of August by the hon. Minister of Agriculture and Farmers' Welfare, Shri Radha Mohan ji. The Bill is now going to be amended today.

I am very respectfully putting my opinion to the House. I wish the Act could have been amended and the college started after that. Even then, it is good that Nagaland Government has agreed to come under the Central Agricultural University.

I will just tell a little story about how this college came up. At the very outset, I would like to draw the attention of the august House that the Northeastern region is more or less an agricultural region. Agriculture is the most important occupation of this region.

I would like to add a very important chapter to the history of the Central Agricultural University (CAU), Imphal at Manipur. It was in early 70s when Manipur attained statehood. The need to establish an agriculture college at Manipur was very much felt. Following this, the then Minister of Education, Shri H. Thoithoi Singh started the Manipur Agricultural College at Moia, Imphal West, which happen to be my village. I was on the governing body. This college was run under the private management of Manipur Rural Institute, Imphal and it became a semi-Government college under Manipur University. When the Government of India wanted to have a Central Agriculture University at Imphal to be established

under the Act of 1992, there was one institute in Nagaland under the name of the College of Agriculture Science and Rural Development in Nagaland.

It was also affiliated to the Nagaland Central University. By that time, the Government of India, in the project report, wanted to have both the Manipur Agriculture College at Imphal and this institute in Nagaland to be the affiliated colleges of the Central Agricultural University, but the Agriculture College of Nagaland opted to stay with the Nagaland Central University. That is how, it could not become a constituent college. That is the historical part of it.

Therefore, the Central Agricultural University, Imphal was established in 1993 under the Central Agricultural University Act, 1992 of Parliament (Act No. 40 of 1992) and has its jurisdiction over the States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim and Tripura. This University has got a veterinary college in Mizoram, a horticulture college in Arunachal Pradesh, a fishery college in Tripura and other three colleges in other states. This is the reason, how it missed it. Now, it is good that in July this year, the Government of India has started consultation with many areas and a proposal from the Nagaland Government has come. The College of Veterinary Science and Husbandry has already been inaugurated by the hon. Minister, as I mentioned earlier.

Once this Act is amended, perhaps that will take retrospective effect. Normally, laws take effect prospectively, not retrospectively. I am very respectfully putting before the Government that this Act could have been amended and the college could have been inaugurated in time. This is the process I would like to say.

While mentioning this, I would like to mention in the end that for the inhabitants of my State, Manipur, the staple food is rice and fish. Anyway, we have an agriculture college. We did have a good harvest of indigenous fish. Even then, the production we have is not enough for our consumption. So, we depend mostly on the fish coming from Andhra Pradesh and Myanmar. In this connection, I would like to request the hon. Minister, particularly the Ministry here, to

consider to expand the area of research and development of the Central Agricultural University, Imphal where they can do research in respect of pissiculture, fisheries and animal husbandry. Here, in that case, they can expand it to research and development activities so that the quality of our fish and their species are protected and preserved and their production can be enhanced. At the same time, we have animals, birds and other things which can also be preserved and their species maintained. So, research and development activities in the areas of fisheries and animal husbandry would help us meet the ever growing demand of the population of the State. This is very important.

With these few words, since the Minister is in a hurry, and perhaps the House is also in a hurry, I stand here to support the Bill. There is no problem in doing that. I am very happy that our neighbour State of Nagaland has already agreed to come and join the Central Agricultural University which is the pride of our State and pride of our area. We look forward to the college, which the hon. Minister has inaugurated recently, getting recognition without any problem so that we can grow together.

At the same time, please also remember that this North-Eastern part of the country has been in news for no reason almost all the time. This is because of our looks. Whenever we go there, we need to be identified. Suppose, I go there like this, wearing pyjama and dhoti, and stand there as an MP, nobody will recognise. They will say ‘Okay, it is fine.’ Suppose, I go there wearing a suit and tie, it is very dangerous. They will insist on my identity card. I do produce my identity card and cross the hurdle. But the young people, who are going there, are facing a lot of problem.

So, as per my opinion, you consider this area together along with other parts of the country for inclusiveness. I always suggest that the geography and history of this part of the country should be in the curriculum of students in the mainland so that we mix with each other and have the emotional integration.

With these words, I support the Bill and wish all the best.

Thank you very much.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Central Agricultural University (Amendment) Bill, 2016. The purpose of the Bill is to include the State of Nagaland under the jurisdiction of the Central Agricultural University having its headquarter in Imphal. This will help to impart education in different branches of agriculture and allied sciences, undertake research in agricultural programmes and extension of education in North Eastern hilly regions with national and international institutes.

Agriculture is the main economic activity in Nagaland, and more than 90 per cent of the population is employed within it, with more than 16 Tribes and Sub-Tribes who have their own culture, tradition and language. The wide-spread practice of jhoom cultivation has led to soil erosion and loss of soil fertility. It needs to do research to retain its fertility.

Imphal, with a hot and humid rainy season during summer and cool dry winter, with fertile land made up of alluvial soil will help the farmers with new techniques thereby contributing to the production and productivity of agriculture of the region. This would help in getting over the shortage of technical manpower and infrastructural facilities and would contribute for the development of agriculture, including animal husbandry, horticulture, plant pathology, plant breeding, soil science, and agricultural chemistry.

After inclusion of the State of Nagaland under the jurisdiction of the Central Agricultural University, the College of Veterinary Science in Nagaland will produce professional manpower in the field of animal husbandry, which will facilitate the social, economic growth in the region thereby contributing to the production and productivity of animals in Nagaland, and will be a great blessing to the people of the State. According to the Twelfth Plan, Rs. 14.31 crore shall be expended after the establishment of the College of Veterinary Science in Nagaland, which is a very welcome initiative.

The State of Nagaland has enormous potential for productive season and off-season agricultural crops, fruits and vegetables, which have a demand in the State and also in the adjoining States, but due to improper storage and harvest handling, there is a huge loss, especially of the perishable items. Funds should be provided for purchase of machinery and equipment with reasonable, affordable subsidy policy. The connectivity to the potential areas from village to village, to highway and to market should be well connected, to boost the economy of the rural farmers.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the State does not have industries to absorb the educated, unemployed youth because the State has no proper infrastructural and institutional set up. So, they have every reason to take up agriculture seriously. Addressing the Fifty-fourth Convocation of the Indian Agricultural Research on 6th February, hon. President, Shri Pranab Mukherjee, said that agricultural education in our country must conform to global standards and we need to create a large pool of competent faculty in our institutions of technology to promote agriculture nation-wide.

In West Bengal, the Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya is doing good research work and is one of the best in the country. Its research work with modern techniques is helping the farmers. It is a State University. The Government should take measures to reduce discrimination among various sections of people, especially the Dalit students and create an environment for studies and research in the universities to shape India into a developed nation.

So, I welcome the initiatives taken by the Government. On behalf of my Party, All India Trinamool Congress, I support the Bill. Thank you.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon'ble Deputy-Speaker, I thank you for allowing me to speak on this subject. Initially, it was the University Act of 1992, and now the Government of India has brought this amendment Bill. I support this Bill, on behalf of my Party, Biju Janata Dal.

Sir, I wish to share with you that Nagaland is a State where 80 per cent of the people is dependent on agriculture. Seasonal fruits and horticulture products are the main source for their livelihood. In the last Budget, this Government had provided Rs.115 crore for developing organic value chain in the North-East region. It means that probably the Central Government is giving thrust to the North-East because the people in that region believe in organic product. Now, some States are producing some items but they do not use those items. I do not like to name those States. They are purchasing the same thing from other States. This is happening because their produced items are prepared by using fertilizers. This is the state of affairs. That is why, I would congratulate the Government of India on providing Rs.115 crore for this purpose. Nagaland will be the role model for other states and encouage them to produce hygenic organic products.

I fully support this Bill because Nagaland will come to the mainstream. I would like to make one or two points. Some days back, hon. Agriculture Minister Shri Radha Mohan ji visited our State and he visited the OUAT. On behalf of the Government of Odisha, the OUAT have given a memorandum for establishment of a Central University. But, unfortunately, the Indian Council of Agricultural Research have given a report against this and the Minister has also sent the reply accordingly.

As you know, the Eastern part of Odisha is a coastal belt where we find one type of climate. The other part is the Western side. That consists of 13 districts is having other type of climate. On different occasions, the Western districts are demanding for a Central University in the Assembly. Our hon. Chief Minister has also written a letter to the Government of India for establishment of a Central Agricultural University in remote area of the State. Hon. Agriculture Minister has

visited the Agriculture University. He might have seen that memorandum. I think, during his reply, he would answer to this point.

As you know, the issue of Mahanadi River dispute is raised both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. It is a known fact that the water source is coming down. So, I demand for a Regional Water Research Institute at Sambalpur. There is one such Institute in Bhubneswar. The said Institute cannot cater to the needs of the Western side. That is why, a separate Regional Water Research Institute has to be sanctioned so that the production of the western Orissa will be increased and huge self employment will be created.

As everybody is saying that my constituency Sambalpur city is the second Capital of Odisha. Hirakud Project is there. About 90 per cent of irrigation is because of the Hirakud Project. There is one Agricultural and one Horticulture College in Chiplima. About 351 acres of land is with Agriculture and Horticulture College. The institute cater up to B.Sc. Ag. The above institution should be upgraded to M.Sc Ag. in agriculutre and horticulture. Research wings of different subjects should be opened so that scientists can be produced, as a result of which people will be trained in scientific ways for having their livelihood by agriculture and horticulture.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Odisha Government can do that because this is under the State.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Without assistance of the Centre nothing can be done as fund is required. On this occasion I would like to draw the attention of the hon. Minister to this issue and request him to make a statement during his reply keeping in view of the difficulties being faced by the people of Western Odisha. Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस बिल के माध्यम से मिज़ोरम के साथ-साथ नागालैंड को भी फायदा होने वाला है, यह बहुत अच्छी बात है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपना देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में महाराष्ट्र राज्य जैसे कई गिने-चुने राज्य हैं, जिन्होंने खेती के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग की वज़ह से हो या जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों की वज़ह से हो, खेती करने वाले किसानों को या बागवानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सीजनेबल खेती अब नहीं रही। पहले ऐसा होता था कि कम पानी में या ज्यादा पानी में भी किसानों को अच्छी तरह से खेती करने के लिए प्रोत्साहन होता था। लेकिन, अब जो ऋतु चक्र बदल चुका है, उससे खेती में समग्र बदलाव करने की जरूरत है। सरकार को भी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों को सही वक्त पर सही मार्गदर्शन करने की जरूरत है।

महोदय, जिस तरीके से आज निसर्ग ने अपना बदलाव कर दिया है, किसानों के ऊपर उसका काफी प्रभाव हुआ है और ऐसे वक्त में बदलते हुए ऋतु चक्र को सामने देखकर किसानों को सही वक्त पर सही मार्गदर्शन अगर कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से मिलता है तो किसान उस माध्यम से खेती करने के लिए आगे आ सकते हैं और किसानों को नुकसान नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'मिट्टी मित्र' की संकल्पना को स्वीकार किया था। इस 'मिट्टी मित्र' की आज बहुत जरूरत है क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही किसान पूरे तरीके से निर्भर रहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि कृषि विश्वविद्यालयों का निर्माण करने के लिए भारत के कई राज्यों से ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास आ चुके हैं। मेरी विनती है कि हर जिले में कृषि विद्यालय निर्माण करने की जरूरत है। उस कृषि विद्यालय में 'मिट्टी मित्र' की संकल्पना बहुत तेजी से अमल में लाने की जरूरत है। किसानों को जो घाटा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है और किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसे संभालने के लिए कृाि विद्यालय एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं एक बार फिर विनती करना चाहता हूं कि हर एक जिले में, खासकर जो कृषि प्रधान राज्य हैं, उनके हर जिले में कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Central Agricultural Universities (Amendment) Bill, 2016.

First of all I stand here on behalf of Telugu Desam Party and my leader Nara Chandrababu Naidu-garu and I wholeheartedly support this Bill which is very important not just for Nagaland or the North-Eastern region but the whole country itself. The hon. Minister while introducing the Bill said this is a very small amendment. But I hope the impact that this Bill is going to have on the North-Eastern States in terms of agriculture or on the farmers is not going to be small but is going to have a huge impact. That is the expectation from our party and our Members here.

There is a reason I stand here to speak on this Bill though our State is not related to this. This entire House took responsibility to pass the Andhra Pradesh Reorganisation Act in 2014. The 13^{th} Schedule of that Bill which is regarding the education, clearly mentions that the Government of India is going to take the responsibility to establish 11 institutions in the bifurcated State of Andhra Pradesh which has the likes of IIT, AIIMS, IISER and all these institutions including one tribal university and one agricultural university. It has been mentioned in letter and spirit that the Government of India is going to establish a Central University which is of national importance. Now it has been two years.

The State, taking that clause, has requested the Government of India to establish a Central University in the State. First of all, the Central Government came up and said that 500 hectares of land is needed for this. The State said that we are ready to provide 500 hectares of land. Again the Central Ministry came to the State Government and said that they require only 500 acres of land. We agreed to that also and we were ready to give that also. Now the Centre is taking a step back and is saying that they can’t give a Central University because they are not giving Central University anywhere in the country. I would like to ask not only the hon. Minister but the whole House whether this House does not have the

responsibility to fulfil each and every provision given in an Act which this very House has passed. It is the responsibility of all the Members here.

We are bringing a Bill and we are thinking that it is related to Nagaland; there is no importance of this Bill and only Members from Nagaland or north-eastern region will speak. We are passing the Bill. It means that every Member sitting here has an equal responsibility. Similarly, when Andhra Pradesh Re-organisation Bill came in this very House, people felt that this is about Andhra Pradesh and Telangana and they don't have to care about it; they passed the Bill. Now we are facing the consequences. If the House which sat at that time under the Congress Government had taken the responsibility of doing justice to both the States while preparing the draft Bill, we would not have had the requirement to stand up here and shout slogans in this very House. We are taking up the responsibility for whatever problems have been created from the Bill.

According to the Bill, a Central University has been promised to Andhra Pradesh. Earlier, we had an agricultural university in the State also. That has been given to Telangana. With that institution, 30 other research stations have also gone to Telangana. How will we be compensated for that unless the Central Government takes interest in doing this? Now, the Central Government has said that they will develop one State University. Then we took up that idea and we prepared a DPR and gave a requirement of Rs. 1500 crore. What has the Central Government done? They have given just Rs. 85 crore in two years. This is a grave injustice done to the State of Andhra Pradesh. We want the Central Government to take up complete responsibility in doing justice to the State of Andhra Pradesh. We have high hopes on this Government which is being led by the dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi. We require full support from the Central Government. Even though this Bill does not relate to us, we require complete support from the Minister of Agriculture also.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Deputy Speaker, firstly I would like to state that I fully share the sentiment of our neighbouring State of Andhra Pradesh and the hon. MP Shri Ram Mohan Naidu. Speaking on the Central Agricultural University (Amendment) Bill 2016, there is an agricultural university in Imphal and presently the university covers Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Tripura. The present Bill wants to include the State of Nagaland. I do not think anyone in this House will oppose this. We also rise to support this Bill on behalf of the TRS party.

As per the study, India is going to be the most populous country in 2050. With growing population, demand for food and agricultural products is going to rise. To handle such a huge demand, we need to not just include one more state in the existing university, but we need to have investments and have more agricultural universities both in Nagaland and Andhra Pradesh. But, not only we have to set up institutions and colleges in Nagaland, research and development needs to be focused on in agriculture sector.

In the recent years, agriculture research has been plagued by severe underinvestment and neglect. For example, even Bangladesh spends more percentage of money on agriculture research; not only do they spend money on agriculture research but their policies are also driven by research in agriculture universities in Bangladesh.

The other day, we had the debate on price rise. Actually, I really do not know who to support. Price rise to an urban consumer is a very popular thing to take up for urban based political parties. But farmers in the rural areas in my constituency actually want the prices to rise. They are abysmally low in our country. If there is one thing compared to any other commodity, the prices have not risen in agricultural produce. They are sometimes going up and sometimes coming down but overall the average is very low.

The agriculture education and research is plagued by resource crunch, difficulty in attracting talented faculty, limited linkages and collaborations with

international counterparts. The weakening of lab to land connect is a very important thing. In my own constituency, we have one of the largest agriculture universities, the Rajendranagar Agriculture University but there is no lab to land connect; besides, there is lack of innovation.

Today, many young people are not much interested in studying agriculture. We have to make it popular. First of all, students studying agriculture are not seen with the same respect as accorded to other disciplines, like IT, engineering and medicine. What is most important is not sufficient research is being done on native species whether they are of grains or vegetables. I think, that needs to be done since Nagaland has many native species of local vegetables and fruits.

The jhum practice in Nagaland, which is the slash and burn technique, has come down clearly because of loss of awareness in ancient agriculture practices brought out by modern agriculture practices. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : So, just like they need a university, they also need a separate high court; we also need a separate high court.

Thank you.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Thank you. I will be very brief.

I support the Bill moved by the hon. Minister but I would like to point out some four or five points within two minutes. First, as my learned friends have already suggested, the lack of funds for agriculture research. It is a very important factor. Even though we would be completing the legislative process within ten minutes, as he insists and we all wish, this is a very important matter and I hope my very senior learned friend Shri Ahluwalia will take up this matter with his colleagues and the Government of India may take up this issue with prime importance.

Secondly, in the Central universities and Central research institutes there is lack of manpower – academic as well as non-academic. We are facing acute shortage in IISERS, IITs, Central universities and other research institutions. If we do not recruit adequate manpower – professors and other scientific research officials – our position will be very unpleasant.

Thirdly, regarding research scholars, there is a situation in many of the Central research universities and institutes of which I may point out one example from Thiruvananthapuram in my district. It was earlier in my constituency but now that place is now in the constituency of my learned friend Dr. Shashi Tharoor; this is the Central Tuber Crops Research Institute. Here, quite a number of Ph.D. students under the University of Kerala are also doing research but what now happens is that the research scholars coming from outside have to pay quite a large sum as fees. So, these people who are doing research here from University of Kerala and those from Anna University are also bound to pay more fees. So, they have taken loans from banks as education loans. It has become very much difficult for them as they are not from any private sector agency. They are actually the research scholars from the university. So, this matter has to be taken up seriously. There are some missing links between the field and research.

Whatever research is going on has to directly go to the fields but that is not happening.

Last but not least, as my learned friend has just now stated, nowadays, the brilliant students do not want to become agriculture scientists. It is true with Tamil Nadu, Gujarat, UP, Kerala, Madhya Pradesh, West Bengal, in fact with all the 29 States and the Union Territories. If you ask a brilliant student what does he or she want to be, the answer will be he wants to be a doctor. If you do not become a doctor then what do you want to be? That student would like to be an engineer. The third option will be an advocate. It is because they think that if they retire as an agriculture scientist they do not have any job to do. If they retire as a doctor they can practice after retirement. As an engineer also they can do something. If they retire as lawyer either they have to leave the court or leave this world. … (*Interruptions*) But in the case of an agriculture scientist there is no job after retirement. These things must also be considered by the hon. Minister.

Thank you, Sir.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, this Bill is not as simple as the hon. Minister is saying, for the simple reason that the entire North-East deserves much better consideration which we have been repeatedly telling. North-East definitely depends mostly on agriculture. For these two reasons we consider this Bill as the most important one. We are very happy that the jurisdiction of the Central Agricultural University is being extended up to Nagaland.

What is most important here is that the modern technology and the techniques that are lacking in the North-East are to be considered by the Government of India. The purchasing capacity of North-East is very less. Therefore, if you really want to make use of the land available in the North-East, the Government of India has to come in a big way to implement the modern technology and the techniques. The subsidies have to be given to the North-East for more than one reason; to infuse confidence in the people of North-East and also to bring them on to the mainstream.

As every other speaker has mentioned, in North-East more than 70-80 per cent of the people depend only on agriculture, therefore, the importance of the Bill is very high. Although infrastructure is not very much relevant to the Bill, but development of the North-East is extremely important as it is lacking in infrastructure; be it the storage facility, cold storage facility or the last mile land for the roads. It is extremely important and if it is not done the people of the North-East will feel differently and India might find it difficult later.

As the earlier speaker was mentioning, shifting cultivation, zoom cultivation are extremely outdated and, therefore, the modern technology is very much required. Hence, the importance of the agriculture university is more relevant now. I feel that the North-East very much requires an institution like the ICRISAT, which is in Hyderabad now, so that the entire area could be put into use.

Similarly, as my earlier speaker, the young, dynamic MP, has spoken, we need a Central Agricultural University for Andhra Pradesh. And, the Government of India should consider giving the Special Status that we require the most.

Thank you.

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर राज्य आजादी के बाद से ही विकास के रास्ते में उस इलाके में कमजोरी होती रही है। डॉ. लोहिया ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बराबर चिंतन किया था। मैं उस इलाके में समाजवादी चिंतक जार्ज फर्नानडीज के साथ जाने का काम किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर के इलाके में जब भी कोई संकल्प केन्द्र की ओर से होता है, तो मुझे अपार खुशी होती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अमेंडमेंट) बिल, 2016 जो लाया गया है, यह सरकार के दृढ़ संकल्प का द्योतक है। पूर्वोत्तर के राज्य में एनडीए-1 द्वारा भी गंभीर तवज्जुह दी गई थी और माननीय नरेन्द्र मोदी की सरकार में पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास हमारे एजेंडे में है। इसलिए निश्चित तौर से इस विश्वविद्यालय की स्थापना से एक व्यापक फलक का निर्माण होगा। इससे मुख्य धारा में लोग आएंगे और यह मानना कि एग्रीकल्चर में हमारे युवाओं की अभिरुचि नहीं है, मैं इससे असहमति व्यक्त करता हूं। एग्रीकल्चर पर हमें पूरी तवज्जुह देनी चाहिए और युवा वर्ग में इसके लिए काफी उत्साह है और इस क्षेत्र में युवा वर्ग के लिए काफी संभावनाएं हैं।

महोदय, आज जो क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं और टेक्नौलौजी के प्रयोग से वैल्यू एडीशन होगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों की युवा शक्ति मुख्य धारा में आएगा। इससे देश मजबूत होगा और उस इलाके में मुख्य धारा में हमें नौजवानों को लाने का एक और मौका मिलेगा। इसलिए मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद । नागालैंड राज्य में भी कृषि के विकास के लिए एक केन्द्रीय कृषि विश्विद्यालय की स्थापना किए जाने का विचार अच्छा है। पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि एवं पशुपालन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में वहां कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य आज उग्रवाद से ग्रस्त हैं। मैं मानता हूं कि नागालैंड के इम्फाल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के खुलने से वहां के किसानों को लाभ होगा और पशुपालन में भी वृद्धि होगी, जिससे इस क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। नए कृषि विश्वविद्यालय एवं पशु चिकित्सा विज्ञान का कॉलेज खोलने से विशेाकर नागालैंड राज्य में किसानों को नई कृषि प्रौद्योगियों से परिचित करवाने में मदद मिलेगी। यह घरेलू पशुओं की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने में काफी सहायक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं। बिहार में, माननीय मंत्री जी के प्रयास से राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, लेकिन उसका अभी भी विकास नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां आज भी पुरानी बिल्डिंग है, उसका रख-रखाव नहीं है, वहां स्थिति जर्जर है और वहां फेकल्टी की भी कमी है। हमारा अनुरोध होगा कि वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मैं बिहार के नालंदा से आता हूं, जहां आलू काफी मात्रा में होता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि नालंदा में आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना पहले से प्रस्तावित है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि नालंदा में आलू अनुसंधान केन्द्र खोल कर बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, I thank you for allowing me to participate in the discussion on the amendment to the Central Agricultural University Act of 1992.

The proposed amendment is to include the State of Nagaland under the jurisdiction of the Central Agricultural University. No doubt the Central Agricultural University is having its headquarters in Imphal and is playing a major role for the development of agriculture in the North-East region of the country. Through this amendment, the State of Nagaland will also get the benefits of the Central Agricultural University.

Since the discussion is related to the Agricultural University, I would like to share a few thoughts on the state of agricultural research in the country. As we all know, India is an agrarian country and the majority of our fellow citizens earn their daily bread from the agricultural sector. Therefore, the agricultural research institutions have to play a vital role in ensuring the food security and economic growth of the country.

19.00 hours

However, today there is a reverse trend in agricultural growth which has adversely affected the income and confidence of our farmers. Reports say that climate change will have adverse impact on agriculture in 150 districts in the country which would in turn have serious implications on the livelihood of 45 million people. The Indian Academy of Science also has come out with similar findings.

There are tens and thousands of acres of virgin land are lying unused. If we are able to support the farmers in the North-Eastern region, then we will be able to produce more food and it will benefit the country.

Sir, I support the Bill.

Thank you.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सैंट्रल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का स्वागत करता हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि एग्रीकल्चर सैक्टर को रिवाइव करने के लिए आर एंड डी एजेंसियों को स्ट्रांग करना चाहिए और उनके काम पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं, बात यह नहीं है, पहले भी 20 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन यूनिवर्सिटियों की तरफ सरकार को जो ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। यह बहुत दुख की बात है क्योंकि एग्रीकल्चर को बैक बोन आफ इकोनामी माना जाता है। 70 परसेंट लोग इस क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। लेकिन रिसर्च के लिए एग्रीकल्चर जीडीपी का 0.7 खर्च किया जाता है। यह बहुत ही दुख की बात है।

सैंट्रल यूनिवर्सिटी में जो फंड दिए जाते हैं, उसमें सैंटर के 68 परसेंट और स्टेट के 22 परसेंट ही पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में इन्क्रीज हुए हैं। मैं समझता हूं कि इससे स्टैग्नेशन आ गया। पंजाब जैसा प्रदेश जो कि एग्रीकल्चर एडवांस स्टेट है, जिसने ग्रीन रिवाल्युशन लाकर देश की भुखमरी को दूर किया, इसे कम्पेनसेट नहीं किया गया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनाई गई थी, लेकिन रिसर्च के लिए कोई मदद नहीं की गई। यहां जो सीड बनते हैं, सरकारी एजेंसी नहीं बनाती, है बल्कि प्राइवेट लोगों ने इसका व्यापार शुरु कर लिया। एग्रीकल्चर के नाम पर प्राइवेट लोगों ने व्यापार शुरु किया और बहुत मालामाल हो गए, जबकि किसान को इनपुट्स महंगी मिलती हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सीड्स के क्षेत्र में नई रिसर्च पर जोर देना चाहिए। पेस्टिसाइड्स को लेकर प्राइवेट एजेंसियां और कंपनियां किसानों को लूटती हैं। यदि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च करें तो इनपुट्स किसानों को सस्ती मिल सकती हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप भी इससे सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी किसान की त्रासदी यह है कि पिछले वर्षों में इनपुट्स के रेट बढ़ते गए और किसान की उपज के दाम उस अनुपात में बढ़ नहीं पाए जबकि कन्ज्यूमर को इसका ध्यान रखना पड़ता है।

हम सैंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश और सैंट्रल यूनिवर्सिटीज की रिसर्च के लिए स्पेशल फंड रखा जाए ताकि एग्रीकल्चर सैक्टर में आई स्टैग्नेशन को तोड़ा जा सके।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज का विधेयक कृषि शिक्षा से संबंधित है। माननीय राज्य मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया है और इसके संबंध में विस्तार से बताया है। माननीय सदस्यों ने अभी जो चर्चा की है, उससे मेरी दुविधा थोड़ी बढ़ गई कि कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान और कृषि विस्तार तीन पार्ट हैं, कृषि शिक्षा राज्य का विषय है, जैसे जनरल एजुकेशन राज्य का विषय है। जनरल एजुकेशन में 2009 में यह हुआ कि सभी राज्यों में कम से कम एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से होगी। क्योंकि कई राज्यों में चार-पांच यूनीवर्सिटीज थीं। आज जनरल एजुकेशन में उनकी संख्या 50-60 हो गयी होंगी। लेकिन एग्रीकल्चर एजुकेशन की स्थिति यह है कि देश में इसके 73 कृषि विश्वविद्यालय हैं और ये सारे कृषि विश्वविद्यालय राज्यों के अधीन हैं। जैसे जनरल यूनीवर्सिटीज को यूजीसी के द्वारा सहायता मिलती है, वैसे ही आई.सी.आर. द्वारा हम कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता करते हैं। हालत यह है कि हम यदि दो-तीन राज्यों को छोड़ दें, तो मैक्सिमम राज्य, जहां यूनीवर्सिटीज हैं, वे कम पूंजी लगाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यू.जी.सी. से जनरल यूनीवर्सिटीज को सहायता जाती है, वैसे ही आई.सी.आर. से उन यूनीवर्सिटीज को सहायता मिलती है, उसी भरोसे वे चल रही हैं। महाराट्र के चार कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनका किसी जमाने में बहुत बड़ा नाम था और आज भी है । उनमें हजारों एकड़ के कैम्पस हैं। वह महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय है। मुझे जानकारी मिली कि सहायता देने वाली आई.सी.आर. की जो टीम अध्ययन करती है, उसने एक रिपोर्ट दी कि इन चार विश्वविद्यालयों को आगे सहायता नहीं दी जायेगी। यह मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि उस विश्वविद्यालय में 80 प्राइवेट कालेजेज भी खुल चुके हैं, जिसकी चर्चा हमारे पंजाब के मित्र कर रहे थे। वह एक दूसरा धंधा है। लेकिन आई.सी.आर. सभी विश्वविद्यालयों की सहायता करती है।

हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि इस वर्ष भारत सरकार ने कृषि शिक्षा में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था, उस समय शिक्षा के बारे में बहुत बातें हुई थीं। मुझे स्मरण है कि जब आंध्र प्रदेश एक था, तब वहां एक हार्टिकल्चर यूनीवर्सिटी थी और एक एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी थी। लेकिन बंटवारे के बाद एक राज्य में हार्टिकल्चर यूनीवर्सिटी चली गयी और दूसरे राज्य में एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी चली गयी। जब मोदी सरकार बनी, तब हमारे प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की कि हम आंध्र प्रदेश में एक हार्टिकल्चर कालेज और तेलंगाना में एक एग्रीकल्चर कालेज के लिए सहायता करेंगे। ...(व्यवधान) तेलंगाना में हार्टिकल्चर कालेज चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर कालेज तेलंगाना में रह गया था। वहां पर एग्रीकल्चर कालेज के लिए सहायता करेंगे। मैं जिस दिन आंध्र प्रदेश गया था, उस दिन वहां बहुत

बड़ी भीड़ थी। अब चूंकि हम पहले एमपी रहे, फिर मंत्री बने। लेकिन वहां 20-25 हजार लोगों की भीड़ थी। वहां मुख्य मंत्री जी थे, वैंकेया जी थे। उस कालेज का शिलान्यास हुआ। हालांकि वह कालेज राज्य को खोलना था, लेकिन बंटवारे के समय भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए कहा था, तो हम एक वर्ष में 100 करोड़ रुपये दे चुके हैं। जैसे-जैसे खर्चे की रिपोर्ट आयेगी, वैसे-वैसे हम पैसे देते रहेंगे। आपने अभी आठ महीने पहले ही उस कालेज को शुरू किया है। हमें 100 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन जैसे-जैसे रिपोर्ट आयी, वैसे-वैसे हमने पैसे दे दिये। हम आठ-दस महीने में 85 करोड़ रुपये दे चुके हैं। इसी तरह तेलंगाना सरकार को भी हम बधाई देंगे, क्योंकि वहां भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहां भी कालेज का शिलान्यास हुआ और हम उसे भी पैसे दे रहे हैं। अब 200 करोड़ रुपये की घोषणा है, लेकिन हम आगे भी आई.सी.आर. से सहायता देना जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि शिक्षा पर सरकार का कितना जोर है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक-दो बातें आपको निश्चित रूप से बताना चाहूंगा। हमारे मित्र बता रहे थे कि कृषि शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि कृषि शिक्षा का आकर्षण नहीं है या खेती में शिक्षित लोगों का आकर्षण नहीं है। यह धारणा भी बनी कि लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं जब सैंकड़ों कार्यक्रमों में किसानों को पुरस्कृत करने के लिए गया, तो मैं यही सोचता था कि पुरस्कार लेने वाला व्यक्ति कोई धोती-कुर्ता वाला होगा। लेकिन आधे व्यक्ति ऐसे थे, जो जींस-पैंट पहने हुए होते थे। उन्होंने नयी टेक्नोलॉजी से खेती करना शुरू किया। ...(व्यवधान) यह इस बात का सबूत है कि अब पढ़े-लिखे नौजवान बड़ी तेजी से नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमने सिलेबस में कुछ परिवर्तन किए हैं, कृषि को व्यावसायिक बनाया है। पहले भी ग्रेजुएशन की जब डिग्री मिलती थी, तो उसे छः महीने के लिए ग्रामीण कार्य अनुभव करना पड़ता था। उसके लिए उसे 750 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। सरकार बनते ही हमने उसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिए। पीजी के विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हमने तय किया कि जो अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाएगा, उसे 3000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएं। अब इन चीजों के लिए अलग से कृषि शिक्षा पर चर्चा हो तो इन विषयों पर हम विस्तार से बात कर सकते हैं। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हर जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा विश्वविद्यालय की बात छोड़िए, जिस दिन हर जिले में एक कृषि कॉलेज हो जाएगा, देश नई उंचाइयों के चरम पर पहुंच जाएगा। निश्चित रूप से हम विश्वविद्यालयों की सहायता करते हैं और आप सभी माध्यम से, सदन के माध्यम से राज्य सरकारों से भी अपील करते हैं। जैसा पंजाब से हमारे मित्र चंदूमाजरा जी बता रहे थे, यदि गोरखधन्धा चलाने के लिए विश्वविद्यालय खोलते जाएंगे तो मुश्किल होगी। हमने महात्मा फूले विश्वविद्यालय को देखा है, जो अहमदनगर जिले में है, मैं वहां गया था।

जहां तक पूर्वोत्तर का सवाल है, मणिपुर के माननीय मित्र को स्मरण होगा, इनके साथ मैंने दो दिन तक मणिपुर का भ्रमण किया था। अभी तक पूर्वोत्तर में, मणिपुर के अलावा, सभी राज्यों में कम से कम दो दिन एवं एक रात मैंने अवश्य बिताई है और 150 से 200 किलोमीटर दायरे में जाने का अवसर मिला। मैं वहां गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर में दो रात बिताई है, वहां गांव के खेत पर भी गए हैं। आपने जहां तक नागालैण्ड की चर्चा की कि मैं वहां गया और उद्घाटन कर दिया, नागालैण्ड की सरकार अपनी व्यवस्था से वेटरनरी की शिक्षा देने का काम कर रही है। उसके लिए बिल्डिंग भी बनाई है, सत्र भी शुरू किया है। उसका फंक्शन उन्होंने किया था, उसमें मुझे ले गए थे। जब यहां दोनों सदनों से मंजूरी मिलेगी, फिर हम पैसा देंगे। चूंकि पूर्वोत्तर में हम 100 प्रतिशत देते हैं, इसलिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हम 100 प्रतिशत देते हैं, तो निश्चित रूप से जब वह बनेगा, उसका उद्घाटन करेंगे। उस समय हम और आप दोनों साथ चलेंगे। पहले से हमने ऐसा काम नहीं किया है। पहले से वे अपना प्राइवेट रूप से चला रहे हैं, उसके फंक्शन में मैं गया था।

आज से 22-23 वर्ष पहले जब इम्फाल में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, उसके बाद इन 22 वर्षों में पूर्वोत्तर में सात कॉलेज खोले गए, लेकिन इन पिछले दो वर्षों में हमने पांच कॉलेजेज को प्रारम्भ किया है और छठे कॉलेज को भी प्रारम्भ करने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमारी सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है। पूरे देश में यह सोच है कि पूर्वोत्तर का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा।

हमारे प्रधानमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है कि यदि देश को आगे ले जाना है तो पूर्वोत्तर को आगे ले जाना होगा, इसीलिए वहां जाते हैं, रात भी वहां बिताते हैं। अब हर महीने भारत सरकार का कोई न कोई मन्त्री आपको पूर्वोत्तर राज्यों में निश्चित रूप से घूमते हुए दिखाई देगा। यह हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नागालैण्ड, जो 20-21 वर्षों से कृषि शिक्षा एवं एलाइड सेक्टर की शिक्षा से दूर रहा है। वहां के मुख्यमंत्री जी दो-तीन बार आए, उन्होंने सहमति दी और आज का यह विधेयक नागालैण्ड की कृि क्षेत्र में एवं एलाइड सेक्टर में विकास को गति देगा। इसीलिए मैं सदन से विनती करूंगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Central Agricultural University Act, 1992, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

श्री राधा मोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाये"।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 hours.

19.16 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
On Wednesday, August 10, 2016 /Shravana 19, 1938 (Saka).